खण्ड-198, अंक-2
गुरूवार, 20 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(11 सितम्बर, 1958 ई0)

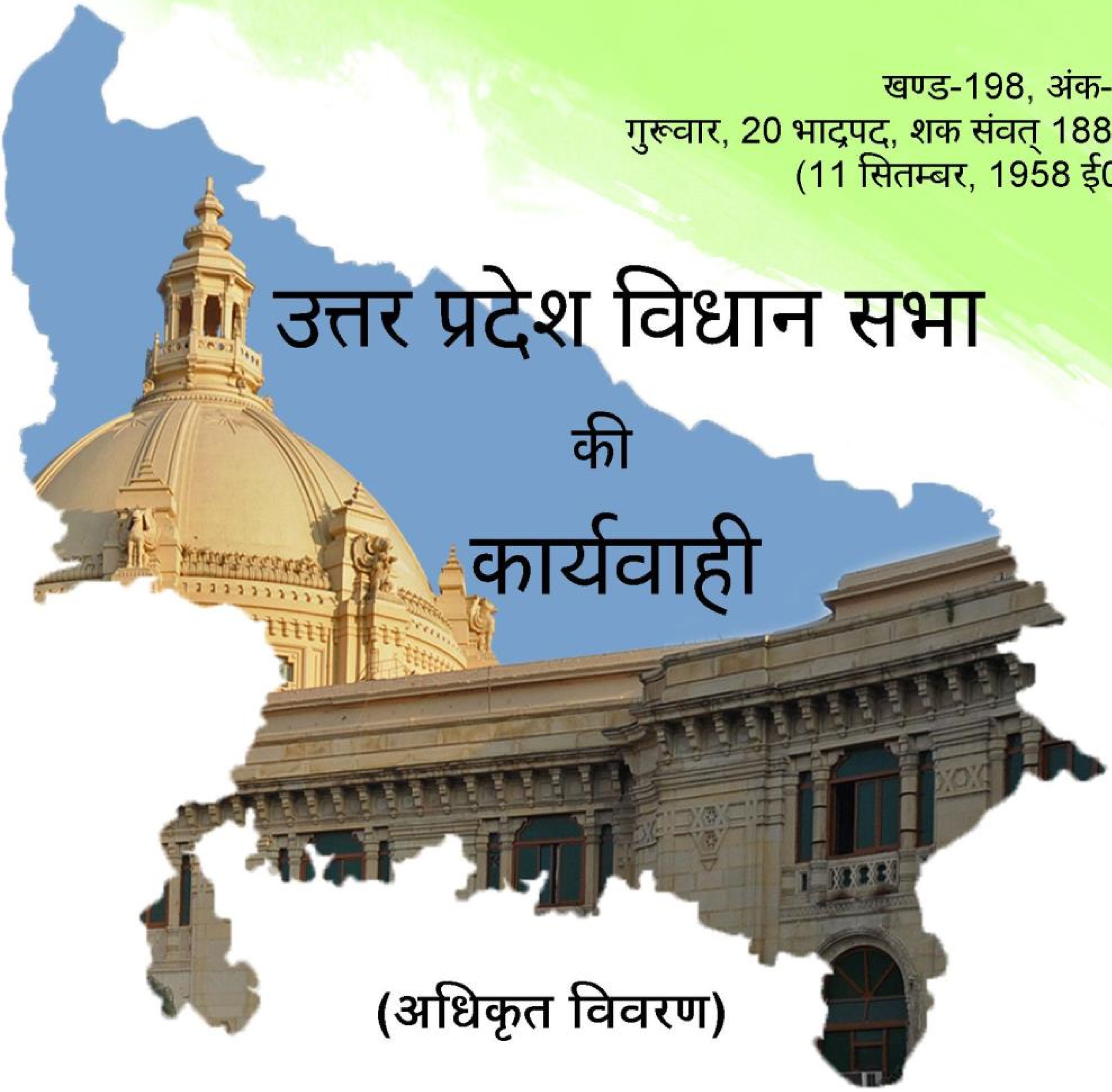

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 198 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ११ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—२४३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अहमद बख्श, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री

जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
ताराबेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री

राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ११ सितम्बर, १९५८

तारांकित प्रश्न

*१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२-३—श्री मुक्तिनाथ राय—[चौदहवें मंगलवार में प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के बिक्री केन्द्र नई दिल्ली, नागपुर व कलकत्ता के आय-व्ययक का ब्योरा

*४—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार सदन की मेज पर यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट के नये बिक्री केन्द्र, नई दिल्ली, नागपुर व कलकत्ते का आय-व्ययक का ब्योरा जब से इन केन्द्रों की स्थापना हुई है, रखने की कृपा करेगी ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—वांछित ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३९५ पर)

*५—श्री गनेशीलाल चौधरी—इन केन्द्रों के furnish करने में सरकार का क्या खर्च हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी—४५,०७५ रुपया।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन केन्द्रों की स्थापना कब कब हुई ?

श्री रऊफ जाफरी—मेरे पास इस वक्त यह सूचना मौजूद नहीं है कि इन केन्द्रों की स्थापना कब कब हुई।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन केन्द्रों पर रिडक्शन सेल प्राइस का क्या नियम है और वह किन-किन वस्तुओं पर दिया जाता है ?

श्री रऊफ जाफरी—इसका नियम तो कोई नहीं है लेकिन जब बाजार में भाव गिरता है या किसी सामान को निकालने की जल्दी होती है तो इस लिहाज से कि जल्दी माल बिके रिडक्शन सेल किया जाता है।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बिक्री केन्द्रों में से किस पर हानि कितनी हुई है और किस पर कितना लाभ हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी—अगर आप वह ब्योरा देखें तो आपको पता चलेगा कि हानि नहीं हुई है लाभ ही हुआ है।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया सदन को बतलायें कि कितना-कितना लाभ हर केन्द्र पर हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी—नई दिल्ली में खालिस मुनाफा १,२१,९८९ रुपये, नागपुर में खालिस मुनाफा ३,७६० रुपये और कलकत्ता में १४,२५८ रुपये खालिस मुनाफा हुआ है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—मुनाफा निकालने के समय क्या इंटरेस्ट का हिसाब लगा लिया गया था ?

श्री रऊफ जाफरी—खालिस मुनाफा जब कहा जाता है तो उसमें सब बातें देखी जाती हैं ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां दिल्ली में १ लाख रुपये से अधिक मुनाफा हुआ है वहां नागपुर में कुल ३,००० रुपये ही मुनाफा क्यों हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो बिक्री के ऊपर रहता है। दिल्ली बड़ी जगह है, वहां बाहर के लोग आते हैं, वहां बिक्री ज्यादा होती है ।

*६-७—**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ रोडवेज के कर्मचारियों के बहाल किये जाने के लिये डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर का आदेश

*८—**श्री मुक्तिनाथ राय**—विधान सभा के वर्तमान सत्र १९५८ के प्रथम गुरुवार के तारांकित प्रश्न १९ के पूरक प्रश्न के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ रोडवेज के कर्मचारियों के बहाल किये जाने के विषय में डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर का आदेश कब हुआ और क्या उनके आदेशानुसार सम्बन्धित व्यक्ति अब पुनः अपने पदों पर नियुक्त कर दिये गये हैं ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—बहाल किये जाने के विषय में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का आदेश ६ कर्मचारियों के मामले में २५ अप्रैल, १९५७ को तथा १ कर्मचारी के मामले में २ अप्रैल, १९५७ को हुआ ।

जी हां । जिन लोगों ने नौकरी करनी चाही ।

*९—**श्री मुक्तिनाथ राय**—यदि हां, तो उपर्युक्त आदेश के कितने दिनों बाद यह नियुक्तियां की गईं ?

डाक्टर सीताराम—३ कर्मचारी ४ मास बाद, २ कर्मचारी लगभग ९ मास बाद तथा १ कर्मचारी १८ दिन बाद पुनः अपने पदों पर नियुक्त किये गये ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के आदेश के बावजूद ४ मास बाद और ६ मास बाद, इतनी देर में कर्मचारियों को बहाल करने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—यह देरी इसलिये हुई कि उनसे यह लिखित पूछा गया था कि जब वे सर्विस में नहीं थे तो कहीं 'और जगह पर' सर्विस तो नहीं करते थे ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके बहाल करने के बाद कोई सूचना रोडवेज विभाग, आजमगढ़ ने कर्मचारियों को दी ? यदि दी, तो कब ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, दी ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के आदेश के बावजूद जो ३-४ महीने का अधिक समय लगा उसकी जिम्मेदारी किस के ऊपर है ?

डाक्टर सीताराम--उन कर्मचारियों के ऊपर है ।

श्री जगन्नाथ लहरी--आपने बतलाया है कि १ कर्मचारी ३ महीने के बाद, १ कर्मचारी ९ महीने के बाद और १ कर्मचारी १८ दिन के बाद नियुक्त किया गया तो जो इतना बड़ा फर्क हो गया है उसके क्या कारण थे ?

डाक्टर सीताराम--जो कर्मचारी १८ दिन के अन्दर नियुक्त हो गया उसका कारण यह है कि जो उससे सूचना मांगी गई थी वह उसने भेज दी, इसलिये उसको नियुक्त कर दिया गया और बाकी लोगों ने इतने दिनों तक लिखित आर्डर का पालन नहीं किया इसलिये इनकी नियुक्ति में देरी हुई ।

प्रश्नों को स्थगित करने के लिए अनुपस्थित सदस्यों की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--मैं यह कह रहा हूं कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके सब प्रश्न कार्यवाही में से निकाले देता हूं जिसमें यदि वह आयेंगे तो उन्हें उपस्थित कर सकेंगे । अगर सत्रावसान हो जाय तो वे समाप्त हो जायंगे । इसलिये उनको मैं पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उनमें से बहुतों ने यह प्रार्थना की है कि हमारे प्रश्नों को और किसी दूसरी तारीख के लिये डाल दिया जाय तो मैं हर एक प्रश्न ले लेकर उसको पढ़ूं और फिर पोस्टपोन करता जाऊं यानी पहले कार्यक्रम में लाऊं और फिर मुल्तवी करूं इसमें समय नष्ट होगा, इसके बजाय मैं आम तौर पर उक्त आज्ञा दिये देता हूं । इसलिए उनके सब प्रश्न स्थगित समझे जायंगे ।

श्री जगन्नाथ लहरी--अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पहले स्थगित किये जा चुके हैं और जो आज नम्बर पर आये हैं, वह सब दुबारा आ जायंगे ?

श्री अध्यक्ष--वह सब हटा दिये जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जितने प्रश्न उनके होंगे जो उपस्थित नहीं है, जब वह आयेंगे तब लिस्ट पर चढ़ेंगे । लेकिन अगर सत्रावसान हो जाय तो सब लैप्स हो जायंगे ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

*१०--**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)--[हटा दिया गया ।]

चीनी मिलों के क्षेत्र में खाण्डसारी प्रोत्साहन के लिये ऋण देने की मनाही

*११--**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली)--क्या सरकार ने कोई ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि उन क्षेत्रों में जहां शक्कर मिलें लगी हैं खाण्डसारियों को कोई ऋण न दिये जायं ?

श्री रऊफ जाफरी--ऋण तथा अनुदान समिति ने यह निश्चय किया है कि गुड़ तथा खांडसारी के हेतु उन्हीं क्षेत्रों में आर्थिक सहायता दी जाय जहां शकर मिलें न हों । इसकी सूचना जिला उद्योग अधिकारियों को राज्य के उद्योग संचालक द्वारा दे दी गई है ।

*१२--**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के गुड़ और खाण्डसारी Industry के विकास के लिये प्रदेश के विभिन्न व्यक्तियों को १९५६-५७, १९५७-५८ में कितना धन ऋण के रूप में दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी--सन् १९५६-५७ में ३९,५०० रुपया तथा १९५७-५८ में २,४६,००० रुपया ऋण के रूप में दिया गया ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार न ऐसा कोई निश्चय किया है या उसका इस निश्चय से कोई संबंध है कि जिन एरियाज में शुगर मिल्स हैं उनमें गुड़ और खांडसारी को प्रोत्साहन न दिया जाय ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि उत्तर में बतलाया गया है सरकार ने नहीं बल्कि जो समिति ऋण और अनुदान देती है उसने इस खयाल से कि अक्सर मिलों को गन्ने की कमी पड़ जाती है तो ऐसे क्षेत्रों में खांडसारी के लिये ऋण नहीं देते हैं लेकिन जहां गन्ने की कमी नहीं है और शुगर मिल्स नहीं हैं वहां बराबर दिया जाता है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने इस बारे में कोई नीति निश्चित की है कि जिन एरियाज में शुगर मिल्स हैं वहां पर गुड़ और खांडसारी के डेवलपमेंट के बारे में सरकार की क्या नीति होगी ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि बताया गया कि जहां शुगर मिल्स नहीं हैं वहां पर अगर लोग खोलना चाहें और प्रार्थना-पत्र आयें तो उनकी मदद की जाती है जहां तक सम्भव होता है ।

श्री जगन्नाथ लहरी—जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि जिन क्षेत्रों में शुगर मिलें नहीं हैं उन्हीं के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करके ऋण दिया जायगा तो मैं पूछना चाहता हूं कि शुगर मिल के चारों तरफ का कितना एरिया ऐसा क्षेत्र माना जाता है जिसमें ऋण नहीं दिया जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—रिजर्व्ड और असाइंड एरिया ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना और किन-किन जिलों में खांडसारी क्षेत्र कायम किया जा रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी—कोई खांडसारी क्षेत्र नहीं कायम किया जा रहा है बल्कि जहां मिलें होती हैं, चूंकि गन्ना मिलों में चला जाता है इसलिए वहां खांडसारी का काम चल नहीं पाता, वहां मदद भी नहीं की जाती । जहां गन्ना मिल सके, वहां वह खोलें और उनकी दरख्वास्त हो और जमानत वगैरह हो तो रुपया दे दिया जाता है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऋण तथा अनुदान समिति ने जो निश्चय किया है जिसको माननीय मंत्री जी ने बताया क्या उसके लिए सरकार की अनुमति प्राप्त की है ?

श्री रऊफ जाफरी—इसकी जरूरत नहीं थी ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे प्रदेश की खाद्य समस्या को देखते हुए गुड़ और खांडसारी के उत्पादन को डिस्करेज करने पर विचार करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो जाहिर है कि खाद्य समस्या की वजह से गन्ने की पैदावार बजाय इसके कि रकबे में बढ़े अगर प्रति एकड़ उत्पादन बढ़े तो उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है और करेगी । लेकिन खांडसारी को और गुड़ को डिस्करेज करने की कोई पालिसी गवर्नमेंट की नहीं है ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ और १९५७–५८ में ऋण के लिए कितने प्रार्थना-पत्र आये थे और कितने प्रार्थना-पत्रों पर ऋण दिया गया था ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो धनराशि उन्होंने बतायी है कि ५६–५७ और ५७–५८ में ऋण के रूप में दी गयी, क्या इसमें ओपेनपैन क्रिस्टेल शुगर प्लांट्स को दी गयी धनराशि भी शामिल है ?

श्री रऊफ जाफरी—जी नहीं । यह तो ऋण तथा अनुदान समिति ने जो रुपया दिया है वही रकम शामिल है । वह नहीं है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऋण सोसाइटी वालों को दिया गया या किसी व्यक्ति को भी ?

श्री रऊफ जाफरी—जो भी दरख्वास्त दे । व्यक्तियों को भी दिया जाता है और सोसाइटी को भी ।

*१३–१४—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—[हटा दिये गये ।]

*१५—**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—[हटा दिया गया ।]

*१६—१८—**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)—[हटा दिये गये ।]

*१९—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—[हटा दिया गया ।]

*२०—**श्री जगदीशप्रसाद** (जिला मुरादाबाद)—[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

केन्द्र के आदेशानुसार राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों को "स्टेज १" में बदलना

*२१—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि केन्द्रीय विकास मंत्री श्री एस० के० डे० ने बरेली में गत १० जुलाई को एक वक्तव्य देते हुये कहा था कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड अब सामुदायिक विकास खंडों में परिवर्तित कर दिये जावेंगे ? यदि हां, तो क्या उनके पास इस सम्बन्ध में कोई आदेश भी आये हैं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—जी हां, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त उक्त आशय के आदेशों के अनुसार १ अप्रैल, १९५८ से राज्य के सभी राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड "स्टेज १" के खण्डों में श्रेणी-बद्ध कर दिये गये हैं जिनके कार्य-क्रम का प्रारम्भ ही सामुदायिक विकास (अथवा सघन विकास) के स्तर पर होता है ।

*२२—**श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई)—[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी जिले में कर्घा उद्योग के लिये सहायता

*२३—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३ से १९५७ तक झांसी जिले में किन-किन व्यक्तियों अथवा सोसाइटियों को सरकार द्वारा कितनी धनराशि कर्घा उद्योग के लिये कर्ज अथवा अनुदान में दी गई ?

श्री रऊफ जाफरी—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९६ पर) ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त ऋण के लिये मऊरानीपुर तहसील के अतिरिक्त अन्य तहसीलों से भी कोई मांग थी ? यदि हां, तो फिर उनको क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी—अन्य तहसीलों को भी दिया गया है। झांसी तहसील को दिया गया है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—मेरा निवेदन यह है कि मेरा प्रश्न यह था कि झांसी जिले में किन-किन लोगों को ऋण दिया गया किन्तु उत्तर मऊरानीपुर तहसील के लिये ही दिया गया है। अन्य तहसीलों के लिये नहीं है।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बतला दिया कि झांसी तहसील को भी दिया गया।

झांसी जिले में मऊ गरोठा के हाकिम परगना का सदर मुकाम मऊरानीपुर बनाने की मांग

*२४—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या हाकिम परगना मऊ गरोठा (जिला झांसी) का सदर मुकाम झांसी से हटा कर मऊरानीपुर में रखने की मांग हाल में की गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां। जांच करने से पता चला है कि मऊरानीपुर में इमारतें नाकाफी और असुरक्षित हैं। इसलिये नई इमारतें बनवानी पड़ेंगी। परन्तु आर्थिक कठिनाईयों के कारण निकट भविष्य में इस योजना को कार्यान्वित करना सम्भव न होगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास योजना की कुछ इमारतें खाली पड़ी हैं और पास ही के डाक बंगले खाली पड़े हैं, तो वहां यह कार्यालय खोलने में क्या दिक्कत होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कमिश्नर के जरिये जांच कराई थी। जितनी इमारतें वहां खाली पड़ी हैं या पास में मिल सकती हैं उनको देखने के बाद यह नतीजा निकला कि जो हैं वह कम हैं और दूसरी जो हैं वह टूटी-फूटी हैं, उनकी मरम्मत के लिये बहुत रुपया चाहिये। इस वक्त वह सुरक्षित भी नहीं हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कुछ वर्ष पूर्व एस० डी० ओ० मऊगरोठा का ट्रान्सफर सिर्फ इसलिये किया गया था कि उस वक्त उनके बच्चों के पढ़ने के लिये वहां पर कोई हाईस्कूल नहीं था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे पता नहीं है लेकिन आप ठीक ही कहते होंगे।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश था कि जिस तहसील में राष्ट्रीय प्रसार योजना हो वहां पर डिप्टी कलेक्टर का हेड क्वार्टर होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोशिश इस बात की की जाती है। अगर इमारत न हो तो इस वक्त इमारत बनाने के लिये हमारे पास रुपया नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां विकास विभाग की जो इमारतें खाली पड़ी हुई हैं उनमें एस० डी० ओ० का कार्यालय कायम करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—खाली पड़ी हों या भरी, कमिश्नर का कहना है कि वहां काफी इमारतें नहीं हैं और इसलिये इस वक्त वहां कार्यालय नहीं जा सकता।

*२५—**श्री गनेशीलाल चौधरी**—[१२ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८८ के अंतर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२६-२८—श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२९-३१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये]

*३२—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३३-३४—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३५—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३६—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३७-३८—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३९-४०—श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४१—श्री खूबसिंह—[नवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४२—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३—श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४४—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—[हटा दिया गया ।]

*४५—श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)—[हटा दिया गया ।]

*४६—श्री भजनलाल—[२८ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

रोडवेज यूनियन, आजमगढ़ की तरफ से कर्मचारियों के बकाया वेतन के लिये ए० जी० म० व जी० एम० गोरखपुर के पास आवेदन-पत्र

*४७—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या रोडवेज यूनियन, आजमगढ़ ने सन् १९५४-५५ तक व १९५६-५७ के लिये १०२ रोडवेज कर्मचारियों को बकाया वेतन की प्राप्ति के लिये ए० जी० म० व जी० एम०, गोरखपुर के पास आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सीताराम—सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि सूचना के एकत्र हो जाने के बाद क्या उसे सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो नियम है ही ।

*४८-४९---श्री मदन पांडेय---[हटा दिये गये ।]

हरदुआगंज में चीनी मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में जानकारी

*५०---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरदुआ गंज में जिन उद्योगपतियों को चीनी मिल खोलने का लाइसेंस मिला था वहां चीनी मिल नहीं खोलना चाहते हैं ?

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---अभी निश्चयपूर्वक बताना सम्भव नहीं है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह निश्चय कब-तक हो सकेगा और यदि इस स्थान पर यह चीनी मिल खोलना संभव न हो तो क्या सिकन्दराराऊ या हाथरस जंक्शन पर यह मिल खोलने के लिये सरकार विचार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अभी मिल वालों से बातचीत चल रही है । कुछ तहकीकात की गई है, उसके आने के बाद ही निश्चय किया जा सकता है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह लाइसेंस कब स्वीकृत हुआ था और किन कारणों से यह मिल अभी तक नहीं खोली जा सकी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस कंपनी के पास दो मिलें हैं । एक उनमें से बेकार थी, तो वह चाहते थे कि हरदुआगंज में इसको लगा दिया जाय । वहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कोई शैडो बिल्डिंग है, उसके मिलने की बात उनको थी, लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उस बिल्डिंग को देने से इन्कार कर दिया । उन्होंने अपने प्लान्ट को कुछ दिन वहां पर चलाया और वह चला । तो अब वह अपनी इमारत बना कर हरदुआगंज में अपनी मिल चलायेंगे, यह बात उनसे की जा रही है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कौन उद्योगपति हैं कि जिनको हरदुआगंज में लाइसेंस दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह नवाबगंज शुगर मिल गोंडा के पास दो प्लान्ट हैं । उन्हीं का सवाल था ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---यह मिल कितना गन्ना पेरने की कैपेसिटी की होगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन उद्योगपति ने अपना यह प्लन्ट यहां से मद्रास ले जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं । यह तो हरदुआगंज की बात है ।

*५१-५३---श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---[स्थगित किये गये ।]

हल्द्वानी रोड बस स्टेशन से आमदनी

*५४---श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हल्द्वानी, जिला नैनीताल के रोडवेज बस स्टेशन से राज्य को कितनी सालाना औसतन आमदनी होती है ?

डाक्टर सीताराम---हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से रु० ८,५६,४६२.४६ न पैसे की सालाना औसत आमदनी होती है ।

श्री केशव पांडेय---क्या माननीय परिवहन मंत्री जी हल्द्वानी स्टेशन पर इतनी आमदनी को देखते हुये इसे एक स्वतंत्र रीजन बनाने की सोच रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम---यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री केशव पांडेय---क्या हल्द्वानी स्टेशन पर मंत्री जी मुसाफिरों के लिये कुछ सुविधायें देने के आदेश कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम---करीब-करीब व्यवस्था है ।

*५५-५६---श्री रामसुन्दर पांडेय---[स्थगित किये गये ।]

मेरठ जिले में बस व ठेलों के परमिटों की स्वीकृति

*५७- श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)---क्या परिवहन राज्य-मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ जिले में सन् १९५६-५७ में कितने नये परमिट बस और ठेलों को चलाने के लिये मंजूर किये गये ?

डाक्टर सीताराम---मेरठ रीजन में सन् १९५६-५७ में कुल ६ परमिट दिये गये जिनमें से ३ स्टेट कैरिज और ३ पब्लिक कैरियर के हैं ।

श्री रामजीलाल सहायक---क्या मंत्री जी कृपाकर बतलायेंगे कि ये परमिट नये लोगों को दिये गये हैं या पुरानों को ?

डाक्टर सीताराम---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन ६ परमिट पाने वालों में कोई हरिजन भी हैं ?

डाक्टर सीताराम---एक नाम ऐसा मालूम होता है जो कि हरिजन हो सकता है । वैसे नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामजीलाल सहायक---मंत्री जी इन ६ परमिट वालों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम---सवारी मोटर गाड़ी के परमिट इनको दिये गये ---

१---श्री प्रागदास आत्मज श्री जुगलकिशोर, फरीदनगर, जिला मेरठ ।

२---सर्वश्री वैदसिंह एवं सोहनवीर सिंह आत्मज क्रमशः श्री भगवानसिंह एवं चौधरी अत्तर सिंह, शामली मोटर स्टैन्ड, मुजफ्फरनगर ।

३---पं० पारसराम आत्मज पं० ऋषीराम, अम्बाला रोड, सहारनपुर ।

जनभार वाहन परमिट इनको दिये गये--

१---सर्वश्री रतनचन्द्र, फतेहचन्द्र मार्फत महावीर मोटर स्टोर्स, ऋषीकेश, जिला देहरादून ।

२---श्री रतनचन्द्र आत्मज श्री चिरंजीलाल, ऋषिकेश, जिला देहरादून ।

३---श्री पूरनचन्द मित्तल आत्मज श्री काबुलसिंह, झिझाना, जिला मुजफ्फरनगर ।

श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)---परमिट किस आधार पर दिये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम---पब्लिक की सुविधा, डिसप्लेस्ड आपरेटर्स, इस कार्य का अनुभव और चौथी बात है, कोआपरेटिव्स को, इन आधारों पर दिये गये ।

श्री जगन्नाथ लहरी---जनभार वाहन में नं० १ और २ पर रतनचन्द्र नाम आया है, क्या एक ही व्यक्ति हैं या दो हैं ?

डाक्टर सीताराम---दो हैं ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या परिवहन मंत्री इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करेंगे कि ये परमिट्स कोआपरेटिव्स को ही दिये जायं ?

डाक्टर सीताराम---ये इंडियन मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ४८, ४९, ५०, ५२, ५३, ५४ और ५६ के अनुसार दिये जाते हैं। अलग से आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

*५८---श्री मदन पांडेय---[हटा दिया गया ।]

*५९---श्री राजेन्द्रसिंह---[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६०---श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---[हटा दिया गया ।]

*६१-६२---श्री बुलाकीराम---[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६३-६७---श्री रामसुन्दर पांडेय---[हटा दिये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

१---श्री भजनलाल---[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

'टाइम्स आफ इंडिया' और 'आज' में ८ सितम्बर की घटना के विषय में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में शिकायत

श्री अध्यक्ष---कल श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ ने शिकायत की थी कि "टाइम्स आफ इंडिया" दिल्ली, और "आज" वाराणसी, ने ८ तारीख को जो सदन में कार्यवाही हुई और उसके पश्चात् सदन के स्थगित होने पर जो घटनायें हुई उनके संबंध में जो इन अखबारों ने बड़े-बड़े अक्षरों में खबरें छापीं, उनके बारे में उनको आक्षेप खास है । यह उन्होंने मुझे पत्र लिखा है :---

"कल दिनांक ९-९-५८ को माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप वर्मा की शिकायत पर कि माननीय राजनारायण तथा उनके साथियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने अभद्र व्यवहार किया, आपने आश्वासन दिया था कि आप मेरे पास इस सम्बन्धी जो भी शिकायतें हों लिखकर भिजवा दीजिये, मैं इन सबकी जांच करूंगा । फिर भी, सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय श्री राजनारायणसिंह, रामसिंह चौहान तथा श्री जंगबहादुरसिंह के संबंध में जो बड़ी बड़ी हैड लाइन्स में खबरें छपी हैं, जैसे "U. P. Socialist Leader thrown out on Pavement." "In riot conditions, a Platoon of steel-helmeted, six-footer P. A. C. (Provincial Armed Constabulary) men drove out from the Vidhan Sabha 13 Socialist legislators punching and kicking them, etc." इसी प्रकार की और भी पंक्तियां टाइम्स आफ इंडिया के ९-९-५८ के पत्र में प्रथम पृष्ठ पर छपी हैं । 'आज' में भी इसी प्रकार की जो पंक्तियां छपी हैं जिन पर मैंने अन्डरलाइन कर दिया है और मैं इन पत्रों की एक एक प्रति आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं ।

इस संबंध में उचित कार्यवाही करने तथा प्रेस रिपोर्टर्स को भी चेतावनी देने के लिये मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं ।"

(श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ से)---"आज" के संबंध में इस पत्र में, आपने कुछ नहीं लिखा है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---उसकी पंक्तियों पर मैंने लाइन कर दी है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन पत्र में आपने कुछ नहीं लिखा है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---मैं फिर से दोहराता हूं कि उसे शामिल कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप का मतलब यह है कि इन दो पत्रों के बारे में देख लिया जाय ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---जी हां।

श्री अध्यक्ष---जहां तक वर्तमान पत्रों का संबंध है, मेरी सदैव यह नीति रही है कि जो घटनायें यहां पर हों उन्हें उनके बारे में स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने का अधिकार होना चाहिये। जो यहां पत्रों के प्रतिनिधि बैठते हैं उनके अपने तरीके विभिन्न रहते हैं। उसके अनुसार रिपोर्ट के शब्दों में कुछ भिन्नता भी हो सकती है, लेकिन यह बात मुझे ऐसी दिखाई देती है इनके पढ़ने से जिन्हें मैंने पूरे गौर से पढ़ लिये हैं कि 'टाइम्स आफ इंडिया' में जो खबर के ऊपर हेडिन्ग दिया है, उससे किसी को यह भ्रम हो सकता है कि यू० पी० सोशलिस्ट पार्टी लीडर को सदन के बाहर निकाल दिया और उनकी तरफ से कोई नाजायज हरकत नहीं हुई या उनके द्वारा कोई गड़बड़ी न करते हुए उनके साथ कोई ज्यादती कर दी गई और वह उठाकर फेंक दिये गये, इस तरह की उक्त हेडिंग से प्रतिध्वनि आती है। अगर कोई हेडिन्ग ही पढ़े और बहुत से लोग डिटेल पढ़ते भी नहीं हैं तो उसे ऐसा ख्याल हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि जब पत्रकार इस प्रकार की खबर दें और यदि वे समझते हैं कि पार्लियामेंटरी पद्धति का इस देश में गहरा स्थान होना चाहिये और उसे कायम रहनी चाहिये, तो जो कुछ सूचना वह दें, उन्हें सदैव खयाल रखना चाहिये कि खबरें अतिरंजित न हों और उस पद्धति को ठेस न पहुंचे। अगर केवल यही बात होती कि सोशलिस्ट नेता बिलकुल निर्दोष होते और उनको सदन से बलपूर्वक निकाल दिया होता तो पत्रकार के हेडिंग में कोई कसूर न होता, और ऐसी हालत में उन्होंने वैसा हेडिंग दिया होता तो मुझे भी कोई आपत्ति न होती। क्योंकि जो घटना सत्य है उसको प्रकाश देने में किसी को कोई आक्षेप नहीं होना चाहिये। सत्य की शक्ति जबरदस्त है, वह स्वयं प्रकाश है, उसके प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता।

उक्त अखबार में यद्यपि इस तरह से हेडिंग दिया भी हुआ है तो भी उसके अन्दर जो कुछ ब्यौरा घटना का दिया हुआ है उसमें सत्य नहीं छिपाया गया है। उससे स्पष्ट मालूम हो जाता है कि श्री राजनारायण जी ने किस प्रकार का आचरण किया इस सदन में। उसमें लिखा हुआ है कि वे डायस पर यहां आ गये और यहां लेट भी गये और वहां पर उनके द्वारा भाषण भी दिया गया। इस प्रकार अखबार ने ब्यौरे में बहुत कुछ सत्य बातें प्रकाशित की हैं।

जहां तक राजनारायण जी के भाषण का संबंध है, मैंने वर्तमान पत्र प्रतिनिधियों को बुला कर यह जरूर कहा था कि सदन के स्थगित हो जाने के बाद जो भी भाषण होता है वह 'अनअथोराइज्ड' होता है। यहां जो भी पत्रकार आते हैं वे सदन की कार्यवाही को सुनकर रिपोर्ट करने के लिये आते हैं। तो जब मैंने सदन को स्थगित कर दिया, तब अगर कायदे के विरुद्ध कोई भाषण यहां करता है, उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिये। अभी मेरे पास 'टाइम्स आफ इंडिया' के प्रतिनिधि आये थे उन्होंने कहा कि कल तक उन्हें मेरी आज्ञा का पता नहीं था। हो सकता है उनको न मालूम हों क्योंकि मैंने केवल २--३ पत्रकारों को बुलाया था और मैं समझता था कि उनके जरिये सब को मालूम हो जायगा। लेकिन सब को मालूम नहीं हुआ। चूंकि उनको यह मालूम नहीं हुआ कि उनको इस तरह से रोका गया है, इसलिये उक्त भाषण का अंश छप जाना क्षम्य हो जाता है।

एक चीज और भी कह देना चाहता हूं, यद्यपि यह बात वाशिष्ठ जी के आक्षेप में नहीं उठायी गयी लेकिन टाइम्स की खबर को पूरा पढ़ने के बाद मुझको यह मालूम होता है कि इसमें जो रिपोर्ट दी है उसमें एक जगह पर यह लिखा हुआ है "The Speaker—Please get out of the House" मेरे मुंह में यह शब्द डाल दिये गये हैं कि स्पीकर ने कहा कि "Get out of the House"। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पीकर ने कोई उक्त शब्दों में एक दम से निकल जाने का कह दिया। इस बारे में मेरा कहना यह है कि जब कभी इस प्रकार शब्द दिये जायं तो प्रत्यक्ष वही शब्द होने चाहिये या उन्हीं शब्दों का ठीक वैसा ही ट्रान्सलेशन होना चाहिये, जो कार्यवाही में दिये हुए हों। अगर पत्र प्रतिनिधि उन शब्दों को कार्यवाही में देखना चाहें तो उन्हें कार्यवाही देख लेना चाहिये, मैं इसकी इजाजत दे दूंगा। सब लोग जानते हैं कि चाहे कितनी भी सख्त कार्यवाही करूं, मैं सदैव यह कहता हूं "कृपया सदन को आप छोड़ दीजिये"। लेकिन इसका ट्रान्सलेशन यह नहीं है "Get out of the House"।

दूसरे कई आवश्यक बातें उक्त समाचार के ब्योरे में छोड़ दी गयी हैं। मसलन मैंने 'हाउस एडर्जन किया' यह चीज छोड़ दी गयी। इसमें लिखा है कि "जब अध्यक्ष ने सदन को छोड़ दिया" सदन को मैं अचानक थोड़े ही छोड़ देता हूं। उनको यह एडजर्नमेंट वाली बात दे देनी चाहिये थी। उन्होंने जो लिखा है उससे यह मालूम होता है कि अचानक मैंने सदन छोड़ दिया। एक के बाद एक घटना का उल्लेख होना चाहिये। मैं समझता हूं कि पत्रकार ने जानबूझकर यह हरकत नहीं की और न उनका इरादा गलत रिपोर्टिंग करने का ही था जब कि ब्योरा बहुतांश में सत्य था।

एक चीज और टाइम्स के समाचार में दी गयी है कि मार्शल ने राजनारायण जी के पास जाकर मेरी आज्ञा से उनकी स्लीव्ज को टच किया तो भी वे नहीं हटे। लेकिन अन्य वर्तमान पत्रों ने सही खबर दी है कि मैंने मार्शल को आज्ञा यह दी थी कि "नम्रतापूर्वक राजनारायण जी से प्रार्थना करो कि सदन को वह छोड़ दें।" इसमें "नम्रतापूर्वक" शब्द को पत्र प्रतिनिधि नोट कर लें। मार्शल ने मुझसे आज्ञा मांगी "क्या मैं शक्ति का उपयोग करूं?" मैंने कहा 'नहीं' पहले आप नम्रतापूर्वक राजनारायण जी से प्रार्थना करें कि वे सदन छोड़ दें। वे प्रार्थना करने गये, इस पर उन्होंने उनसे कहा "मैं सदन नहीं छोड़ूंगा, सम्पूर्णानन्द को तुम सदन छोड़ने के लिये कहो।" उन्होंने इस तरह के प्रत्युत्तर में शब्द कहना शुरू किया। इस पर फिर मुझसे मार्शल ने पूछा तो मैंने कहा कि सदन को १० मिनट के लिये स्थगित करता हूं। तो यह बातें टाइम्स के समाचार के ब्योरे में नहीं आई। ऐसे समाचार से बाहर के लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि अचानक यह चीज कर दी गयी। लेकिन नम्रतापूर्वक उनसे प्रार्थना करने की बात यदि समाचार में आ जाती तो इतना भ्रम कि लठबाजी हुई, इतना अत्याचार हुआ, यह चीज लोगों की कल्पना में नहीं आती और इसका महत्व लोगों को मालूम होता कि कैसे नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करने के बाद भी वे बराबर बोलते रहे और क्रोधायमान होते ही गये। उस पर मैंने अपने चेम्बर में जाकर वहां से उनको हटाने की आज्ञा दी। इसमें बहुत बातें डिटेल में दी गयी हैं कि राजनारायण जी का क्या आचरण हुआ, उसके लिये तो मैं यह कहूंगा कि वे बहुतांश में ठीक हैं। 'टाइम्स आफ इंडिया' के प्रतिनिधि ने उनको आब्जर्व कर लिया और उनको प्रकाशित कर दिया।

एक बात पर भविष्य में अवश्य विचार होना चाहिये कि जो अध्यक्ष के शब्द हुआ करें, अगर वैसे के वैसे उन्हें समाचार में देना हो तो पत्र प्रतिनिधि कार्यवाही जरा देख लें और हमारे सचिव से वे जांच करा लें कि सही शब्द क्या थे और वे ही शब्द वे समाचार में दें। या यदि कार्यवाही नहीं देखते तो फिर स्टेटमेंट इस तरह का होना चाहिये कि अध्यक्ष ने इस तरह की एक बात कही, परन्तु ऐसी अवस्था में अपने मन से किसी वाक्य या शब्द को अध्यक्ष के मुंह में न डालें। इतनी ही बात मैं पत्र प्रतिनिधि से इस विषय में कहना चाहता हूं और माननीय नन्दकुमार देव वाशिष्ठ से भी यह कहूंगा कि बात ठीक है कि इस तरह के

[श्री अध्यक्ष]

हेडिंग अखबारों में नहीं आने चाहिये लेकिन आजकल के जमाने में थोड़ी सी हमको सब तरह की बातें सहन करने की आदत भी डालना चाहिये यानी हमको "स्किन थिक" होना चाहिये । पुराने जमाने में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ट्रेडिशन था कि वहां तो अखबारों को रिपोर्टिंग करने की इजाजत ही नहीं थी । आज समय के अनुसार वे भी बदलते जा रहे हैं । पहले तो अखबारों को इजाजत ही नहीं थी छापने की लेकिन वहां भी समय की गति से उन्हें बहुत सी स्वतंत्रता दी गयी है । उसी तरह से अपने देश में यहां की परिस्थिति के अनुसार स्वतंत्रता अखबारों को अधिक है । थोड़ी हेडिंग वगैरह सख्त भी हो तो भी व्योरा बहुतांश में सत्य दिया गया हो तो वह तो मैं समझता हूं उससे सत्य छिप नहीं सकता, इस बात पर हमें विश्वास रखना है । हम लोगों को अब इससे अधिक और कार्यवाही करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, केवल सुझाव मैं दे देता हूं और हम विश्वास रखते हैं कि वर्तमान पत्रों की नीति यह सदैव रहेगी कि हमारे यहां की पार्लियामेंटरी जनतंत्र की पद्धति को किसी तरह से उनकी गलत या त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग से ठेस न पहुंचेगी । थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण हेडिंग की बात तो मैं देखता हूं तो जैसा कि मैंने अभी इशारा किया कि हम लोगों को थोड़ी सी ऐसी बात सहन करनी चाहिये । इससे अधिक सूचना देने की मेरे लिये जरूरत नहीं है ।

अब मैं एक बात और कह कर खत्म करता हूं । दूसरी ओर से मेरे पास यह शिकायत की गयी है कि पुलिस ने श्री राजनारायण और उनके साथियों को हटाने में कुछ अधिक शक्ति का उपयोग किया है । इस तरह की जब शिकायत हुई और कुछ अखबारों ने समझा कि पुलिस ने ज्यादती की तो इस प्रकार उसका समाचार दिया गया जिसमें ज्यादती की ध्वनि रिपोर्टिंग से दिखलायी । मैंने शिकायत होने पर तत्काल उसी रोज बहुत स्पष्ट कर दिया था कि मैं जांच करूंगा, जांच करने के बाद जो रिपोर्ट होगी, मैं, आशा करता हूं कि उसको सदन में प्रकाशित कर दिया जायगा । इसलिए फिलहाल अगर गलत कोई रिपोर्टिंग हो गई हो तो उसको पत्रकार बाद में सही कर लेंगे । क्योंकि जिन्होंने घटना देखी उनमें दो तरह के मत हैं, एक तो यह है कि पुलिस की तरफ से कोई ज्यादती नहीं हुई बल्कि जो लोग यहां पर हट नहीं रहे थे उनकी तरफ से ज्यादती हुई । यह भी तो एक शिकायत है कुछ लोगों की तरफ से कि श्री राजनारायण या उनके साथियों ने बहुत अपनी शक्ति का प्रयोग किया न हटने के लिये इत्यादि बहुत सी उनकी शिकायत की बातें हैं । तो दोनों तरफ की शिकायतों की बातें मैं समझता हूं कि ज्यादा अखबारों में छापनी नहीं चाहिये क्योंकि ये प्रश्न इन्क्वायरी में आ गया है और जो उसकी जांच होगी, यदि माननीय सदस्य जिन्होंने शिकायत की है वह सबूत देने के लिये तैयार हैं । तो मैं उसे शीघ्र ही करके रिपोर्ट दे दूंगा । लेकिन अगर वे फिलहाल आ नहीं रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद आयेंगे । जिससे थोड़ी सी उसमें देर हो जायगी ।

अब इसके बाद मैं समझता हूं कि आगे की कार्यवाही होगी ।

मुख्य मंत्री द्वारा विरोधी पक्ष से सहयोग की अपील के सम्बन्ध में जानकारी

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--मैं एक सूचना चाहता हूं । आज के समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने विरोधी पक्ष से पुनः सहयोग की अपील की है । तो मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह सहयोग की अपील क्या है और विरोधी पक्ष के लोग किस प्रकार उसके लिये सहयोग देने के लिये कटिबद्ध हों, यह बताने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, कोई भी गवर्नमेंट कभी इस बात को नहीं चाह सकती कि प्रदेश में अशान्ति की स्थिति हो । मैं शुरू में हमेशा सहयोग की अपील करता आया हूं । इस वक्त भी कर रहा हूं और करता रहूंगा । लेकिन जिन लोगों ने इस संबंध में मुझसे बात की उनसे मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जब मैंने सहयोग की अपील

की तो उसके बाद ही प्रदेश में कई प्रकार के आन्दोलन छेड़ दिए गए। जिस वक्त तक कि इस प्रकार के आन्दोलन चलते रहेंगे उस वक्त तक मेरा अपील करना न करना बेकार है। वह परिस्थिति कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती जिसमें कि सचमुच सहयोग से कार्य करके कोई काम हो सके। अगर कोई पार्टी ऐसी है जो कि सचमुच सहयोग का जवाब सहयोग से देना चाहती है तो उस पार्टी को सबसे पहले इस किस्म के किसी काम से, किसी प्रकार के आन्दोलन से अलग होना होगा।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५८, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ६ अगस्त, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २५ अगस्त, १९५८ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ९ सितम्बर, १९५८ को प्राप्त हो गई और वह १९५८, का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया।

जौनसार बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा--मैं घोषणा करता हूं कि जौनसार बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५८, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ जुलाई, १९५८ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ अगस्त, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ९ सितम्बर, १९५८, को प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७

खंड ५१३ (क्रमागत)†

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)--श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय मैंने जो अमेंडमेंट कल प्रस्तुत किया था वह सिर्फ शाब्दिक था। चूंकि डिस्ट्रेस लब्ज के माने कुर्की नहीं होते हैं और कुर्की खुदअख्तयारी इतना बड़ा लब्ज हो जाता है इसलिये इसकी जगह अभिहरण लब्ज रख दिया जाय, इससे वही मतलब निकल आयेगा।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--श्रीमन्, जहां तक इस प्रस्ताव की भावना का ताल्लुक है उसमें मेरी हमदर्दी है। लेकिन जिस भाषा में यह रखा गया है वह हमारे परपज को हल नहीं करती है। तो मैंने अभी प्रार्थना की है कि अगर इसको इस समय छोड़ दें, थोड़ी देर के लिये ..... नहीं श्रीमन्, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई, वह दूसरा संशोधन उन्होंने दिया है। इसके सिलसिले में तो मैं कल कह ही चुका था कि यह हमें स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५१३ की पहली पंक्ति में शब्द "विरुद्ध" के पश्चात् शब्द "कुर्की (distress)" के स्थान पर शब्द "अभिहरण (distress)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५१३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†१० सितम्बर, १९५८ की कार्यवाही से।

खंड ५१४

शुल्क व व्यय (costs)। शुल्क

५१४—(क) धारा ५०२ के अधीन जारी की गयी प्रत्येक नोटिस

(ख) धारा ५०३ के अधीन की गयी प्रत्येक कुर्की (distress) शुल्क, तथा

(ग) उक्त धारा के अधीन अधिग्रहीत (seized) पशुधन के रख रखाव के व्यय (costs),

राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट दरों से वसूल किये जा सकेंगे (shall be chargeable) तथा उन्हें धारा ५०३ के अधीन आदेय (to be levied) वसूली के व्ययों में सम्मिलित किया जायगा।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि (१) खंड ५१४ के भाग (ख) में संख्या "५०३" के स्थान पर संख्या "५०५" रक्खी जाय।

(२) भाग (ख) में शब्द 'की गई प्रत्येक कुर्की' के स्थान पर शब्द 'किये गये प्रत्येक अभिहरण' रख दिये जायं।

श्रीमन्, जहां तक पहले संशोधन का ताल्लुक है वह तो छपने की गलती मालूम होती है। वहां ५०३ के स्थान पर ५०५ होना चाहिये और जो दूसरा संशोधन है वह वैसा ही है जैसा मैंने खंड ५१३ में मूव किया था। आशा है मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—दोनों संशोधन मुझे स्वीकार हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

(१) खंड ५१४ के भाग (ख) में संख्या "५०३" के स्थान पर संख्या "५०५" रक्खी जाय।

(२) भाग (ख) में शब्द "की गई प्रत्येक कुर्की" के स्थान पर शब्द "किये गये प्रत्येक अभिहरण" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५१४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५१५

अपवाद।

५१५—इस अधिनियम के अधीन कोई भी कुर्की (distress) कुर्की (attachment) या विक्रय अवैध नहीं समझा जायगा और न उसके अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति बिल, नोटिस, कुर्की (distress) के वारन्ट, सूची (inventory) या तत्सम्बन्धी कार्यवाही में कोई त्रुटि या कमी (defect or want) होने के कारण अनधिकार प्रवेश करने वाला (trespasser) ही समझा जायगा।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ५१५ को पहली पंक्ति में शब्द 'कोई भी कुर्की' के स्थान पर शब्द 'कोई भी अभिहरण' रख दिये जायं तथा तीसरी पंक्ति में शब्द 'नोटिस' के पश्चात एक कामा लगा कर शब्द 'कुर्की' के स्थान पर शब्द 'अभिहरण' रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह भी वैसा ही संशोधन है जो कि खंड ५१३ और ५१४ में था। मुझे आशा है मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मुझे स्वीकार है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं डालनी है। लेकिन इतना कहना है कि जैसा खंड ५१३ में (distress) शब्द ब्रैकिट में रख दिया गया है वैसे ही यहां भी रख दिया जाय तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी। मेरा विचार है मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, ऐसा है दो शब्द अलग-अलग हैं (attachment) और (distress)। तो एक के लिये कुर्की शब्द आता है और एक के लिये अभिहरण आता है। तो जिस जगह (distress) रखा है उसी तरह से उसका करसपॉन्डिंग अभिहरण.....

श्री अध्यक्ष---यानी कुर्की (attachment) के संबंध में लिखा गया है और अभिहरण (distress) के लिये। तो जब एक दफा स्पष्ट हो गया तो सब जगह वैसा ही रहेगा।

प्रश्न यह है कि खंड ५१५ की पहली पंक्ति में शब्द "कोई भी कुर्की" के स्थान पर शब्द "कोई भी अभिहरण" रख दिये जायं तथा तीसरी पंक्ति में शब्द "नोटिस" के पश्चात् एक कामा लगा कर शब्द "कुर्की" के स्थान पर शब्द "अभिहरण" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५१५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५१६

ऐसे देयों (dues) की वसूली जिनके संबंध में घोषणा की जा चुकी है वे कर के रूप में वसूल किये जा सकते हैं।

५१६---कोई नगरपालिका देय धनराशियां (dues) जिनके संबंध में इस अधिनियम, या नियमावली या उपविधियों द्वारा यह घोषणा की जा चुकी है कि वे इस अध्याय में उपबन्धित रीति से वसूल किये जा सकते हैं, कमिश्नर द्वारा यथासंभव धारा ५०० से ५१० तथा ५१२ से ५१५ तक के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार वसूल की जायेंगी मानो वे कोई कर हों।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५१६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५१७

कुछ धाराओं के अधीन म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा सामानों के हटाये जाने के सम्बन्ध में व्ययों की वसूली ।

५१७--(१) म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा किये गये कोई व्यय जो धारा २९३ या धारा २९९ की उपधारा (३) के अधीन कोई सामान हटवाने में या धारा २८९ की उपधारा (२) या धारा २९० की उपधारा (३), या धारा ३०० या धारा ३०२ की उपधारा (३) या धारा ३०३ की उपधारा (३) या धारा ३२८ के अधीन जारी किये गये लिखित नोटिस के अननुपालन होने की दशा में, धारा ५५३ के अधीन, कोई सामान को हटाने (removals) में किये गये हों तथा उपधारा (२) में निर्दिष्ट अन्य सभी व्ययों और परिव्यय (charges) यदि कोई हों, उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, हटाये गये सामान की बिक्री से वसूल किये जा सकेंगे, तथा यदि ऐसे सामान की बिक्री से प्राप्त धन यथेष्ठ न हो तो उक्त सामान का स्वामी शेष धन का भुगतान करेगा ।

(२) यदि सामान हटाने का व्यय किसी भी दशा में सामान की बिक्री से पहले अदा कर दिया जाय तो म्युनिसिपल कमिश्नर सामान को उसके मालिक को वापस कर देगा यदि उस सामान का स्वामी उसके बिकने अथवा अन्य रूप से निस्तारित होने से पूर्व, तथा म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा तदर्थ, अथवा अभिप्रेत (intended) विक्रय अथवा निस्तारण के संबंध में किये गये समस्त व्यय, तथा अन्य ऐसे समस्त परिव्यय (charges), यदि कोई हों, जिन्हें म्युनिसिपल कमिश्नर सामान को जमा रखने (storage) के कारण निश्चित करे, अदा करने के पश्चात्, उस सामान को वापस लेने के संबंध में दावा करे ।

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन सामान स्वामी को वापस न किया जाय तो म्युनिसिपल कमिश्नर उसे नीलाम द्वारा बेच देगा या अन्य ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जिसे वह उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सामान शीघ्र नष्ट होने वाला है तो उसे तुरन्त बेचा या निस्तारित किया जा सकता है और यदि शीघ्र नष्ट होने वाला नहीं है तो हटाये जाने के दिनांक से एक महीने के भीतर यथासुविधा बेचा या निस्तारित किया जायगा, चाहे सामान को हटाने का व्यय तथा उनसे जमा रखने आदि के संबंध में परिव्यय, यदि कोई हों, इसी बीच में अदा कर दिये जांय या न कर दिये जांय तथा विक्रय अथवा अन्य प्रकार के निस्तारण से प्राप्त धन यदि कोई हो और यदि आवश्यक हो तो, सामान हटाने तथा उनसे जमा रखने (storage) से सम्बद्ध परिव्यय (charge) नगरपालिका निधि में जमा किये जायेंगे तथा निगम की संपत्ति होंगे ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५१७ के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "३०३ की उपधारा (३)" के स्थान पर शब्द "३०३ की उपधारा (१)" रखे जायं ।

श्रीमन्, धारा ३०३ की उपधारा (१) ही होनी चाहिये लेकिन छापने की गलती से उपधारा (३) हो गयी है । आशा है माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५१७ के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "३०३ की उपधारा (३)" के स्थान पर शब्द "३०३ की उपधारा (१)" रखे जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५१७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५१८

इस अधिनियम के अधीन वसूल ने योग्य व्यय मांग करने पर अदा किये जायेंगे और यदि मांग करने पर अदा न किये जांय तो वे सम्पत्ति कर की बकाया की भांति वसूल किये जायेंगे ।

५१८—(१) यदि इस अधिनियम, किसी नियम अथवा उपविधि के अधीन म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा धारा ११६ में एतदर्थ अधिकृत किसी नगर-पालिका पदाधिकारी द्वारा अथवा उसकी आज्ञा के अधीन कोई निर्माण-कार्य (work), कार्य (measure) या बात (thing) सम्पादित की गई हो और उसके व्ययों का भुगतान किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना हो तो मांग करने पर ऐसे व्यय देय (payable) होंगे ।

(२) यदि उक्त व्यय मांग करने पर अदा न किये जांय तो वे धारा ४७७ की उपधारा (३) तथा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा बाकीदार की चल सम्पत्ति की कुर्की, खुदअख्तयारी तथा बिक्री द्वारा, या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा उसी प्रकार वसूल किये जा सकेंगे, मानों वे बाकीदार द्वारा देय सम्पत्ति-कर हों ।

(३) म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा उपधारा (१) के अधीन व्ययों के भुगतान की मांग करने पर यदि उसके इस प्रकार मांग प्रस्तुत करने के अधिकार या मांगी हुई धनराशि के संबंध में अथवा म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा धारा ३०५ की उपधारा (२) के अधीन कोई अस्थायी कार्य सम्पादित करने की दशा में इस अस्थायी कार्य की आवश्यकता के संबंध में कोई विवाद खड़ा कर दिया जाय, तो म्युनिसिपल कमिश्नर निर्धारण के लिये उसे जज के पास भेज देगा ।

(४) म्युनिसिपल कमिश्नर जज का निर्णय होने तक अपने द्वारा अभियाचित (claimed) धनराशि की वसूली से संबद्ध आगे की कार्यवाहियों को रोक देगा, तथा निर्णय के पश्चात्, धारा ४७७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये केवल ऐसी धनराशि, यदि कोई हो, वसूल करने के संबंध की कार्यवाही करेगा, जो निर्णय द्वारा देय (due) धनराशि निर्धारित की जाय ।

श्री लक्ष्मी नारायण बंसल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि (१) खंड ५१८ के उपखंड (१) में शब्द 'नियम' के पश्चात् एक ',' लगाकर शब्द 'विनियम' जोड़ दिया जाय ।

(२) उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाय :

"(२) यदि उक्त व्यय मांग करने पर अदा न किये जायं तो वे इस धारा की उपधारा (४) तथा धारा ४७७ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा बाकीदार की चल सम्पत्ति का अभिहरण (distress) तथा बिक्री द्वारा, या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा उसी प्रकार वसूल किये जा सकेंगे मानों वे बाकीदार द्वारा देय सम्पत्ति कर हों ।"

श्रीमन्, इस संशोधन को पेश करने का आशय यह है कि अगर कोई बकाया निगम का किसी शख्स के जिम्मे रह जाता है तो उसमें म्युनिसिपल कमिश्नर को यह अधिकार है कि उसकी चल व अचल सम्पत्ति द्वारा वसूल करे, लेकिन ४७७ की उपधारा (३) में यह दिया हुआ है कि यदि उसके विरुद्ध कोई अपील करना चाहे तो वह जिला जज के यहां अपील कर सकता है । ऐसी सूरत में अगर किसी ने अपील कर रखी है तो जब तक उसकी अपील का फैसला न हो जाय तब तक उसकी चल व अचल सम्पत्ति का नीलाम नहीं होना चाहिये । लेकिन कहीं-कहीं यह देखा जाता है कि कुछ म्युनिसिपल अधिकारी पार्टीबन्दी में पड़कर, किसी को परेशान करने के खातिर चल या अचल सम्पत्ति का नीलाम कर देते हैं जब कि उसकी अपील का कोई फैसला भी नहीं हो जाता। इसलिये कर दाताओं की सुरक्षा के लिये यह बहुत आवश्यक है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---]

ताकि कोई म्युनिसिपल अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके जनता को कष्ट न पहुंचाये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता-पूर्वक आपका ध्यान इस असेम्बली की भाषा सम्बन्धी त्रुटियों की ओर दिलाना चाहता हूं। राष्ट्र-भाषा हिन्दी का क्षेत्र अब बहुत बढ़ गया है। कुछ हिन्दी जानने वाले हैं वे जो हिन्दी नये तरीके से सीख रहे हैं उनमें उसके ग्रहण करने में कुछ दोष भी आ जायेंगे। जैसे शब्द "तुरन्त" है। यह असल में "तुरन्त" है। अगर "तुरन्त" छपता है तो अर्थ विपरीत हो जाता है। संस्कृत में यह "त्वरित" है। इसी तरह से जैसे इसमें "मांग" शब्द आया है। "जाय" यह "जायन्" भी हो सकता है। ऐसे ही शब्द "मांग" है। ऐसी अनेक त्रुटियां हैं। तो यह सुधार आसानी से किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, मिश्र जी के व्याकरण के ज्ञान की निस्बत तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो मामूली हिन्दी पढ़ा-लिखा हूं। लेकिन जहां तक इसके भावार्थ का ताल्लुक है उसमें मुझको तो कोई ऐसी गलती नहीं मालूम पड़ती जिससे कि इसकी मंशा खब्त हो जाय, या कोई दूसरा मंशा निकल सके।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कौन-सी गलती बतायी ?

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---मेरी समझ में तो खुद ही नहीं आया, लेकिन इसका भावार्थ वही निकलता है जो उसमें दिया हुआ है। अगर माननीय मिश्र जी कोई ऐसी गलती बतलाने की कृपा करें तो मैं उस पर पुनः विचार कर सकता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, भाषा का दोष हटाने का अधिकार तो आपको पूर्णतया है, लेकिन चूंकि यह विषय उठाया गया, इस विषय में कल भी एक चीज आयी थी कि राज्य आयोग की बाबत कि "राजकीय" हो या "प्रादेशिक" हो। जो हिन्दी वर्जन है कांस्टी-ट्यूशन का उसमें जो शब्द आये हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिला दूं, वह आये हैं "राज्य आयोग" स्टेट कमीशन के लिये और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये "राज्य का लोक सेवा आयोग"।

श्री अध्यक्ष---वह आया है तो ठीक है, लेकिन आप इस संशोधन को स्वीकार करते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५१८ के उपखंड (१) में शब्द "नियम" के पश्चात् एक " , " लगाकर शब्द "विनियम" जोड़ दिया जाय।

(२) उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाय---

"(२) यदि उक्त व्यय मांग करने पर अदा न किये जायं तो वे इस धारा की उपधारा (४) तथा धारा ४७७ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा बाकीदार की चल सम्पत्ति का अभिहरण (distress) तथा बिक्री द्वारा, या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा उसी प्रकार वसूल किये जा सकेंगे मानो वे बाकीदार द्वारा देय सम्पत्ति कर हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५१८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड ५१९

५१९—यदि धारा ५१८ में निर्दिष्ट व्यय किसी भवन या भूमि में, अथवा पर, या उसके संबंध में सम्पादित किये गये किसी निर्माण-कार्य या की गई किसी बात के संबंध में या किसी निजी सड़क से सम्बद्ध किसी भवन या भूमि के संबंध में किये गये किसी कार्य के फलस्वरूप देय हो, और बाकीदार ऐसे भवन-भूमि या उस भू-गृहादि का जो सड़क के सामने, उसके पार्श्व में, या उससे संलग्न हो, जैसी भी स्थिति हो, स्वामी है, तो सम्बद्ध धनराशि की किसी ऐसे व्यक्ति से मांग की जा सकती है जो उक्त व्ययों के भुगतान से पूर्व किसी भी समय उक्त स्वामी के अधिकाराधीन उस भवन, या भूगृहादि पर अध्यासित रहा हो, तथा यदि ऐसा व्यक्ति उस धनराशि को न दे तो वह उसकी चल-सम्पत्ति की कुर्की (distress) तथा विक्रय से अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय से उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानों वह धनराशि उसके द्वारा देय सम्पत्ति-कर हो :

यदि बाकीदार उस भू-गृहादि का स्वामी हो जिसके सम्बन्ध में व्यय देय हो, तो अध्यासी भी उस व्यय का देनदार होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) जब तक उक्त अध्यासी, म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा मांग करने पर, यह बात कि वह व्यक्ति उक्त भवन या भू-गृहादि के लिये कितना किराया देता है, तथा उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे किराया देय होता है, सच-सच बताने की उपेक्षा अथवा उससे इन्कार न करे तब वह अध्यासी उक्त व्ययों के रूप में उस धनराशि से अधिक का देनदार न होगा जो मांग करने के समय तक उसके द्वारा उस भवन, भूमि, या भू-गृहादि के किराये के रूप में उसके स्वामी को देय हो ; किन्तु इस बात को सिद्ध करने का भार उक्त अध्यासी पर ही होगा कि उससे मांगी गई धनराशि उसके द्वारा स्वामी को देय धन-राशि से अधिक है।

(ख) उक्त अध्यासी को यह अधिकार होगा कि यदि उसने उक्त व्ययों के कारण कोई धनराशि दी है अथवा कोई धनराशि उससे वसूल की गई है तो वह उसे स्वामी के हिसाब में से काट ले।

(ग) इस धारा की कोई बात उक्त किसी निर्माण-कार्य, बात या कार्य के व्ययों के बारे में उक्त अध्यासी तथा भवन, भूमि या भू-गृहादि के, जो उसके अध्यासन में है, स्वामी के बीच हुये किसी अनुबन्ध पर प्रभाव न डालेगी।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ५१९ की दसवीं पंक्ति में शब्द "की कुर्की" के स्थान पर शब्द "के अभिहरण" रख दिये जायं।

श्रीमन्, "कुर्की" के स्थान में पहले भी "अभिहरण" शब्द का प्रयोग किया गया है और सदन ने उसे स्वीकार कर लिया है, इसलिये मैं समझता हूं कि यहां भी इसे स्वीकार किया जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५१९ की दसवीं पंक्ति में शब्द "की कुर्की" के स्थान पर शब्द "के अभिहरण" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५१९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५२०-५२३

म्युनिसिपल कमिश्नर व्यय को किस्तों में लेने के लिये सहमत हो सकता है ।

५२०--उपर्युक्त व्ययों को पूर्वोक्तानुसार किसी रीति से वसूल करने के बजाय म्युनिसिपल कमिश्नर, यदि वह उचित समझे और स्थायी समिति की स्वीकृति से, उन व्ययों के देनदार व्यक्ति से अनुबन्ध कर सकता है कि वह व्यक्ति उस धनराशि को ऐसी किस्तों में तथा ऐसे कालान्तरों (intervals) में अदा करे, जिससे पूरी धनराशि उस ब्याज सहित जो उस पर ९ प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक ऐसी दर से लगाया जायगा जिसे कार्यकारिणी समिति समय-समय पर निश्चित करे, ५ वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर वसूल हो जाय ।

कुछ व्यय विकास व्यय घोषित किये जा सकते हैं ।

५२१--(१) इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में दिये गये (supplied) किसी सामान या संधायन (fittings) या उनमें, उन पर अथवा उनके सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी निर्माण-कार्य अथवा की गई किसी बात के सम्बन्ध में हुये व्यय जो उस भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी से वसूल किये जा सकते (recoverable) हों, विनियमों के अधीन रहते हुये विकास व्यय घोषित किये जा सकते हैं । यदि म्युनिसिपल कमिश्नर निगम की स्वीकृति से उन्हें इस प्रकार घोषित करना उचित समझे, और ऐसी घोषणा होने पर व्यय उक्त व्यय, तथा उपधारा (२) के अधीन उन पर देय ब्याज उन भू-गृहादि पर भार (charge) होंगे जिनके सम्बन्ध में अथवा जिनके लाभ के लिये वे व्यय किये गये हों ।

(२) विकास व्यय किस्तों में वसूल किये जा सकेंगे, जो किसी भी भू-गृहादि के लिये १२ रुपया प्रतिवर्ष से कम की न होगी । ये व्यय ऐसे कालान्तरों (intervals) में वसूल किये जायेंगे जिनसे वे, उस ब्याज सहित जो उन पर ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक ऐसी दर पर लगाया जायगा जिसे कार्यकारिणी समिति समय-समय पर निश्चित करे, ३० वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि में अदा किये जा सकेंगे जिसे प्रत्येक मामले में म्युनिसिपल कमिश्नर निगम के अनुमोदन से निर्धारित करे ।

(३) ऐसी किस्तें उस भू-गृहादि के, जिस पर व्यय और ब्याज भारित हों, अध्यासी द्वारा देय होगी, अथवा ऐसे व्ययों के भुगतान की निश्चित अवधि व्यतीत होने से पूर्व या ब्याज सहित उक्त धनराशि पूर्णरूप से अदा किये जाने के पूर्व उक्त भू-गृहादि के किसी भी समय अनध्यासित हो जाने की दशा में, उक्त किस्तें, भू-गृहादि के अनध्यासित रहने की अवधि तक उक्त भू-गृहादि के स्वामी द्वारा देय होंगी ।

विकास व्ययों का निश्चित अनुपात किराये में से काटा जा सकता है ।

५२२--(१) यदि कोई ऐसा अध्यासी, जिसके द्वारा कोई विकास व्यय अदा किये जाते हैं, ब्याज सहित भारित व्यय वाले किसी भू-गृहादि में किराये पर रहता हो तो उसे यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा भू-गृहादि के स्वामी को देय किराये में से पूर्वोक्त व्यय तथा ब्याज के रूप में किये गये भुगतानों के निमित्त किराये का तीन चौथाई भाग काट ले ।

(२) यदि वह भू-गृह का स्वामी (landlord), जिसके किराये में से ऐसी कटौती की जाय स्वयं ही उस भू-गृहादि के लिये जिसके सम्बन्ध में कटौती की जाती हो, किराये का देनदार हो, तथा वह भू-गृहादि उसके अधिकार

में ऐसी अवधि के लिये हो, जिसके २० वर्ष से अनधिक अव्यतीत हो चुके हों (किन्तु अन्यथा नहीं) तो वह अपने द्वारा देय किराये में से ऐसे अनुपात में कटौती कर सकता है जो अपने द्वारा देय और अपने को प्राप्य किराये में होता हो और यही क्रम एक ही (same) भू-गृहादि के ऐसे प्रत्येक स्वामी (जिसके अधिकार में वह भू-गृहादि २० वर्ष से अनधिक अव्यतीत अवधि के लिये हो) के सम्बन्ध में लागू होगा जो किराया प्राप्त कर रहा हो और किराये का देनदार भी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में किसी भी बात का ऐसा अर्थ न लगाया जायगा कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा देय किराये में से उसे प्राप्य किराये से काटी गयी कुल धनराशि से अधिक काट लेने का अधिकार मिल गया है ।

विकास व्यय के निमित्त भार विमोचन (redemption of charge)

५२३---ब्याज सहित विकास व्यय के भुगतान की अवधि व्यतीत होने से पूर्व किसी भी समय, उस भू-गृहादि का, जिस पर ऐसा व्यय भारित हो, स्वामी या अध्यासी, म्युनिसिपल कमिश्नर को उक्त व्यय का ऐसा भाग तथा ऐसा देय (due) ब्याज, यदि कोई हो, दे कर, जो पहले से अदा न किया गया हो अथवा वसूल न हुआ हो, उक्त भार (charge) का विमोचन (redemption) कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५२० से ५२३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५२४

धारा ५२० व ५२१ के अधीन देय किस्तों की वसूली ।

५२४---धारा ५२० के अधीन देय कोई भी किस्त या वह किस्त, जो देय हो जाने पर भी अदा न की जाय म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा उस व्यक्ति की जिसके द्वारा यह देय हो, चल-सम्पत्ति की कुर्की (distress) और बिक्री अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की (attachment) और बिक्री करके उसी प्रकार वसूल की जा सकती है, मानो वह उक्त व्यक्ति द्वारा देय कोई सम्पत्ति-कर हो ।

श्री देवकीनन्दन विभव---श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं कि खंड ५२४ की तीसरी पंक्ति में शब्द "की कुर्की" के स्थान पर शब्द "के अभिहरण" रख दिये जायं । यह संशोधन, जैसा मैंने अभी बताया था, उसी प्रकार का है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे भी स्वीकार कर लेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५२४ की तीसरी पंक्ति में शब्द "की कुर्की" के स्थान पर शब्द "के अभिहरण" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५२४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५२५–५३३

किसी भू-गृहादि के स्वामी द्वारा चक करने पर अध्यासी कार्य सम्पन्न कर सकता है तथा स्वामी से व्यय वसूल कर सकता है।

५२५—जब किसी भवन या भूमि का स्वामी कोई ऐसा कार्य सम्पादित नहीं करता जिसकी उससे इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन अपेक्षा की जाती हो तो ऐसी भूमि या भवन का अध्यासी यदि कोई हो, म्युनिसिपल कमिश्नर की स्वीकृति से उक्त-कार्य सम्पन्न कर सकता है तथा उसे इस प्रकार सम्पन्न किये गये कार्य का उचित व्यय स्वामी से वसूल करने का अधिकार होगा, और वसूली के अन्य किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह उसे स्वामी को समय-समय पर देय किराये में से काट सकता है।

व्यय अथवा प्रतिकर के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उनकी वसूली का वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

५२६—किसी व्यय या प्रतिकर की, जिसकी देय धनराशि यहां पर पहले (hereinbefore) वर्णित रीति से निश्चित की जा चुकी हो, वसूली के सम्बन्ध में पूर्वोक्त रूप से कार्यवाही करने के बजाय या जब ऐसी कार्यवाही असफल या अंशतः सफल रही हो, तो देय धनराशि अथवा शेष (balance) धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, सक्षम अधिकार क्षेत्र युक्त न्यायालय में उत्तरदायी व्यक्ति (person liable) के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करके वसूल की जा सकेगी।

राज्य सरकार का कार्यवाहियों इत्यादि से अवतरण मंगाने का अधिकार।

५२७—(१) राज्य सरकार किसी भी समय निगम को यह आदेश दे सकती है कि वह उसे निगम, कार्यकारिणी समिति अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी अन्य समिति की किसी कार्यवाही से या निगम के नियंत्रणाधीन किसी अभिलेख से कोई अवतरण और इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त कोई आंकड़े प्रस्तुत करे और निगम उसे बिना अनुचित विलम्ब के प्रस्तुत करेगा।

(२) राज्य सरकार किसी भी समय म्युनिसिपल कमिश्नर को यह आदेश दे सकती है कि वह इस अधिनियम के कार्यपालिका प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त कोई सूचना, प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण या आंकड़े जहां तक कि प्रत्येक का सम्बन्ध हो, प्रस्तुत करे और म्युनिसिपल कमिश्नर यथास्थिति बिना अनुचित विलम्ब के उन्हें प्रस्तुत करेगा।

राज्य सरकार का निरीक्षण करने का अधिकार।

५२८—राज्य सरकार नगरपालिका के किसी भाग, कार्यालय, सेवा कार्य अथवा वस्तु का निरीक्षण अथवा परीक्षण करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए किसी पदाधिकारी को प्रतिनिधायित (deput) कर सकती है और इस प्रकार प्रतिनिधायित पदाधिकारी ऐसे निरीक्षण अथवा परीक्षण के प्रयोजनों के लिये उन समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जो धारा ५२७ के अधीन सरकार को प्राप्त हैं।

राज्य सरकार के कार्यवाही करने के संबंध में निदेश देने के अधिकार ।

५२९--यदि धारा ५२७ अथवा ५२८ के अधीन मांगी गई कोई सूचना अथवा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार की यह राय हो कि :--

(क) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत किसी नगरपालिका प्राधिकारी पर आरोपित किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया गया है या अपूर्ण, अकुशल अथवा अनुपयुक्त रीति से उसका पालन किया गया है; या

(ख) उक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिये पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था नहीं की गयी है, तो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निगम अथवा म ुनिसिपल कमिश्नर को आदेश दे सकती है कि वह उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कर्त्तव्य का उचित प्रकार से पालन करने के लिये उसके संतोषानुसार प्रबन्ध करे अथवा यथास्थिति कर्त्तव्य पालन करने के लिये उसके सन्तोषानुसार वित्तीय व्यवस्था करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक आज्ञा में उल्लिखित समुचित कारणों के आधार पर राज्य सरकार की राय में ऐसी आज्ञा का तात्कालिक निष्पादन आवश्यक न हो, राज्य सरकार इस धारा के अधीन कोई आज्ञा देने के पूर्व निगम को यह कारण बताने का अवसर देगी कि ऐसी आज्ञा क्यों न दी जाय ।

राज्य सरकार के निगम के चूक (default) में कार्यवाही करने के लिये किसी व्यक्ति का निगम के खर्चे से नियुक्त करने का अधिकार ।

५३०--(१) यदि धारा ५२९ के अधीन प्रचारित किसी आज्ञा द्वारा निश्चित अवधि के भीतर उस धारा के अधीन आदिष्ट कोई कार्यवाही यथावत् नहीं की गई है तो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा--

(क) इस प्रकार आदिष्ट कार्यवाही करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है;

(ख) उसे दिये जाने के लिये पारिश्रमिक निश्चित कर सकती है; और

(ग) यह आदेश दे सकती है कि ऐसा पारिश्रमिक और ऐसी कार्यवाही करने में होने वाला व्यय नगरपालिका निधि से पूरा किया जायगा और यदि आवश्यक हो तो, अध्याय ९ के अधीन प्राधिकृत कोई एक या एकाधिक कर लगाये जायंगे अथवा बढ़ाये जायंगे, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वे उस भाग द्वारा विहित अधिकतम सीमा से बढ़ जायं ।

(२) उपर्युक्त रूप से आदिष्ट कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिये उपधारा (१) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को ऐसे संविदाओं (contr cts) को जो, आवश्यक हों, करने का अधिकार होगा और वह इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन किसी नगरपालिका प्राधिक री को प्रदत्त और उपधारा (१) के अधीन प्रचारित आज्ञा में एतदर्थ निर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग कर सकता है, तथा उसे इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार संरक्षण (protection) का अधिकार प्राप्त होगा मानो वह नगरपालिका का प्राधिकारी हो ।

(३) राज्य सरकार, उक्त करों में से किसी कर को लगाने अथवा बढ़ाने का आदेश देने के अतिरिक्त या उसके बदले में विज्ञप्ति द्वारा यह आदेश दे सकती है कि कोई धनराशि जो उसकी राय में उसकी आज्ञाओं को प्रभावी बनाने के लिये अपेक्षित हों, ब्याज की ऐसी दर पर और उक्त करों में से सभी अथवा किसी कर की प्रतिभूति (security) पर ऋण-पत्र (debenture) द्वारा भुगतान की

अवधि और अन्य प्रकार की ऐसी शर्तों पर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, उधार ली जाय।

(४) धारा १५३ से लेकर १६७ तक के उपबन्ध जहां तक संभव होगा, इस धारा के अनुसार लिय गय ऋण पर लागू होंग।

आपात के समय जिलाधीश के असाधारण अधिकार।

५३१--(१) आपात की दशा में राज्य सरकार किसी ऐसे निर्माण-कार्य के ऐसे अभिकरण द्वारा तथा ऐसी रीति से जो वह अपनी आज्ञा में नियत करे, निष्पादन की अथवा ऐसे कार्य के करने की व्यवस्था कर सकता है, जो निगम अथवा म्युनिसिपल कमिश्नर, निगम या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से अथवा उसके बिना निष्पादित करने या उस कार्य के करने का अधिकार रखती हो और उसकी राय में जिसका तात्कालिक निष्पादन अथवा किया जाना जनता की सुरक्षा अथवा संरक्षण (safety or protection) के लिये आवश्यक हो और यह आदेश दे सकता है कि निर्माण-कार्य को निष्पादित करने अथवा उस कार्य को करने का व्यय तुरन्त निगम द्वारा अदा किया जायगा।

(२) यदि उक्त व्यय उपर्युक्त प्रकार से अदा न किया जाय तो राज्य सरकार एक आज्ञा दे सकती है, जिस में नगरपालिका निधि को अभिरक्षा म रखन वाले व्यक्ति को ऐसी निधि में से उक्त व्यय अदा करन का आदेश दिया जायगा।

राज्य सरकार को संकल्पों की प्रतियों का प्रस्तुत किया जाना।

५३२--म्युनिसिपल कमिश्नर राज्य सरकार को और राज्य सरकार यदि ऐसा आदेश दे तो विहित प्राधिकारी को निगम, कार्यकारिणी समिति विकास समिति के और निगम की समितियों, और संयुक्त समितियों तथा उप-समितियों के सभी संकल्पों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

राज्य सरकार का इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को निलम्बित करने का अधिकार।

५३३--(१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि निगम के अथवा नगरपालिका के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा किसी अन्य समिति अथवा संयुक्त समिति अथवा उप-समिति अथवा निगम के किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी (servants) के किसी संकल्प या आज्ञा के निष्पादन अथवा किसी ऐसे कार्य के करन स जो निगम द्वारा या उसकी ओर स किया जान वाला हो या किया जा रहा हो, इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि का उल्लघंन होगा या उनका अतिक्रमण होगा या वह ऐसे किसी अधिकार का दुरुपयोग करके पारित किया या दिया गया है या उनके शान्ति भंग होने या जनता अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा संस्था को बाधा, क्षति अथवा परिभव (annoyance)पहुंचाने या मानव जीवन, स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो या जनहित के प्रतिकूल हो तो राज्य सरकार लिखित अनुज्ञा द्वारा ऐसे संकल्पों अथवा आज्ञा क निष्पादन को निलम्बित कर सकती है या एसे किसी कार्य क किय जान का प्रतिषेध कर सकती है।

(२) उक्त आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा तुरन्त निगम को भेज दी जायगी।

(३) राज्य सरकार किसी भी समय निगम द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा, अन्यथा उपधारा (१) के अधीन पारित किसी आज्ञा को पुनरीक्षित, परिष्कृत अथवा निरस्त (revoke) कर सकती है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५२५ से ५३३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५३४

अक्षमता, सतत चूक या अधिकारों के अतिक्रमण या दुरुपयोग की दशा में राज्य सरकार का निगम को विघटित करने का अधिकार।

५३४---(१) यदि किसी समय अभ्यावेदन किये जाने पर राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि निगम इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा अथवा उसके अधीन उस पर आरोपित कर्त्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है अथवा उनके पालन करने में सतत चूक करता है अथवा अपने अधिकारों का एक बार से अधिक अतिक्रमण या दुरुपयोग करता है तो राज्य सरकार निगम को यह कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् कि क्यों ऐसी आज्ञा न दी जाय, सरकार गजट में उसके कारणों के सहित एक आज्ञा प्रकाशित करके निगम को विघटित कर सकती है।

(१-क) उपधारा (१) के अधीन आज्ञा की एक प्रति यथासम्भव शीघ्र उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रख दी जायगी।

(२) यदि निगम उपधारा (१) के अधीन विघटित कर दिया जाय तो निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे :--

(क) मेयर (Mayor) डिप्टी मेयर और समस्त कौंसिलर और एल्डरमैन (Alderman) आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर, खंड (ख) के अधीन पुनर्निर्वाचन की पात्रता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव पड़े अपने-अपने पदों को रिक्त कर देंगे;

(ख) विघटन की आज्ञा के उपरान्त यथासम्भव शीघ्र निगम का जहां तक सम्भव हो, निगम को प्रथम संगठन से सम्बद्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनः संगठित करने के लिये आवश्यक निर्वाचन तथा नामनिर्देशन किये जायेंगे।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ५३४ के उपखंड (१) की पंक्ति ९ के अन्त में शब्द "और यथाशीघ्र नया चुनाव करा दिया जायगा" रख दिये जायं और खंड ५३४ के उपखंड (१) के उपरान्त निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विघटन और नये निर्वाचित के बीच में ६ मास से अधिक समय नहीं लगेगा।"

इस संशोधन में भाव और भाषा का सुधार कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे। इसमें कुछ अनुवाद की गलती थी, वह ठीक की है।

श्री रामलखन मिश्र---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मुझे इसका विरोध करना पड़ता है। इसमें न भाषा मैत्री है, न भाव मैत्री है और न किसी लीगल फ्रेजिओलाजी का वैधानिक रूप में संयोजन होता है। जहां पर "निगम को विघटित कर सकती है" ये शब्द आये हैं इस उपखंड में वहां पर यह संशोधन यथास्थान उचित नहीं है, एक बारगी यह बीच में आकाश से पृथ्वी पर आ जाना कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। तो म आशा करता हूं कि संशोधक महोदय इसको देख लें कि जो वह संशोधन कर रहे हैं उससे एक भाषा की

[श्री रामलखन मिश्र]

कुरूपता ही नहीं आयेगी, भाव की कुरूपता आयेगी और लीगल इतिहास में ऐसा वाक्य लगाना नहीं चाहिए ।

श्री जगन्नाथ लहरी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, खंड ५३४ में जो संशोधन सुझाये गये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । ५३४ इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण धारा है । इस धारा के मुताबिक निर्वाचित निगमों को विघटित कर दिया जायगा, भंग कर दिया जायगा, नगर निगम के ऊपर कोई दोष लगाया गया हो, और सरकारी आज्ञाओं की अवहेलना करते हुये देखा जाय तो राज्य सरकार उन्हें विघटित कर सकती है । अध्यक्ष महोदय, यदि कोई निगम निरंतर सरकारी आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, या नियमों का पालन नहीं करता तो निस्संदेह उस निगम को उस स्थान पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पार्टी पालिटिक्स में पड़ करके, कुछ व्यर्थ का दोषारोपण करके भी निगमों को भंग किया जा सकता है ।

इसमें जो संशोधन किया गया है उसमें संशोधक महोदय ने इस बात पर कतई एतराज नहीं किया है कि निगमों को भंग न किया जाय । निगम के विघटन या भंग करने के बाद सिर्फ एक ही मांग की गयी है कि यथाशीघ्र नया चुनाव करा दिया जाय । साथ ही साथ एक प्रतिबन्ध और जोड़ने की मांग की गयी है, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विघटन और नये निर्वाचित" की जगह "निर्वाचन" शब्द हो तो ज्यादा सुन्दर रहेगा---"के बीच में ६ मास से अधिक समय नहीं लगेगा "। मैं मानता हूं कि जैसा कि मिश्र जी ने कहा है इस संशोधन की भाषा में कई व्याकरण की त्रुटियां हैं लेकिन स्वशासन मंत्री बार-बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि अध्यक्ष महोदय को शाब्दिक या व्याकरण की त्रुटियों को ठीक करने का पूरा-पूरा अधिकार है । मैं यह मांग इसलिये कर रहा हूं कि जिन ५ बड़े-बड़े नगरों में निगम स्थापित किये जा रहे हैं उनमें आगरा नगर भी है । आगरा नगर को निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपना कार्य संचालन करने का सौभाग्य २५ वर्ष से नहीं है । अंग्रेजों के जमाने में आगरा नगरपालिका को भंग कर दिया गया था परन्तु हमारे प्रदेश में सन् १९३७ से जब से कि आदरणीय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने प्रथम कांग्रेसी सरकार की रचना की थी उसको भी आज २१ वर्ष का समय व्यतीत हो चुका । सन् १९३७ से चार वर्ष पूर्व अंग्रेजी जमाने में आगरा नगरपालिका भंग कर दी गयी थी । उसके बाद ही द्वितीय यूरोपीय महायुद्ध शुरू हो जाने के कारण जब कि अंग्रेजों ने इस बात की घोषणा कर दी कि जर्मनी के विरुद्ध भारत भी हथियार उठा रहा है, राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस ने इसे अपना अपमान समझा । उसने अंग्रेज अधिकारियों से यह पूछा कि जब कि भारत के चन्द सूबों को छोड़ कर जहां मुस्लिम लीग का शासन कायम था अधिकांश सूबों में कांग्रेस की हुकूमत थी तो कांग्रेसी सरकारों से बिना पूछे उन्होंने किस प्रकार इस बात की घोषणा कर दी कि भारत भी इस युद्ध में शामिल है । भारत ने इसे अपना अपमान समझा और समस्त कांग्रेसी सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया । कुछ दिनों के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारंभ किया गया जिसे व्यक्तिगत आन्दोलन का रूप दिया गया था । उसमें सभी कांग्रेसी विधायक और हमारे मंत्री जेल चले गये । उसके बाद सन् १९४२ में हमारा अन्तिम स्वतंत्रता युद्ध प्रारंभ हुआ । फिर नेता लोग जेल गये । वहां से छूटने के बाद १ अप्रैल, १९४६ को इस प्रदेश में फिर आदरणीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त ने कांग्रेसी सरकार की रचना की । सन् १९५२ में भारतीय संविधान के मुताबिक जब हमारा देश पूर्ण जनतंत्र घोषित कर दिया गया तो संविधान के अनुसार सन् १९५२ में जो प्रथम निर्वाचन हुआ उसमें फिर कांग्रेस सरकार की रचना हुई । द्वितीय आम चुनाव सन् १९५७ में हो कर चौथी बार कांग्रेस सरकार की रचना हुई । लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेसी शासन के बाद २१ वर्ष के समय में चार बार इस प्रदेश में जनप्रिय राष्ट्रीय कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हो चुकी है

फिर भी आजतक हमारे आगरा के निवासियों से न जाने किस जन्म का बैर यह हुकूमत निकाल रही है कि उनका जनतंत्र का वह मौलिक अधिकार, जिसके द्वारा वे अपनी नगरपालिका का संचालन करने के लिये निर्वाचन कर सकें नहीं दिया। नगरपालिका के भंग होते हुये समय-समय पर टाइम बढ़ाया जाता रहा। अब दो वर्ष से आशा की जाने लगी थी कि उत्तर प्रदेशीय सरकार सारे प्रदेश में म्युनिसिपैलिटीज का जनरल इलेक्शन कराने जा रही है तो शायद आगरा नगरपालिका को भी सौभाग्य प्राप्त हो जाय कि वहां भी जनरल इलेक्शन हो जाय। लेकिन आगरा नगरपालिका का प्रबंध आज भी सरकार के हाथ में है और उसके चुनाव को टाला जा रहा है। अब यह जो विधेयक इस सदन में है इसके पास हो जाने के बाद जब यह कानून का रूप धारण कर लेगा तो पता नहीं वह कौन-सा शुभ दिन होगा जब आगरा को सौभाग्य प्राप्त होगा कि आगरा निवासी अपने शहर का प्रबंध करने के लिये अपने मत से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सकेंगे।

मैं यह कह रहा हूं कि इस संशोधन की इसलिये आवश्यकता है कि वर्तमान म्युनिसिपल ऐक्ट में संशोधन हो जाने के बाद, सुपरसेशन के बारे में कई बार संशोधन हो जाने के बाद भी आगरा को निर्वाचन का मौका नहीं दिया गया। अगर यही रवैया इस विधेयक के पास हो जाने के बाद हमारी कांग्रेसी सरकार या दूसरी सरकार आये उसने अपनाया तो पता नहीं आगरा की तरह से प्रदेश के अन्य बड़े नगरों का भाग्य क्या होगा? उनका प्रबंध निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं हो रहा है बल्कि शासन सरकार के एक मात्र नियुक्त अधिकारी के हाथ में है।

श्रीमन्, मैंने आपके सामने आगरा शहर की मिसाल रखी कि सिर्फ अंग्रेजों के जमाने में ही यह शिकायत नहीं रही कि उसे निर्वाचन से वंचित रखा गया बल्कि जनप्रिय सरकार स्थापित हो जाने के बाद वही चीज अभी तक वहां बदस्तूर कायम है। अगर हम यह संशोधन कर देते हैं कि किसी नगर निगम के विघटन हो जाने के बाद नया चुनाव कराया जायगा तो आशा की जा सकती है कि किसी नगर निगम के भंग हो जाने के बाद वहां के निवासी नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं रखे जायंगे और उसका प्रबंध करने के लिये निर्वाचन किया जायगा। एक प्रतिबंध यह भी लगाया गया है कि अधिक से अधिक किसी नगर निगम के विघटन होने तथा निर्वाचन के बीच में ६ मास का समय लिया जाय। अगर किसी नगरपालिका ने सरकार के किसी आदेश की अवहेलना की है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है तो सरकार उसका प्रबंध अपने हाथ में ले ले और जिन प्रतिनिधियों ने सरकारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है उनको पद से हटाने से उनको यथेष्ट दंड मिल चुका है। किसी निर्वाचित व्यक्ति का सरकार द्वारा हटाया जाना ही बड़े कलंक की बात है और उसके लिये बड़ी शर्म की बात है और उसके लिये एक अयोग्यता का प्रमाण-पत्र हो जाता है। तो उन उन व्यक्तियों को तो सजा मिल गई लेकिन नगर के लाखों नागरिक जो अयोग्यता के सूचक नहीं हैं, को सजा देने का कोई कारण नहीं है। इसलिये यह मांग की जा रही है कि जिन व्यक्तियों द्वारा सरकार की आज्ञा का उल्लंघन किया गया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया उनको हटा दिया जाय लेकिन नगर के नागरिकों को उनके नागरिक अधिकार दिये जायं। उनको हटाने के बाद जल्दी से जल्दी दूसरे प्रतिनिधि चुनने का मौका दिया जाय.....।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपको भ्रम हो रहा है। खंड ५३४ और ५३४-क दोनों अलग-अलग हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी—दोनों में निर्वाचन के सम्बन्ध में ही है।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। एक में विघटन है और ५३४-क में सुपरसेशन है। इसमें जो संशोधन दिया है इसमें तो चुनाव जरूरी है। ५३४ में चुनाव जरूरी है जैसा कि आगरे की आप मिसाल दे रहे थे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं थोड़ा-सा निवेदन कर दूं तो गलतफहमी दूर हो जायगी। वास्तव में दुर्भाग्यवश जो उल्था हिन्दी में हुआ उसमें कुछ अंश छूट गया। अंग्रेजी में, जो सेलेक्ट कमेटी से पास हुआ था, यह है कि ३ महीने के अन्दर और ६ महीने से ज्यादा न हो चुनाव हो जायगा। और एक संशोधन भी है माननीय देवकीनन्दन विभव जी का। वह अगर आ जायगा तो सारी गोली-बारूद जो खर्च करनी पड़ी है, वह दूसरे समय के लिए सुरक्षित कर सकेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी—अगर स्वशासन मंत्री उसकी घोषणा करते हैं तो मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोगों की मंशा पूरी हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा, आप वापस ले रहे हैं ?

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं देखता हूं कि विभव जी का संशोधन बड़ी उचित भाषा में लिखा हुआ है उससे मेरा तात्पर्य पूरा हो जाता है और मंत्री जी भी आश्वासन दे रहे हैं, इसलिये मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)।

श्री देवकीनन्दन विभव—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ५३४ के उपखंड (२) के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित भाग रखा जाय :—

"(ख) विघटन की आज्ञा के उपरांत यथासम्भव तीन महीने के भीतर, किन्तु किसी भी दशा में ६ महीने के भीतर निगम को, जहां तक सम्भव हो निगम के प्रथम संगठन से सम्बद्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, पुनः संगठित करने के लिए आवश्यक निर्वाचन किये जायंगे और तब तक म्युनिसिपल कमिश्नर निगम तथा धारा ५ में उल्लिखित समितियों का नेमी कार्य (routine work) चलाता रहेगा।"

श्रीमन्, मेरे संशोधन का आशय यह है कि ५३४—क के उपखंड (२) की उपधारा (ख) में जो प्रशासक की नियुक्ति का विषय है मैं चाहता हूं कि उस (ख) को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर जो मैंने अभी संशोधन रखा है उसको रख दिया जाय।

श्रीमन्, इस प्रदेश के स्वायत्त शासन के इतिहास में हमारे ऐडमिनिस्ट्रेटर्स का भी एक विशेष इतिहास रहा है। जैसा कि अभी इस सदन में कहा गया, आगरा चुंगी का चुनाव आखिरी बार १९३५ में हुआ था.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप ५३४—क के बारे में कहते हुए कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि आगरा का मामला डिस्सोल्यूशन का नहीं है। यह असंगत-सा हो रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मेरा आशय यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की पद्धति के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाल देना उचित जान पड़ता है.....

श्री अध्यक्ष—आप सुपरसेशन के मामले में कह सकते हैं। इस समय आप असंगत हो रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—यदि माननीय मन्त्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में मुझे अधिक कहना अनावश्यक है। इसलिये मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हूं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं इसको स्वीकार करता हूं। यह चीज अंग्रेजी से हिन्दी में उल्था करने में रह गई। अंग्रेजी में है। माननीय सदस्य ने इस गलती की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया इसलिये हम आभार मानते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—मैं विभव जी के संशोधन के पक्ष में खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस संशोधन के कुछ शब्दों की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस संशोधन में यह है कि "विघटन की आज्ञा के उपरान्त यथासंभव तीन महीने के भीतर किन्तु किसी भी दशा में ६ महीने के भीतर निगम को, जहां तक सम्भव हो निगम के प्रथम संगठन से सम्बद्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनः संगठित करने के लिये आवश्यक निर्वाचन कराने होंगे, और तब तक म्युनिसिपल कमिश्नर निगम तथा धारा ५ में उल्लिखित समितियों का नेमी कार्य चलाता रहेगा।"

मेरा एतराज यह है कि म्युनिसिपल कमिश्नर अकेले को इसको चलाने का अधिकार देना मुनासिब नहीं होगा। अगर माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करें तो इसमें एक एडवाइजरी कमेटी को नियुक्त करने का अधिकार सरकार को दिया जाय। ५, ४ आदमियों की एक कमेटी बन जाय जो उन कार्यों में म्युनिसिपल कमिश्नर को सलाह देती रहे। एक आदमी को अधिकार देना प्रजातंत्र की पद्धति के खिलाफ है। इसलिये म्युनिसिपल कमिश्नर को इस संशोधन के मुताबिक अख्तियार दना, एकाधिपत्य दना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी को इसका कोई प्रावीजन करना चाहिय जिससे कोई एडवाइजरी कमेटी का निर्माण हो सके जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर को इस पीरियड में एडवाइज करती रहे।

श्री अध्यक्ष—श्री रामलखन जी मिश्र, इसमें जो यह 'नेमी कार्य' शब्द आया है क्या वह सही है? आप हिन्दी के प्रकांड पंडित हैं।

श्री रामलखन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन की आत्मा के समक्ष तो नमन करता हूं किन्तु साकार स्वरूप के सम्बन्ध में मुझे कुछ भ्रम-सा दिखाई पड़ता है। इसका चित्र धूमिल है। इसकी भाषा की त्रुटि के सम्बन्ध में मैं कुछ कह नहीं सकता। न तो इसम विराम है और न अर्धविराम है और न भाव मैत्री या भाषा मैत्री ही है। यहां हम ऐसे अन्धकार में चले जा रहे हैं जहां पर हिन्दी का गौरव ही लुप्त हो जाता है। इसमें जो यह "नेमी" शब्द आया है उसमें ऐसा मालूम होता है कि संभवतः आगरे की तरफ ही इसको बोलते हों, किन्तु मैं नहीं समझता कि यहां पर उसका कुछ अर्थ निकल सकता है। "नेमी" को "नियमित" कर दिया जाय तो ठीक होगा। इससे रूटीन का अर्थ आ सकता है।

श्री अध्यक्ष—चलतू या चालू नियमित कार्य हो सकता है।

श्री रामलखन मिश्र—चालू शब्द भी ठीक है। चालू नियमित कार्य रख दिया जाय। लकिन नेमी तो नया हिन्दी का शब्द है। नये सीखने वाले समाचार-पत्रों से ऐसे शब्द ले लिया करते हैं और यहां की इस भाषा का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इस कारण भी भाषा की त्रुटियों के लिये हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इस ओर यहां के अन्य विभागों को भी विशष ध्यान देना चाहिये। नेमी आदि शब्दों का प्रयोग करने से हिन्दी के साथ कोई उपकार न होगा। यह शब्द किसी कोष स, कौटिल्य आदि क अर्थ शास्त्र से लेना चाहते हैं तो उनको पहले उसे देखना चाहिये क्योंकि हिन्दी के शब्द किसी कल्पना के आधार पर नहीं बने हैं। इनका इतिहास मानव के इतिहास की भांति ही प्राचीन है। वणमाला का भी एक इतिहास है। अध्यक्ष महोदय, यदि विषयांतर न हो तो मैं हिन्दी वर्णमाला के बारे में कुछ कहूं।

श्री अध्यक्ष—नहीं, विषयांतर हो रहा है।

श्री रामलखन मिश्र--किन्तु, अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि धारा ५३३, ५३४ के भाग १ में जहां वह एक बार से अधिक त्रुटियां या अतिक्रमण से अधिक दोष दखने पर राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का जो विधान रखा गया है, मैं नहीं जानता कि इसमें कोई संशोधन है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर थोड़ा ध्यान दें और इसे अगर वे निकाल दें तो ठीक होगा। क्योंकि एक बार में भी वह इतना अपराध कर सकता है कि उसके हो जाने के बाद ही उसकी गुरुता को जाना जा सकता है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि बंबई में निगम ने यह किया या फलां निगम ने यह किया तो मच्छिका स्थाने मच्छिका हम भी रख लें। यह जरूरी नहीं है। इस समय जबकि संसार अर्थ संचालित हो रहा है, जीवन अर्थ पर निर्भर रह कर चल रहा है, उस समय मनुष्य कितना अपराधशील है इसको हमें ध्यान में रखना होगा। एक बार चाहे कितना भी गुरुतापूर्ण अपराध हो, राज्य सरकार उस पर से आंख मूंद लेगी, यह एक लाइसेंस देना ठीक न होगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विचारपतियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जुडीशियरी बाल की खाल निकालती है। यदि एक बार की क्षमा यहां विधान में है तो अनेक बार वहां क्षमा मिल जायगी। तो यदि माननीय मंत्री जी चाहें तो इसको किसी संशोधन क द्वारा सुधार करवा लें। यह एक बहुत ही खटकने वाली बात है और उत्तर प्रदेश का एक आदर्श होता है हर जगह और समय अब ऐसा है कि जिसको हमें छाया रूप में नहीं लेना चाहिये और न किसी का अविकल अनुवाद ही करना चाहिये।

श्री जगन्नाथ लहरी--मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि पृष्ठ ३०२ पर जो शब्द है "इतना बढ़ा सकती है कि जिसमें कुल मिला कर आयति एक साल स अधिक न हो", इसका क्या अर्थ है?

श्री अध्यक्ष--यह तो ५३४ में है। अभी यह तो खत्म होने दीजिये। वह ५३४--क की बात है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विभव जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं और आपकी आज्ञा से जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया ह "नेमी", उसका भी समर्थन करना चाहता था लेकिन मान्यवर, मिश्र जी वास्तव में हिन्दी के प्रकांड पंडित हैं, मैं तो उसका एक अकिंचन विद्यार्थी हूं लेकिन फिर भी मैं उनसे क्षमा मांगते हुए इसके समर्थन करने की धृष्टता करता हूं। नेमी संस्कृत का शब्द है और इसका रूप नेमिः है। वह स्त्रीलिंग है। इसके मानी होते हैं चक्र, परिधि, पृथ्वी, व्रज। मेरे सामने 'संस्कृत शब्दार्थ कोस्तुभ" शब्द कोष भी है। इसका अर्थ और भावार्थ बिलकुल अंग्रेजी के रूटीन शब्द से मिलता ह। आखिर आजकल हिन्दी का विकास हो रहा है। अगर ऐसे शब्द जिनमें सौम्य हो और मतलब भी वही हो, उनको ही ग्राह्य किया जाय तो ठीक ही होगा।

अब इस संशोधन के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं और विभव जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा संशोधन पेश किया। जब हम अपने किसी कार्य से जनतंत्रात्मक भावना से दूर जा रहे थे तो उन्होंने इसके द्वारा उसमें ब्रेक लगा दिया। जहां तक संशोधन का संबंध है एडमिनिस्ट्रेटर को निकाल कर अब वह जिस रूप में रखा गया है, ठीक है। एक साहब ने इस बात पर एतराज किया है कि म्युनिसिपल कमिश्नर को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। श्रीमन्, किसी न किसी को तो अन्तरिम अवस्था में अधिकार देना ही होगा, चाहे तो वह ऐडमिनिस्ट्रेटर हो अथवा युनिसिपल कमिश्नर। ऐडमिनिस्ट्रेटर वह व्यक्ति होता है जो वहां का कार्य संचालन करता है लेकिन वहां के काम से उसको पूर्ण परिचय नहीं होता लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर को उसका पूर्ण परिचय होता है। अब उसमें एक रोक भी लगा दी गयी है कि यह ३ से ६ महीने के लिये होगा। इस लिये अगर वह ऐसा व्यक्ति हो जिसको वहां की पूर्ण जानकारी हो तब यह ठीक ही है। इसलिये मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री मुरलीधर कुरील--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करते हुए कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। अभी हमने देखा कि जब म्युनिसिपल बोर्ड्स का चुनाव हुआ तो ५-६ म्युनिसिपल बोर्ड्स ऐसे रहे जिनका चुनाव नहीं हुआ, जिनको भंग करके वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कर दी गयी। वह अपने विवेक से वहां का प्रशासन चलाता है। अभी कानपुर में पिछले दिनों एक सलाहकार समिति की स्थापना की गयी, मैं समझता हूं जब से वह सलाहकार समिति स्थापित हुई है उस समय से वहां के कार्य संचालन में, कुछ सहूलियत रही, कुछ सुविधा रही। उसके पहले बहुत-सी कठिनाई रही और बहुत से ऐसे कार्य हुए जिनके ऊपर पुनः विचार होना चाहिये था। लेकिन उन पर अधिक विचार न हो सकने के कारण जिस तरह से कार्य होना चाहिये था, नहीं हो सका। इन दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए जहां पर यह रखा गया है कि कोई बोर्ड अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसको भंग करने का सरकार को अधिकार है। मैं समझता हूं कि उन बोर्डों को या निगमों को भंग करने के पहले जिनके बारे में कोई शिकायत हो, सरकार एक नोटिस दे और आगाह करे कि ये त्रुटियां, कमियां और शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका वह सुधार कर ले। जब सुधार करने में वह असमर्थ हो और उस नोटिस के बाद भी उन गलतियों को दोहराता रहे तो उन बोर्डों को भंग कर देना चाहिये। लेकिन कम से कम इतना अधिकार उनको अपनी गलतियां सुधारने का रहना चाहिये।

इसके साथ ही साथ श्री बंसल जी ने एडवाइजरी बाडी रखने की बात कही है, उसका मैं समर्थन करता हूं और यह बहुत ही उपयुक्त बात है। सिर्फ म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर ही सारी बातें छोड़ देना मैं उचित नहीं समझता। और एक सही तरीके से चलने के लिये, उसकी सही छानबीन करने के लिये जब तक कारपोरेशन का चुनाव न हो जाय तो उसके साथ ही एक एडवाइजरी बाडी होनी चाहिये। उसका क्या रूप हो, उसको सरकार नियत करे या वहां के कारपोरेशन के अधिकारी सलाह दें या कौन सलाह दे, इस पर तो बाद में विचार करने की बात है और इस पर माननीय मंत्री जी सोच कर कोई रास्ता निकालें कि वह एडवाइजरी बाडी किस तरह से बनेगी। लेकिन मेरा अपना विचार है कि एक एडवाइजरी बाडी होनी चाहिये। अगर वहां बोर्ड भंग होता है और जब तक यह चीज नही होती है तो जनतंत्र में एक आदमी अपने विवेक से शासन चलाता रहे, इसमें बहुत-सी त्रुटियां हो सकती हैं और होती रहती हैं। तो इन चीजों को देखते हुए जैसा कि अभी देखा गया है कि काफी अर्से से, करीब कई साल से कारपोरेशन का चुनाव नहीं हो पाया, तो इस तरह की चीजें आ सकती हैं, जहां कि बोर्ड भंग हो और जल्दी चुनाव न हो पाये तो समय बढ़ाना पड़े। उस अन्तरकालीन समय में सिर्फ एक व्यक्ति शासन चलाता रहे, उचित नहीं जान पड़ता। इस लिये मेरा अनुरोध है कि इस संशोधन के बिना इसमें कमी है और उसे देखते हुए एक एडवाइजरी बाडी की स्थापना होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री लक्ष्मीनारायण बंसल जी ने श्री देवकीनन्दन विभव के संशोधन में जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यदि हम इस प्रदेश के इतिहास को देखेंगे तो हमें पता चल जायगा कि जब द्वितीय महायुद्ध के समय हमारी प्रथम कांग्रेस सरकार को त्याग-पत्र देकर चले जाना पड़ा तो उस समय के तत्कालीन गवर्नर ने इस प्रदेश के शासन को शासक की हैसियत से अपने ही हाथ में अकेले नहीं ले लिया बल्कि उसने इस प्रदेश के शासन को चलाने के लिये सर पन्नालाल, मिस्टर स्लोन और मिस्टर मार्श की एक एडवाइजरी बाडी बनायी जो उसके सलाहकार नियुक्त थे। तो युद्ध के जमाने में जब कि शासक वर्ग सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है, कांग्रेस सरकार के हट जाने के बाद अंग्रेजों ने सम्पूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और उनका मार्ग निष्कंटक हो गया था, लेकिन फिर भी इस प्रदेश का शासन चलाने के लिये अंग्रेज गवर्नर ने सत्ता अकेले अपने हाथ में नहीं ली बल्कि एक हिन्दुस्तानी और दो अंग्रेज आई० सी० एस० को बुला कर उनका एक सलाहकार बोर्ड बनाया और उसने इस प्रदेश का शासन सन् १९३९ से लेकर सन् १९४६ तक अपने सलाहकारों की राय से चलाया।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

श्री देवकीनन्दन जी विभव ने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मंशा यह है कि अगर कोई निगम विच्छिन्न हो तो उसका प्रबन्ध म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में सौंप दिया जाय। बहुत ठीक। जब कि एक अंग्रेज इस बात जो धृष्टता नहीं कर सका कि वह स्वयं इस प्रदेश का संचालन करता, तो आगरे के जनप्रतिनिधि जिनके नगर में एक कारपोरेशन की स्थापना होने जा रही है वह मांग करते हैं कि विघटन के समय म्युनिसिपल कमिश्नर को ही शासन की सारी सत्ता सौंप दी जाय, इससे ज्यादा अशोभनीय बात और कोई नहीं हो सकती। मैं तो यह चाहता हूं कि जब तक कि जनप्रतिनिधियों के हाथों में दुबारा सत्ता न सौंपी जाय तब तक कम से कम म्युनिसिपल कमिश्नर को दैनिक कार्य के संचालन में सलाह देने के लिए उस नगर के योग्यतम व्यक्तियों की एक सलाहकार समिति अवश्य बना दी जाय। आज भी कारपोरेशन का प्रबन्ध यद्यपि सरकार के हाथों में है और सरकार द्वारा नियुक्त ऐडमिनिस्ट्रेटर पांचों नगरों के कारपोरेशंस का संचालन कर रहे हैं। उनको सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति हर नगर में बनी हुई है। जैसा मैंने पहले कहा कि आगरे का दुर्भाग्य है कि आज २५ वर्षों से वहां चुनाव नहीं हुआ।

एक दूसरी सूचना मैं देना चाहता हूं कि आगरे का एक दूसरा दुर्भाग्य यह है कि आगरे में जो ऐडमिनिस्ट्रेटर है, वहां जनता के सलाहकार जो सरकार ने नियुक्त किये हैं उनकी भी परवाह नहीं करता। इसी कारण आगरा नगर की सलाहकार समिति के सभी सदस्यों ने अपना त्याग-पत्र दे दिया है। अभी दो-तीन मास पूर्व आगरा के ऐडमिनिस्ट्रेटर के बिना सलाहकार समिति के पूछे हुए आक्ट्राय के जो टैक्स थे, टौल टैक्स थे, उनमें कई गुना वृद्धि कर दी जिसके फलस्वरूप जनता ने विरोध किया। चारों तरफ से आवाज उठने लगी। सभी समाचार-पत्रों ने एक मत होकर के इसका विरोध किया। नगर की सभी राजनीतिक पार्टियों ने जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, उसने भी इसका विरोध किया। एक ऐडमिनिस्ट्रेटर को जो जनता का प्रतिनिधि नहीं उसे इस प्रकार से टैक्सों में बढ़ोत्तरी करने का कोई अधिकार नहीं है और बढ़ोत्तरी उस समय की जाती जब कि नगरपालिका का बजट घाटे में चल रहा होता तो एक बात भी थी लेकिन जब कि बजट घाटे में नहीं चल रहा था, लाखों रुपये का मुनाफा था, उस समय ऐडमिनिस्ट्रेटर महोदय ने म्युनिसिपल बोर्ड की आय का जो सबसे बड़ा साधन था टौल टैक्स, उसमें कई गुना वृद्धि कर दी। सर्व प्रथम वहां से राज्य सभा के सदस्य श्री जसपत राय कपूर आगे बढ़े और उन्होंने ऐडमिनिस्ट्रेटर महोदय से यह मांग की कि आपने किस प्रकार इन टैक्सों में बढ़ोत्तरी कर दी.....

श्री अध्यक्ष--यह आगरे का मामला जो है इसे तो जैसे बजट का विवाद होता है, उस तरह से उस पर आप बहस कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी--श्रीमन्, यह पांच नगरों में कारपोरेशन बनने जा रहा है आगरा भी उनमें से एक है, इसलिए आगरे के बारे में तो हमें कहना ही पड़ेगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, अगर आगरे का जिक्र होना ही है तो ५३४-क में हो जहां सुपरसेशन वाली बात है, तो वहां कुछ अच्छा भी मालूम पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि सुपरसेशन का प्रश्न जिसमें है उसमें तो यह बहस चल सकती है, लेकिन इसमें नहीं चल सकती।

श्री जगन्नाथ लहरी--तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जो संशोधन माननीय लक्ष्मी नारायण बंसल ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए सलाहकार समिति अवश्य बनाई जानी चाहिए।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--अध्यक्ष महोदय, अभी नेमी शब्द पर जो विवाद यहां हुआ और हमारे भाई श्री जगदीशशरण जी ने शब्दकोष पेश किया उसको मैंने देखा। लेकिन नेमी शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ यहां स्पष्ट फिट इन नहीं होता। नेमी शब्द यों तो बहुधा उसके लिए कहा जाता है जो कि नियम को माने अर्थात् कर्त्ता को। परन्तु कार्य को नेमी कहा जाय ऐसा नहीं, यहां कार्य के प्रति नेमी के बजाय नियमित ही हो सकता है। यदि यहां नियमित शब्द रखा जाय तो वह ज्यादा उपयुक्त होगा। नेमी शब्द हमारी समझ से जहां तक हिन्दी का प्रश्न है यहां फिट इन नहीं होता है।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा भ्रम को दूर करने के लिए.....

श्री अध्यक्ष--आप तो एक बार बोल चुके हैं। दोबारा नहीं बोल सकते।

श्री रामलखन मिश्र--थोड़ा-सा उस तर्क को पुष्ट करने के लिए....

श्री अध्यक्ष--जिस तरह कि संस्कृत के पंडितों का वादविवाद होता है, वैसा तो यहां नहीं हो सकता। इसके तो कायदे बने हुए हैं। दोबारा आप नहीं बोल सकते।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाणिनीयम माननीयम वाली बात नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन एक बात जानकारी के लिए कहना चाहता हूं और वह विनोदवर्द्धक होगा।

एक तो यह है कि "कार्य" शब्द के पहले जो "नेमी" शब्द आया है कार्य है नपुंसक लिंग शब्द। उसके पहले विशेषण जो होगा वह विशेष्य के अनुरूप ही होगा। इस तरह से भी यह नेमी नहीं हो सकता। कोष जो आपने दिखाया है वह एकाक्षरी कोष नहीं है। जब हमें शब्द गढ़ना होता है तो कई कोषों को लेकर चलना होता है। तो यह "नेमी" शब्द के बजाय या तो "नेमिये" शब्द बनेगा लेकिन वह अन्धकार में चला जायगा, समझने के योग्य नहीं होगा। इस कारण से चालू नियमित कार्य रखा जाय, वही वहां पर ठीक होगा। तो नपुंसक लिंग में स्त्रीलिंग का जोड़ना जो है एक महान दोष है, कोई भी नहीं कहेगा कि इन दोनों को एक में जोड़ दिया जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, एक सूचना दे दूं "नेमी" शब्द पर.....

श्री अध्यक्ष--आप बाद में दें।

***श्री देवकीनन्दन विभव**--श्रीमन्, इस संशोधन के सम्बन्ध में माननीय रामलखन मिश्र जी ने जो कुछ कहा, क्योंकि वह मेरे मित्र हैं, हिन्दी के बड़े अच्छे विद्वान् हैं और बुजुर्ग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, उस सम्बन्ध में वाद विवाद तो करना नहीं चाहता। लेकिन उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी भाषा का विकास करना, उसका परिमार्जन होना हिन्दी में हमारे पास पर्यायवाची शब्दों और पारिभाषिक शब्दों की बहुत कमी है। हमें तो भाषा को सम्पूर्ण बनाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम मूल स्रोत जो संस्कृत में है, उसका आश्रय ग्रहण करें। और श्रीमन्, मैं तो इस मत का भी हूं कि हमको अपनी भाषा को संपूर्ण बनाने के लिये यदि हमें दूसरी भाषाओं का भी आश्रय लेना पड़े तो उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिये। और खास तौर से जब हम एक शब्द को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद जब हम उसको अपनी भाषा में लेते हैं तब उसका जो नियंत्रण है वह हमारी हिन्दी के व्याकरण से होता है, दूसरी भाषा के व्याकरण से उसका नियंत्रण नहीं होता है। तो मैं माननीय मिश्र जी से कहना चाहता हूं "नियमित" जो वह कहते हैं उससे हमारा जो आशय है इस संशोधन का, उसकी पूर्ति नहीं होती। "नियमित" तो सारे कार्य जो इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

अधिनियम के अन्तर्गत किये जायं वह सभी नियमित कार्य हो जाते हैं। लेकिन "नेमी" का मतलब यह है कि जो रूटीन वर्क है, जिसमें नीति और उसके निश्चय का सम्बन्ध नहीं है, उनका हम उपयोग करते हैं और उसको ही अधिकार देते हैं जो उस काल में निगम को चलाये। तो हम उसको अधिकार केवल रूटीन वर्क का देते हैं। तो मैं माननीय मिश्र जी से कहूंगा कि इस पर अपनी जो उन्होंने शंका प्रकट की है वह इसको वापस कर लेंगे।

माननीय बंसल जी ने जो संशोधन पेश किया है इसमें संदेह नहीं कि जनतंत्र की कसौटी में वह संशोधन उपयुक्त है। वस्तुतः मेरा आशय ही यह है कि हम निगम के संचालन में किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति नहीं देते, जनतंत्र के अधीन रखते हैं। लेकिन श्रीमन्, मैंने जो यह संशोधन रखा वह यह है कि उसकी अवधि कितनी होनी चाहिये। कितने काल में उसका चुनाव हो जाना चाहिये। वह मैंने निश्चित कर दी है। ३ महीने से लेकर अधिक से अधिक ६ महीने तक। और मेरा आशय है कि एक प्रशासक के बाद वहां दूसरा आदमी जब प्रशासक के रूप में आये, एक नया आदमी आता है, उससे उसके सारे कार्यक्रम को जिस तरीके वह चल रहा है, उसमें दिक्कतें पेश आती हैं। इसलिये मैंने यह उचित समझा कि ऐडमिनिस्ट्रेटर को भेजने की आवश्यकता नहीं है। म्युनिसिपल कमिश्नर को हमने रूटीन वर्क के संचालन का अधिकार दिया है इस नियम के अन्तर्गत जिसको इस सदन ने आधारभूत सिद्धान्त मान कर स्वीकार किया है, उसी आधारभूत सिद्धान्त के अन्तर्गत हम यह अधिकार दे रहे हैं कि निगम होने पर भी वही रूटीन वर्क म्युनिसिपल कमिश्नर के अन्तर्गत चलता रहे।

इसमें एक कठिनाई है एडवाइजरी कमेटी को नियुक्त करने की। आखिर कौन से ऐसे विशिष्ट व्यक्ति होंगे जो जनता द्वारा निर्वाचित निगम के विघटित होने पर जब तक नया नियम स्थापित न हो जाय तब तक सलाहकार के रूप में रहेंगे। मेरे मित्र का यह कहना कि सरकार के हाथ में यह अधिकार दिया जाय कि वह नियत करे कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जो निगम का संचालन करेंगे ऐसे कार्यकाल के लिये, तो मैं समझता हूं कि यह जन की क्रिया के प्रतिकूल भावना को ले जायगा। विरोधी पक्ष की तरफ से हमेशा यह कहा जाता है कि सरकार सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करे, यह केन्द्रीयकरण क्यों होता जाता है लेकिन यहां हमारे मित्र केन्द्रीयकरण की व्यवस्था रखने को कहते हैं।

तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस रूप में संशोधन उपस्थित किया गया है उसको दृष्टि में रख कर जिस कार्यकाल में म्युनिसिपल कमिश्नर को रूटीन वर्क चलाना है और वह कार्यकाल अधिक समय तक रहने का अन्देशा हो तो हम ऐसी कोई एजेंसी क्रिएट करें जो उस रूटीन के संचालन को कराये, और वह रूटीन एक म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में न दिया जाय। वह काल जो है ३ या ६ महीने का है जिसमें रूटीन वर्क उसको चलाना है जिसकी कि वह साधारण तौर पर जो म्युनिसिपल कमिश्नर का उत्तरदायित्व है उसी की वह पूर्ति करता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे संशोधन को इसी रूप में स्वीकार करें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अध्यक्ष महोदय, एक बात इस 'नेमी' शब्द के सिलसिले में कहूंगा। वैसे तो सदन ने यह अधिकार आपको दे रखा है कि भाषा को जहां तक सुधारने की बात है उसे आप स्वतः कर सकते हैं। यों जरा सा निवेदन कर दूं कि यह पुस्तक है "ग्लासरी आफ पार्लियामेंटरी, लीगल एन्ड ऐडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स" इसमें रूटीन का इस्तेमाल दिया हुआ है जैसे रूटिन केस 'नेमी विषय' रूटिन क्लीनिंग—"नेमी स्वच्छ", रूटिन फाइल—"नेमी नस्ती' "रूटीन" के इसमें तीन माने दिये हुए हैं नित्यचर्या, नियमित कार्य तथा नेमी। इनमें जो उचित समझें आप वह रख सकते हैं।

संशोधन पर जो संशोधन है उसके सिलसिले में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि विभव जी ने जो कहा कि यह अधिकार किस को दिया जाय जो एडवाइस करे—वह सरकार को दिया जाय तो सरकार तो चाहती है नहीं वास्तव में कि उसे ऐसा अधिकार दिया जाय क्योंकि तब

विरोधी दल को मौके बे मौके सरकार को गाली देने का मौका मिलता है। और मेरा खयाल यह होता है कि शायद इसीलिये लहरी साहब हमें जाल में फंसाने के लिये राय दे रहे ह कि हम इस मुसीबत में पड़ें। नामिनेशन के सिलसिले में एक बार यहां आया था तो नामिनेशन के लिये बहुत से मित्र भी आकर जोर डालते हैं कि हमको कर दीजिये, हमको कर दीजिये, इस मुसीबत में हम न पड़ें तो ज्यादा अच्छा है।

एक और कारण है कि आरजी तौर से थोड़े से समय के लिये जो कोई होता है तो वह बिलकुल गैर-जिम्मेदारी से राय दे सकते हैं, इसलिये भी यह गलत होगा। जहां तक आगरे का उदाहरण दिया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने किसी को नामिनेट नहीं किया था। हमने एडवाइज किया था कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी राय लेकर चलो लेकिन वह भी एक मुसीबत है कि जो आते हैं वह चाहते हैं कि उनके कहने के अनुसार ही काम किया जाय। इसलिये हम इस नामिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, जल्दी से जल्दी एलेक्शन करा देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५३४ के उपखंड . . .

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—मैं एक शंका का समाधान कराना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इस अमेंडमेंट में सिर्फ रूटीन वर्क का अधिकार सिर्फ म्युनिसिपल कमिश्नर को दिया गया है। अगर मार्च के महीने में कारपोरेशन बन्द हो जाय तो फिर बजट की क्या पोजीशन होगी, इसके लिये कोई ध्यान नहीं रखा गया है।

श्री अध्यक्ष—वह तो दूसरा सवाल है, मैं पहले इस संशोधन पर राय ले लूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार सावधान रहेगी, ऐसे मौके पर नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५३४ के उपखंड (२) के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित भाग रख दिया जाय—

"(ख) विघटन की आज्ञा के उपरान्त यथासंभव तीन महीने के भीतर, किन्तु किसी भी दशा में ६ महीने के भीतर निगम को, जहां तक संभव हो निगम के प्रथम संगठन से सम्बद्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, पुनः संगठित करने के लिये आवश्यक निर्वाचन किये जायंगे और तब तक म्युनिसिपल कमिश्नर निगम तथा धारा ५ में उल्लिखित समितियों का नेमी कार्य (routine work) चलाता रहेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५३४-क

राज्य सरकार का निगम को अधिक्रान्त करने का अधिकार।

५३४-क—(१) यदि निगम के विघटन के पश्चात् पुनः संघटित निगम भी राज्य सरकार के इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उस पर आरोपित कर्त्तव्यों के पालन में अक्षय अथवा सतत् चूक प्रतीत होता है अथवा अपने अधिकारों का एकाधिक बार अतिक्रमण या दुरुपयोग करता प्रतीत होता है, तो राज्य सरकार निगम को यह कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् कि क्यों ऐसी आज्ञा न दी जाय, सरकारी गजट में उसके लिये कारणों के सहित एक आज्ञा प्रकाशित करके निगम को अधिक्रान्त कर सकती है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन अवक्रमण की आज्ञा दी जाय तो निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे--]

(क) मेयर, डिप्टी मेयर तथा समस्त कौंसिलर तथा एल्डरमैन अवक्रमण की आज्ञा के दिनांक से मेयर, डिप्टी मेयर, कौंसिलर और एल्डरमैन के अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) अवक्रमण की अवधि में निगम कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा अन्य समितियों के समस्त अधिकार और कर्त्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त और पालन किये जायेंगे जिसे राज्य सरकार एतदर्थ समय-समय पर नियुक्त करे और ऐसा व्यक्ति नगर का प्रशासक (administrator) कहलायेगा ;

(ग) अवक्रमण की अवधि में, निगम में निहित समस्त संपत्ति, राज्य में निहित हो जायगी ;

(घ) उपखंड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति अपने अधिकार तथा कर्त्तव्य किसी व्यक्ति अथवा समिति या उपसमिति को प्रतिनिधानित कर सकता है ;

(ङ) निगम के पुनस्संगठन के पूर्व निगम अथवा प्रशासक द्वारा या उसके लिये उपगत किये गये सभी ऋण और आभार किये गये समस्त संविदे और किये जाने वाले सभी विषय और की जाने वाली सभी बातें उपधारा (४) के अधीन पुनस्संगठित निगम द्वारा, या उसके लिये, उपगत किये गये, आभार किये गये या किये जाने वाले अथवा की जाने वाली समझी जायेंगी ;

(च) निगम के पुनस्संगठन के पूर्व इस धारा के अधीन और इस अधिनियम से सुसंगठित निगम अथवा नगर के प्रशासक द्वारा की गई, प्रचारित, लगाया गया, दी गई, बनाया या बनाई गई, प्रत्येक नियुक्ति, विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आज्ञा, योजना अनुज्ञप्ति (license), अनुमति, नियम, उपविधि अथवा प्रपत्र क्रमशः इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई प्रचारित, लगाया गया, दी गई, बनाया गया या बनाई गयी, समझे जायेंगे और जब तक कि तत्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन वे यथास्थिति परिवर्तित, परिष्कृत, निरसित, निलंबित, समर्पित अथवा वापिस न लिये जायं तब तक ऐसी अवधि के लिये यदि कोई हो, प्रचलित रहेंगे, जिसके लिये वे इस प्रकार की गई, प्रचारित, लगाया गया, दी गई, बनाया या बनाई गई हों।

(३) राज्य सरकार समय-समय पर जांच कर लेने के पश्चात् सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा उपर्युक्त सभी परिणामों के सहित अधिक्रमण की अवधि इतनी बढ़ा सकती है जिसमें कि कुल मिलाकर आयति एक साल से अधिक न हो।

(४) उपधारा (३) के अधीन दी गई आज्ञा द्वारा समय-समय पर जारी रक्खी गई, उपधारा (१) के अधीन अवक्रमण की आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर निगम को पुनः स्थापित करने के हेतु निगम के प्रथम

संगठन के लिये, जहां तक संभव हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक निर्वाचन तथा नाम निर्देशन किये जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (२) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त व्यक्ति उस समय तक निगम, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा अन्य समितियों के अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करते रहेंगे जब तक कि पुनःस्थापित निगम की प्रथम बैठक न हो गई हो ।

(५) उपधारा (१) के अधीन आज्ञा की एक प्रति यथासंभव उत्तर प्रदेश विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रख दी जायगी ।

श्री जगन्नाथ लहरी--अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपके समक्ष रखा था कि खंड ५३४-क में, ३०२ पेज पर जो लिखा है कि "इतनी बढ़ा सकती है जिसमें कि कुल मिलाकर आयति एक साल से अधिक न हो" इसका स्पष्टीकरण करें मंत्री महोदय । अर्थ समझ में नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष--पहले संशोधन उपस्थित हो जाय ।

श्री देवकीनन्दन विभव--श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

खंड ५३४ -क के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार के" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार को" रखे जायं और चौथी पंक्ति में शब्द "चूक" के पश्चात् शब्द "करता" रक्खा जाये ।

उपखंड (२) मे जहां-जहां शब्द "अवक्रमण" का प्रयोग किया गया है उसके स्थान पर शब्द "अधिक्रमण " रखा जाय ।

श्रीमन्, यह संशोधन प्रायः शाब्दिक है और इसलिये मैं विशेष कहना नहीं चाहता । मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--(स्वायत्त शासन मंत्री से) उसमें जो जगन्नाथ लहरी जी ने आशंका की है उसका भी आप समाधान कर दीजिये ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, यह संशोधन मुझे स्वीकार है और जो शंका लहरी जी ने उठाई है उसका तो सीधा सादा मतलब यह है कि जितने समय के लिये अधिक्रमण किया जाय वह कुल मिलाकर एक साल से ज्यादा न हो, यानी एक साल तक अधिक्रमण का समय बढ़ाया जा सकता है । और इसमें आगे भी है कि यदि दो साल के लिये बढ़ाये तो सदन की आज्ञा लेकर करे । तो इसमें तो इतना केयरफुल रहने की कोशिश की गयी है कि सरकार ने कम से कम अधिकार लिये हैं और जो लिये हैं उनका बहुत ही स्पेयरिंगली इस्तेमाल करेगी ।

श्री जगन्नाथ लहरी--टोटल समय एक साल होगा या हर बार एक साल के लिये कर सकती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, एक साल कुल बढ़ा सकती है और उसके बाद अगर वह ज्यादा बढ़ायेगी तो सदन में उसको लायेगी ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५३४-क के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "राज्य सरकार के" के स्थान पर शब्द " राज्य सरकार को" रखे जायं और चौथी पंक्ति में शब्द "चूक " के पश्चात् शब्द "करता" रखा जाय ।

उपखंड (२) में जहां जहां शब्द "अवक्रमण" का प्रयोग किया गया है उसके स्थान पर शब्द "अधिक्रमण" रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५३४—क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५३५

राज्य सरकार द्वारा नियमों का बनाया जाना।

५३५—(१) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही नियम बनाये जायंगे और जब तक वे सरकारी गजट में प्रकाशित न हो जायं तब तक प्रभावी न होंगे।

(२) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई नियम सामान्यतः सभी निगमों के लिये या विशेषतः ऐसे किसी एक या एकाधिक निगमों के लिये हो सकता है जो निर्दिष्ट किये जायं।

(३) इस अधिनियम के अधीन निर्मित समस्त नियम, उनके निर्मित होने के शीघ्र बाद कम से कम चौदह दिन तक राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रख दिये जायेंगे और वे ऐसे परिष्कार के अधीन होंगे जिन्हें विधान मण्डल उनके रखे जाने के बाद सत्र की अवधि में करे।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ५३५ में निम्नलिखित को उपखंड (१) कर के जोड़ा जाये, और वर्तमान उपखंड (१), (२) तथा (३) के नम्बर (२), (३), तथा (४) कर दिये जायं :

"(१) इस अधिनियम के पूर्व अध्यायों के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त नियम बनाने के अधिकार के अतिरिक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है तथा निगम के पथ प्रदर्शनार्थ (guidance) इस अथवा अन्य किसी विधायन के उपबन्धों को कार्यान्वित करने से संबंधित विषयों के निमित्त आदर्श नियम (Model Rules) भी बना सकती हैं।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों में निगम तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन को तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को विनियमित करने के संबंध में, जब तक कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उस प्रयोजन के निमित्त उपविधियां न बन जायं, नियम बनाने का अधिकार भी सम्मिलित है।"

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जब यह ऐक्ट पास हो जायगा तो इसको इन्फोर्स करने के लिये कोई स्पेसिफिक क्लाज इसमें नहीं ऐड किया गया है। इसलिये उस वक्त गवर्नमेंट को कई रूल्स, बाई-लाज और माडल रूल्स बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिये यह संशोधन आवश्यक है। जैसे कारपोरेशन अपनी पहली मीटिंग कैसे चलायेगा, इसके लिये भी गवर्नमेंट को नियम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये इस संशोधन को लाना आवश्यकीय समझ कर मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है। आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह स्वीकार है और इसलिये लाना पड़ा क्योंकि निगम बन जाने पर भी उनके पास रूल्स वगैरह तो होंगे नहीं, तो उन्हीं की गाइडेन्स के लिये है, शुरू-शुरू में काम चलाने के लिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५३५ में निम्नलिखित को उपखंड (१) करके जोड़ा जाय, और वर्तमान उपखंड (१), (२) तथा (३) के नम्बर (२), (३) तथा (४) कर दिये जायं :—

"(१) इस अधिनियम के पूर्व अध्यायों के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त नियम बनाने के अधिकार के अतिरिक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है तथा निगम के पथ प्रदर्शनार्थ (guidance) इस अथवा अन्य किसी विधायन के उपबन्धों को कार्यान्वित करने से संबंधित विषयों के निमित्त आदर्श नियम (Model Rules) भी बना सकती है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों में निगम तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन को तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को विनियमित करने के संबंध में, जब तक कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उस प्रयोजन के निमित्त उपविधियां न बन जायं, नियम बनाने का अधिकार भी सम्मिलित है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५३५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लखनऊ की तरफ से आई है कि :

"I have the honour to inform you that Sri Narain Dutt Tewari, a member of the Legislative Assembly has been arrested this morning at 11 a.m. in Lucknow City near Nazirabad crossing u/s 151 Cr. P. C., while he along with 11 others had just started on their march to raid and seize the stocks of Government Food Grains Godowns.

He is being put up before the Magistrate concerned u/s 107/117 Cr. P. C. and orders passed by him will be communicated to you."

श्री नारायणदत्त तिवारी जो लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य हैं उन्हें आज सुबह ११ बजे गिरफ्तार किया गया लखनऊ शहर में, नजीराबाद के चौराहे के करीब दफा १५१ जाब्ता फौजदारी के मातहत। वह और उनके साथी, ११ अन्य व्यक्ति सरकारी गोदामों के ऊपर कब्जा करने के लिये मार्च कर रहे थे और रेड करने वाले थे। मार्च किया ही था कि उसी वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैजिस्ट्रेट के सामने दफा १०७, ११७ जाब्ता फौजदारी में उनको उपस्थित किया जा रहा है और जो कुछ आज्ञा होगी मुझे बाद को उसकी सूचना दे दी जावेगी। यह सूचना अभी आई है।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

खंड ५३६

५३६—निगम समय-समय पर निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में ऐसी उपविधियां बना सकता है जो इस अधिनियम और नियमों से असंगत न हों, अर्थात्—

किन प्रयोजनों के लिये उपविधियां बनायी जायंगी।

(१) ऐसे किसी विवरण के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम या नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था न की गई हो, नालियों,

संवीजन छड़ों या पाइपों, मलकूपों, नाबदानों, संडासों, शौचालयों, मूत्रालयों, धुलाई गृहों, प्रत्येक प्रकार के जलोत्सारण निर्माणकार्यों चाहे वे निगम के हों अथवा अन्य व्यक्तियों के, नगरपालिका जल-कलों, निजी संचार पाइपों (communication pipes), निजी सड़कों और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण संधारण, रक्षा-धुलाई (flushing) सफाई और नियंत्रण को विनियमित करना;

(२) जल संभारण और उसके उपयोग से सम्बद्ध सभी विषयों को विनियमित करना ;

(३) सार्वजनिक तथा निजी गाड़ी के अड्डों के संधारण, निरीक्षण (supervision)और प्रयोग की तथा उनमें से ऐसे अड्डों के प्रयोग के लिये, जो निगम की हों शुल्क लगाने का कार्य (levy) विनियमित करना ;

(४) धारा ३१३ और ३१४ के अधीन नोटिस का प्रपत्र और विभिन्न श्रेणी के निर्माण कार्यों के ढांचों के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले सूचना आलेख्यों (information documents) तथा नक्शों (plans) एवं ऐसी रीति जिससे वे व्यक्ति, जिनके द्वारा नोटिसों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा वह रीति जिससे नक्शा, खंड विवरण, संरचना संबंधी रेखाचित्र (structural drawing)या संरचना संबंधी, गणनायें (structural calculations) क्रमशः बनाये, दिये, तैयार किये और हस्ताक्षरित किये जायेंगे, विहित करना ;

(५) वह रीति , निरीक्षण (supervision), अभिकरण शर्तें एवं निर्बन्धन विनियमित करना क्रमशः जिससे, जिसके अन्तर्गत, जिसके द्वारा और जिनके अधीन विशेष श्रेणियों के भवन के निर्माण अथवा पुर्ननिर्माण का कार्य अथवा धारा ३१४ में वर्णित कोई कार्य किया जायगा ;

(६) सुदृढ़ बनाने और अग्निकांड से बचाव तथा आग लगने की दशा में गृहवासियों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य क प्रयोजनार्थ या तो सामान्यतः अथवा निर्माण-कार्य के प्रकार और उसके अभिप्रेत प्रयोग की दृष्टि से दीवालों, नींवों, छतों और चिमनी का ढांचा, (structure) , जीनों (staircases) की संख्या चौड़ाई और स्थिति, बरामदों (corridors) और रास्तों की चौड़ाई, फर्श, सीढ़ियों और छोटे-छोटे सभी टुकड़ों (scantlings) गर्डरों, खम्भों (posts) तथा भवन स्तम्भों की सामग्री, आकार और मजबूती ;

(७) कार्य करने वालों और सामान्य जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निमित्त, भवन निर्माण क प्रयोजनार्थ पाढ़ों (scaffolding) का निर्माण ;

(८) भवनों के पर्याप्त संवीजन के लिये वायु के निर्बाध संचार तथा अन्य साधनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भवनों के निकट पर्याप्त खुली जगह—चाहे वह बाहर हो या भीतर —की व्यवस्था करना तथा उसका संधारण ;

(९) भवनों में पहुंचने के लिये उपर्युक्त साधनों की व्यवस्था और उनका संधारण तथा उनमें अतिक्रमण (encroachment) का निवारण ;

(१०) गृह-पथों (house gallies) और सेवा मार्गों (service passages) की व्यवस्था और उनका संधारण ;

(११) उन शर्तों को विनियमित करना, जिनके अधीन ढांचे के भवन (frame buildings) बनाये जा सकते हैं ;

(१२) भवन-निर्माण-स्थल के रूप में भूमि के प्रयोग को विनियमित करना, ऐसे स्थलों का न्यूनतम आकार---सामान्यतः अथवा निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये विहित करना---और निर्दिष्ट सड़कों या सड़कों की श्रेणियों या निर्दिष्ट स्थानों (localities) में, सभी या विशेष श्रेणियों के भवनों के लिये यह विहित करना कि सड़क के पार्श्व (margin) से वे कितने पीछे (set-back) रहेंगे ;

(१३) सामान्यतः अथवा उन सामानों की दृष्टि से, जिससे वे बनाये जायें या उन सड़कों की चौड़ाई की दृष्टि से, जिनकी और उनका सामने का भाग पड़ता हो, अथवा उन क्षेत्रों की दृष्टि से, जिनमें वे स्थित हों या उस प्रयोजन की दृष्टि से, जिसके लिये उनका प्रयोग अभिप्रेत हो, ढांचों की ऊंचाई को विनियमित करना ;

(१४) भूमि के ऊपर, या अगली निचली मंजिल (next lower storey) के ऊपर भवन में बनाये जाने वाले मंजिलों की संख्या और ऊंचाई को विनियमित करना ;

(१५) धारा ६२६ के अधीन अपेक्षित समाप्ति के प्रमाण पत्रों का प्रपत्र, वह रीति जिससे तथा वह व्यक्ति जिसके द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायगा, विहित करना ;

(१६) कालान्तरों (intervals), जिन पर, रीति जिससे तथा व्यक्ति जिनके द्वारा धारा ३२७ के अधीन भवन का समय-समय पर निरीक्षण किया जायगा, विनियमित करना ;

(१७) निगम में निहित समाज के निर्धन वर्गों के लिये अभिप्रेत निवास गृहों (dwellings) के प्रबन्ध, संधारण, नियंत्रण प्रयोगों को विनियमित करना ;

(१८) अनुज्ञप्त भू-मापकों, वास्तु-शास्त्रियों, इंजीनियरों, ढांचा लेखकों, निर्माण-लिपिकों और नल-मिस्त्रियों के लिये अर्हतायें और अनुभव विहित करना ;

(१९) किसी ऐसे विवरण की दृष्टि से जिसकी इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गई हो, सफाई, संरक्षण और स्वच्छता का और कृन्तकों (rodents) तथा अन्न को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कीड़े-मकोड़े के विनाश, मच्छड़ों, मक्खियों तथा अन्य कृमियों (pests) के विरुद्ध, रोकथाम (preventive) तथा औपचारिक (remedial) उपायों का विनियमन ;

(२०) धारा ४३४ में उल्लिखित किन्हीं प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त सभी भू-गृहादि और उस पर किये जाने वाले सभी व्यापारों और उत्पादनों (manufactures) का नियंत्रण तथा निरीक्षण (supervision) तथा ऐसे किसी भू-गृहादि के निर्माण, आकार, संवीजन, प्रकाश, सफाई, जलोत्सारण तथा जल-सम्भरण को विहित तथा विनियमित करना ;

(२१) दूध देने वाले पशुओं का निरीक्षण तथा पशुशालाओं (cattle sheds) और दुग्धशालाओं के निर्माण, आकार, संवीजन, प्रकाश , सफाई, जलोत्सारण तथा जल-सम्भरण को विहित और विनयमित करना ;

(२२) दूध के भंडारों, दूध की दूकानों तथा ग्वालों (dairymen) या दूध बेचने वालों द्वारा दूध रखने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किये जाने वाले दुग्ध भाड़ों की स्वच्छता को सुनिश्चित करना ;

(२३) नगर में दूध की बिक्री को विनियमित करना, दूध को दूषित होने से बचाना और दूषित दूध की बिक्री की रोकथाम करना ;

(२४) जब दूध देने वाला कोई पशु किसी संक्रामक रोग में ग्रस्त हो जाय तो उस दशा में उसको नोटिस दिये जाने का आदेश देना तथा दूध देने वाले पशुओं और दूध को संक्रमित (infection) या दूषित होने से (condemnation) बचाने के लिये पूर्वोपाय विहित करना ;

(२५) पशुओं में ऐसी बीमारी के फैलने की दशा में, जो मनुष्यों को भी लग सकती हो, किये जाने वाले उपायों (measures) तथा ऐसी सूचनायें देने के कार्यों को विनियमित करना जो उन उपायों के सम्पन्न करने में सुविधा प्रदान करें ;

(२६) बाजारों, वधशालाओं और ऐसी दूकानों के कुशल-निरीक्षण को सुनिश्चित करना, जिसमें मानव भोजन के लिये अभिप्रेत वस्तुयें रखी या बेची जाती हों ;

(२७) नगर के भीतर या नगर के बाहर किसी नगरपालिका वध-शाला में कारबार करने वाले कसाइयों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण ;

(२८) किसी नगरपालिका बाजार, भवन, बाजार-स्थल (market place) या वधशाला या उसके किसी भाग के प्रयोग को विनियमित करना ;

(२९) बाजारों और वधशालाओं की सफाई की स्थिति को नियंत्रित और विनियमित करना और उसमें निर्दयता (cruelty) के प्रयोग का निवारण करना ;

(३०) धारा १८० के अधीन कर-निर्धारण से मुक्त हाथ से चलाने वाले ठेलों (handcarts) से भिन्न ठेलों को अनुज्ञप्त करना और ऐसे किसी ठेले का अभिग्रहण करना (seizure) और उसे निरुद्ध करना, जो यथावत अनुज्ञप्त न हो ;

(३१) किसी ऐसे संसर्गजन्य (infectious) रोग, महामारी या स्थानिक प्रकार के (epidemic) ऐसे रोगों को

घटनाओं के , जो भयानक न हों, ऐसा नोटिस दिये जाने का आदेश देना, जो निर्दिष्ट किया जाय तथा किसी ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति या उस व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसे रोग के संक्रमण की आशंका हो सकती हो (exposed to infection), किये जाने वाले पूर्वोपायों (precautions) को विहित करना ;

(३२) समाज के विभिन्न वर्गों की धार्मिक प्रथाओं का उचित ध्यान रखते हुये मृतकों के निस्तारण को तथा मृतकों के निस्तारण के समस्त स्थानों का अच्छी, स्वच्छ तथा सुरक्षित दशा में संधारित किया जाना, विनियमित करना ;

(३३) मृत पशुओं के शरीरों से चमड़ा निकालने (skinning) और उन्हें काटने के निमित्त किसी स्थान के प्रयोग को विनियमित करना ;

४) जन्म और मरण के पूर्ण यथार्थ पंजीयन को सुविधा बनाना और सुनिश्चित करना ;

(३५) विवाहों का पंजीयन (registration);

(३६) निगम में विहित या उसके नियंत्रण के अधीनस्थ सार्वजनिक बाजारों, उद्यानों, मोटर गाड़ी इत्यादि खड़ा करने के सार्वजनिक स्थानों (public parking places) तथा खुले मैदानों की क्षति या दुरुपयोग से रक्षा करना, उनके प्रबन्ध और उस रीति को विनियमित करना, जिससे वे जनता द्वारा प्रयुक्त किये जा सकते हों तथा वहां के लोगों के उचित व्यवहार (proper behaviour) की व्यवस्था करना ;

(३७) किसी ऐसी सड़क, पगडंडी (pathway) या स्थान, जिसे प्रयोग करने या जिसमें आने-जाने का सर्वसाधारण को अधिकार हो, से लगी हुई भूमि या भू-गृहादि पर मेंड़ लगाने के लिये कांटेदार तार या अन्य सामग्री के प्रयोग को विनियमित करना ;

(३८) चिथड़ों, हड्डियों या पुराने (second-hand) कपड़ों, बिस्तरों तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करना, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसी वस्तु के आयात के समय या उसके हटाये जाने, निजी या बिक्री के लिये प्रदर्शित किये जाने या किसी उत्पादन क्रिया में प्रयोग किये जाने के पूर्व उसे कीटशोधित (disinfect) करने के उपाय भी सम्मिलित हैं ;

(३९) नगर में मेलों के आयोजन और औद्योगिक प्रदर्शिनियों को विनियमित करना ;

(४०) नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में ज्वलनशील वस्तुयें एकत्रित करने और आग जलाने को विनियमित और प्रतिषिद्ध करना ;

(४०-क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन लाइसेंस, स्वीकृति अथवा अनुज्ञा प्रदान करने के लिये शुल्क का निश्चित करना ;

(४१) किसी नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा की गई सेवाओं के लिये किये जाने वाले शुल्क (charges) विनियमित करना ;

(४२) नगरपालिका के अस्पतालों, औषधालयों (dispensaries), आरोग्यशालाओं (infirmaries), गृहों (homes) और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं में जनता के प्रवेश और जनता द्वारा उनके प्रयोग को और उसके सम्बन्ध में लिये जाने वाले शुल्क को विनियमित करना ;

(४३) निगम की सम्पत्ति की रक्षा ;

(४४) नगरपालिका-अभिलेखों का जनता द्वारा किये जान वाले निरीक्षण और ऐसे निरीक्षण की अनुमति देने के पूर्व लिये जाने वाले शुल्कों का विनियमन ;

(४५) नगरपालिका अभिलेखों से उद्धरणों की प्रमाणित प्रतिलिपियों या उद्धरण (extracts) दिये जाने और उनके लिये जाने वाले शुल्कों को विनियमित करना ;

(४६) नगर में भवनों और भूमियों के ऐसे स्वामियों द्वारा जो उस नगर में निवास न करते हों इस अधिनियम या नियमों, विनियमों या उपविधियों के सभी या किसी प्रयोजन के लिये स्वामी की ओर से कार्य करने के निमित्त उक्त नगर में या उसके निकट रहने वाले अभिकर्ताओं की नियुक्ति को विनियमित करना ;

(४७) विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा विनियमन ; और

(४८) सामान्यतया इस अधिनियम के उपबन्धों और अभिप्रायों को कार्यान्वित करना ।

श्री मुरलीधर कुरील--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ५३६ के भाग (१५) में संख्या "६२६" के स्थान पर संख्या "३२६" रक्खी जाय यह प्रस्ताव करता हूं ।

इसमें कोई खास संशोधन नहीं है । टाइप में मेरे खयाल में गलती हो गयी है ; इसका सुधार हो जाना चाहिये । माननीय मंत्री महोदय, मैं आशा करता हूं, इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५३६ के भाग (१५) में संख्या "६२६" के स्थान पर संख्या "३२६" रखी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५३६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५३७–५४२

५३७—म्युनिसिपल कमिश्नर का यह कर्तव्य होगा कि वह समय-समय पर निगम के समक्ष विचारार्थ किसी ऐसी उपविधि का पांडुलेख रखे जिसे वह इस अधिनियम के किसी प्रयोजनों को आगे बढ़ाने (furtherance) के लिये आवश्यक और वांछनीय समझे ।

म्युनिसिपल कमिश्नर उपविधियों के पांडुलेख को निगम के समक्ष विचारार्थ रखेगा ।

५३८—निगम द्वारा कोई भी उपविधि न बनायी जायगी, जब तक कि—

(क) नोटिस में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसी उपविधि पर विचार किये जाने के निगम के अभिप्राय का नोटिस, उक्त दिनांक के पूर्व, सरकारी गजट और निगम का, बुलेटिन यदि कोई हो, में न दे दिया गया हो ।

(ख) ऐसी उपविधि की एक मुद्रित प्रति नगरपालिका के मुख्य कार्यालय में न रख दी गई हो और किसी व्यक्ति द्वारा जो खंड (क) के अधीन दिये गये नोटिस के दिनांक के बाद से किसी उचित समय में उसे पढ़ना चाहता हो, सार्वजनिक रूप से निःशुल्क निरीक्षण किये जाने के लिये उपलब्ध न करा दी गई हो ।

(ग) ऐसी उपविधि की मुद्रित प्रति किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे उसकी आवश्यकता हो, प्रत्येक प्रति के लिये ऐसा शुल्क भुगतान करने पर, जो म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा निश्चित किया जायगा, न दे दी गई हो ।

(घ) खंड (क) के अधीन दिये गये नोटिस के दिनांक के पूर्व उस उपविधि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा की गई सभी लिखित आपत्तियों और सुझावों के सम्बन्ध में निगम ने विचार न कर लिया हो ।

प्रस्थापित उपविधियों के संबंध में की गई आपत्तियों की निगम द्वारा सुनवाई।

५३९—(१) धारा ५३६ के अधीन बनाई गई किसी उपविधि की कोई वैधता न होगी जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा पुष्ट न कर दिया जाय ।

(२) राज्य सरकार किसी उपविधि को परिष्कार रहित अथवा ऐसे परिष्कारों सहित पुष्ट कर सकती है जिसे वह उचित समझे ।

(३) उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार द्वारा उपविधि के पुष्ट कर दिये जाने के पश्चात् उसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा और तदुपरान्त उसका विधि का सा प्रभाव होगा ।

उपविधियों को राज्य सरकार पुष्ट करेगी और उन्हें सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा।

५४०—(१) म्युनिसिपल कमिश्नर समय–समय पर प्रचलित सभी उप–विधियों को, मुद्रित करायेगा और उनकी मुद्रित प्रतियों को किसी भी व्यक्ति को, जिसे उसकी आवश्यकता हो, ऐसा शुल्क देने पर, जिसे म्युनिसिपल कमिश्नर निश्चित करे, दिलायेगा ।

(२) तत्समय प्रचलित उपविधियों की मुद्रित प्रतियां सर्वसाधारण के निरीक्षणार्थ नगरपालिका के कार्यालय के ऐसे भाग में, जहां सर्वसाधारण

उपविधि की मुद्रित प्रतियां बिक्री के लिये रखी जायंगी।

को आने-जाने का अधिकार हो तथा सार्वजनिक आश्रय-स्थान, बाजार, वध-शालायें या उससे प्रभावित होने वाले अन्य निर्माण-कार्य या स्थान जैसे अन्य स्थानों में यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, रखी जायेंगी और म्युनिसिपल कमिश्नर उक्त प्रतियों के स्थान पर समय-समय पर नई प्रतियां रखेगा ।

निगम द्वारा उपविधियों का परिष्कार और खंडन ।

५४१--(१) निगम अपनी बनाई हुई किसी उपविधि को परिष्कृत या खंडित कर सकता है ।

(२) धारा ५३७, ५३८ और ५३९ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उपधारा (१) के अधीन उपविधि के परिष्कार या खंडन (rescission) पर लागू होंगे ।

राज्य सरकार उपविधियों को परिष्कृत या निरस्त कर सकती है ।

५४२--(१) यदि राज्य सरकार को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि किसी उपविधि को पूर्णतः या अंशतः परिष्कृत या निरस्त किया जाना चाहिये, तो वह अपने ऐसे मत का कारण निगम को सूचित करेगी और एक उपयुक्त अवधि विहित करेगी जिसके भीतर उसके सम्बन्ध में निगम कोई ऐसा अभ्यावेदन (representation) कर सकेगा, जिसे वह उचित समझे ।

(२) ऐसे किसी अभ्यावेदन के प्राप्त होने और उस पर विचार करने के पश्चात् या यदि उस समय के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त न हुआ हो तो विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार किसी भी समय सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा उक्त उपविधि को पूर्णतः या अंशतः परिष्कृत या निरस्त कर सकती है ।

(३) उपधारा (२) के अधीन किसी उपविधि का परिष्कार या निरसन उस दिनांक से, जिसे राज्य सरकार उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे, या यदि कोई ऐसा दिनांक निर्दिष्ट न किया जाय तो विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, प्रभावी होगा, सिवाय किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक के पूर्व की गयी हो, करने दी गयी हो या न की गयी हो (done or suffered or omitted to be done) ।

(४) उक्त विज्ञप्ति निगम के बुलेटिन में भी यदि कोई हो, प्रकाशित की जायगी ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५३७ से लेकर ५४२ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५४३

विनियम ।

५४३--(१) कार्यकारिणी समिति समय-समय पर निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे विनियम बनायेगी जो इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों से असंगत न हो, किन्तु जो निगम द्वारा पारित किसी प्रस्ताव के अनुकूल हो--

(क) किसी ऐसे नगरपालिका पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा, जिससे प्रतिभूति मांगना इष्टकर समझा जाय, दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि और उसका प्रकार (nature) निश्चित करना;

(ख) नगरपालिका पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी देना विनियमित करना ;

(ग) उक्त किन्हीं पदाधिकारियों और कर्मचारियों के छुट्टी पर अनुपस्थित रहने की अवधि में उनके स्थान पर कार्य के लिये नियुक्त किये गये व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक निर्धारित करना ;

(घ) उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा या सवारी भत्ते (travelling or conveyance allowance) के भुगतान को प्राधिकृत करना ;

(ङ) उक्त सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अवधि विनियमित करना ;

(च) उन शर्तों को, जिनके अधीन उक्त पदाधिकारी और कर्मचारी या उनमें से कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी सेवा निवृत्ति (retirement) या सेवा मुक्त (discharge) होने पर, निवृत्त वेतन, उपदान या कारुण्य अधिदेय (compassionate allowances) प्राप्त करेगा और जिनके अधीन उत्तरजीवी पति/पत्नी (spouse) और बच्चे तथा उत्तरजीवी पति/पत्नी और बच्चों की अनुपस्थिति में, उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों में से किसी पदाधिकारी या कर्मचारी पर आश्रित उनके माता, पिता, भाई और बहन, यदि कोई हो, उनकी मृत्यु के पश्चात्, कारुण्य अधिदेय प्राप्त करेंगे और ऐसे निवृत्ति वेतन, उपदान या कारुण्य अधिदेय की धनराशि निर्धारित करना ;

(छ) कतिपय विहित दरों पर तथा कतिपय विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे निवृत्ति-वेतन या भविष्य-निधि (provident fund) में जो कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्थापित की जाय या ऐसी भविष्य-निधि में, यदि कोई हो, जो निगम द्वारा उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लाभार्थ स्थापित की जाय, अंशदानों (contributions) के भुगतान को प्राधिकृत करना ;

(ज) वे शर्तें जिनके अधीन और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा किसी पदाधिकारी या कर्मचारी को जब वह कर्त्तव्यरत (on duty) हो या छुट्टी पर हो, किसी व्यक्ति या निजी संस्था या किसी सार्वजनिक संस्था, जिसके अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी भी सम्मिलित हों, के लिये या सरकार के लिये कोई निर्दिष्ट सेवा या श्रेणीबद्ध सेवायें (series of services) सम्पादित करने और उसके लिये पारिश्रमिक प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है, विहित करना ;

(झ) सामान्यतः उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की किन्हीं अन्य शर्तों को विहित करना;

(२) कार्यकारणी समिति, समय–समय पर निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे विनियम भी बना सकती है जो इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो––

(क) मनुष्यों के रहने के प्रयोजनार्थ भवनों की उपयुक्तता के स्तरों को निर्धारित करना;

(ख) उन व्ययों की घोषणा को विनियमित करना, जो किसी भवन या भूमि के लिये संभारित किये गये (supplied), सामानों, या संधायनों (fittings), अथवा उसमें, उस पर या उसके सम्बन्ध में संपादित किये गये निर्माण-कार्य या किये गये काम के सम्बन्ध में म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन किये गये हों और जो विकास व्यय के रूप में उनके स्वामियों या अध्यासियों से वसूल किये जा सकते हों ;

(ग) धारा ३३२ के अधीन प्रचलित (in force) घोषणा-पत्र में निर्दिष्ट किन्हीं सड़कों, सड़कों के भाग या स्थानों (localities) में विशेष प्रयोजनों के हेतु अभिप्रेत दूकानों, गोदामों (warehouses), फैक्ट्रियों, कुटियों अथवा भवनों के निर्माण के लिये म्युनिसिपल कमिश्नर द्वार दी जाने वाली अनुमति को विनियमित करना ।

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन कोई भी विनियम तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उसकी पुष्टि निगम द्वारा न कर दी गई हो और यदि वह उपधारा (१) के खंड (ज) के अधीन बनाया गया हो तो जब तक कि उसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा भी न कर दी गई हो और दोनों दशाओं में जब तक कि वह सरकारी गजट में प्रकाशित न कर दिया गया हो ।

(४) निगम या राज्य सरकार उपधारा (३) के अधीन उसके समक्ष रक्खे गये किसी विनियम को पुष्ट करने से इनकार कर सकती है या उसे परिष्कार रहित अथवा ऐसे परिष्कार के साथ जिसे वह उचित समझे, पुष्ट कर सकती है ।

श्री मुरलीधर कुरील––माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ५४३ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "प्रस्ताव" के स्थान पर शब्द "संकल्प" रखा जाय, यह प्रस्ताव करता हूं ।

यह भी शाब्दिक संशोधन है । इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसके ऊपर कुछ कहा जाय । आशा है कि माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा––श्रीमन्, मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि खंड ५४३ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "प्रस्ताव" के स्थान पर शब्द "संकल्प" रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५४३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५४४

५४४—(१) यदि धारा ५३६ में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के संबंध में निगम ने कोई उपविधियां न बनाई हों या यदि निगम द्वारा बनाई गई उपविधियां, राज्य सरकार की राय में, पर्याप्त न हों तो राज्य सरकार ऐसे विषय की व्यवस्था करने के लिये उस सीमा तक उपविधियां बना सकती है जिसे वह उपयुक्त समझे ।

राज्य सरकार का उपविधियां तथा विनियम बनाने का अधिकार ।

(२) शब्द "निगम" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" रख कर धारा ५३८ के उपबन्ध इस धारा के अधीन उपविधियां बनाने के संबंध में लागू होंगे और उप विधियों के सरकारी गजट में प्रकाशित होने पर उसका विधि का सा प्रभाव होगा ।

(३) यदि इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि का कोई उपबन्ध, निगम द्वारा बनायी गयी उपविधि के किसी उपबन्ध के प्रतिकूल हो तो इस धारा के अधीन बनायी गयी उपविधि प्रभावी होगी और धारा ५३६ के अधीन बनायी गयी उपविधि, उसकी प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य (void) होगी ।

(४) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा धारा ५४३ की उपधारा (१) के खंड (च) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों के अनुकूल विनियम बना सकती है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५४४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५४५

५४५—उपविधियां अथवा विनियम बनाते समय यथा स्थिति निगम अथवा कार्यकारिणी समिति या राज्य सरकार इस बात की व्यवस्था कर सकती है कि उसकी अवहेलना (breach) करने के लिये सिद्ध दोष होने पर, अपराधी पर—

नियमों, उपविधियों अथवा विनियमों की अवहेलना करने के दंड ।

(क) जुर्माना किया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और निरन्तर अवहेलना की दशा में ऐसा जुर्माना किया जायगा जो प्रथम अवहेलना की दोष सिद्धि (conviction) के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो, बीस रुपये तक हो सकता है;

(ख) म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा अवहेलना को रोकने के लिये तदर्थ यथावत् प्राधिकृत किसी नगरपालिका पदाधिकारी से लिखित नोटिस प्राप्त होने पर जुर्माना किया जायगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो, बीस रुपये तक हो सकता है;

(ग) उक्त जुर्माना किये जाने के साथ-साथ उसे यह भी आदेश दिया जायगा कि वह दूषण का यथाशक्ति परिहार करे ।

श्री मुरलीधर कुरील—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ५४५ की पहली पंक्ति में शब्द "उप-विधियों" से पूर्व शब्द "नियम" जोड़ दिया जाय, यह प्रस्ताव करता हूं । यह भी शाब्दिक है । आशा है मंत्री जी स्वीकार करेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता --प्रश्न यह है कि खंड ५४५ की पहली पंक्ति में शब्द "उपविधियों" से पूर्व शब्द "नियम" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५४५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५४६-५५५

सार्वजनिक नोटिसों का प्रचार कैसे किया जायगा।

५४६--जब कभी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन यह व्यवस्था हो कि किसी बात के संबंध में सार्वजनिक नोटिस दिया जाय अथवा दिया जा सकता है, तो ऐसा सार्वजनिक नोटिस, जब तक कि इसके प्रतिकूल कोई विशेष उपबन्ध न हो, लिखित रूप में होगा और उस पर म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा उसे देने के लिये अधिकृत किसी म्युनिसिपल पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, तथा उससे प्रभावित होने वाले स्थानों (locality) में उसका व्यापक प्रचार किया जायगा। यह प्रचार उक्त प्रस्थान की प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर नोटिस की प्रतियां चिपका कर अथवा डुग्गी पिटवा कर अथवा स्थानीय समाचार-पत्रों में उसका विज्ञापन देकर अथवा निगम के बुलेटिन में उसे प्रकाशित करा कर, अथवा इनमें से किन्हीं दो या दो से अधिक साधनों द्वारा अथवा अन्य किन्हीं साधनों द्वारा, जिन्हें म्युनिसिपल कमिश्नर उचित समझे, किया जायगा।

विज्ञापन किस प्रकार किया जायगा।

५४७--जब कभी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन यह व्यवस्था की जाय कि नोटिस स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा दिया जायगा अथवा यह कि कोई विज्ञप्ति अथवा सूचना स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जायगी, तो यदि व्यावहारिक हो, ऐसा नोटिस, विज्ञप्ति अथवा सूचना नगर में प्रकाशित होने वाले अथवा नगर में आने वाले कम से कम दो समाचार-पत्रों में ऐसी भाषा अथवा भाषाओं में विज्ञापित की जायगी, जिन्हें निगम समय-समय पर एतदर्थ निर्दिष्ट करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि निगम अपना कोई बुलेटिन निकालती है, तो निगम के बुलेटिन के दो लगातार प्रकाशित अंकों में उक्त नोटिस का प्रकाशन इस धारा के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त समझा जायगा।

निगम आदि द्वारा लिखित लेख्यों (written documents) में सहमति आदि का दिया जाना।

५४८--(१) जब कभी इस अधिनियम, किसी नियम, उपविधि, विनियम अथवा आज्ञा के अधीन किसी कार्य का करना, न करना अथवा किसी कार्य की वैधता :--

(क) निगम, कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य किसी समिति;

(ख) म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा किसी म्युनिसिपल पदाधिकारी की सम्मति, स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय अथवा समाधान पर निर्भर करती हो तो उपधारा (२) में उपबंधित रीति से हस्ताक्षर किया हुआ कोई लिखित लेख्य (written documents) जिसका उद्देश्य ऐसी सम्मति स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय या समाधान को ज्ञापित करना अथवा उसकी सूचना देना हो, ऐसी सम्मति, स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय या समाधान का पर्याप्त साक्ष्य होगा।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट लिखित लेख्य पर जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था न की गई हो ,

(क) यदि संबद्ध प्राधिकारी निगम, कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य कोई समिति हो, तो ऐसे प्राधिकारी (authority) की ओर से म्युनिसिपल कमिश्नर ;

(ख) यदि संबद्ध प्राधिकारी, म्युनिसिपल कमिश्नर, अथवा अन्य कोई नगरपालिका पदाधिकारी हो तो यथास्थिति म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा ऐसा नगरपालिका पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे ।

नोटिस और उनकी तामील ।

५४९—(१) नोटिस, बिल, अनुसूचियां, आह्वान (summons) तथा अन्य ऐसे ही लेख्य , जिन्हें इस अधिनियम अथवा अन्य किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील करना, उसके लिये जारी करना, उसे प्रस्तुत करना अथवा देना अपेक्षित हो, नगरपालिका पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हें म्युनिसिपल कमिश्नर एतदर्थ प्राधिकृत करे, तामील किये जायेंगे, जारी किये जायेंगे, प्रस्तुत किये जायेंगे अथवा दिये जायेंगे ।

(२) यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा ऐसे ही अन्य लेख्य का किसी व्यक्ति पर तामील किया जाना, जारी किया जाना, उसे प्रस्तुत किया जाना अथवा दिया जाना अपेक्षित हो, तो ऐसी तामीली, जारी किया जाना अथवा उसे प्रस्तुत करना, उन दशाओं को छोड़कर जिनके लिये उपधारा (३) में अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था की गई हो, निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित किया जायगा—

(क) उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान (summons) अथवा अन्य लेख्य उक्त व्यक्ति को देकर अथवा प्रस्तुत कर के;

(ख) उक्त व्यक्ति के न मिलने पर, उक्त नोटिस , बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य को नगर में उस व्यक्ति को अंतिम ज्ञात निवास-स्थान पर छोड़ कर, अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य अथवा नौकर को देकर अथवा प्रस्तुत करके, अथवा उसके कारबार (business) के सामान्य स्थान पर, यदि कोई हो, छोड़ कर अथवा ऐसे स्थान में उसके किसी वयस्क, कर्मचारी यदि कोई हो, को देकर अथवा प्रस्तुत करके ; अथवा

(ग) यदि उक्त व्यक्ति नगर में निवास न करता हो और यदि उसके अन्य स्थान का पता म्युनिसिपल कमिश्नर को ज्ञात हो, तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य ऐसे लिफाफे में रखकर जिस पर उसका उक्त पता लिखा हो , डाक द्वारा भेज कर; अथवा

(घ) यदि उपयुक्त कोई भी साधन उपलब्ध न हों तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य को उससे संबद्ध भवन अथवा भूमि, यदि कोई हों, के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकवा कर ।

(३) यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य ऐसे लेख्य को किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी पर तामील करना, जारी करना अथवा उसे प्रस्तुत करना अपेक्षित हो तो उसके भीतर स्वामी अथवा अध्यासी का नाम लिखना आवश्यक न होगा, तथा उसकी तामील, उसका जारी किया जाना अथवा उसका प्रस्तुत करना अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अनुसार कार्यान्वित न किया जाकर निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित किया जायगा, अर्थात् —

(क) उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य को स्वामी अथवा अध्यासी को देकर अथवा उसे प्रस्तुत करके अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी एक से अधिक हों तो ऐसे भवन अथवा भूमि के किसी भी एक स्वामी अथवा अध्यासी को देकर अथवा प्रस्तुत करके ; अथवा

(ख) यदि स्वामी अथवा अध्यासी अथवा स्वामियों या अध्यासियों में से कोई भी स्वामी अथवा अध्यासी न मिले तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य को स्वामी या अध्यासी के परिवार के अथवा स्वामियों या अध्यासियों में से किसी स्वामी या अध्यासी के परिवार के किसी वयस्क सदस्य अथवा नौकर को देकर या उसे प्रस्तुत करके; अथवा

(ग) यदि पूर्वोक्त कोई भी साधन उपलब्ध न हो तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य को संबद्ध भवन अथवा भूमि के किसी प्रमुख स्थान (conspicuous part) पर चिपकवा कर ।

(४) यदि वह व्यक्ति, जिस पर कोई नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य कोई ऐसा ही लेख्य तामील किया जाना हो, अवस्यक (minor) हो तो उसके अभिभावक (guardian) अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष, सदस्य अथवा नौकर पर उसका तामील किया जाना ही उस अवयस्क पर उसकी तामील समझी जायगी ।

(५) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये आह्वान (summons) पर लागू न होगी ।

नोटिस आदि पर हस्ताक्षर मुद्रांकित किये जा सकते हैं ।

५५०—(१) प्रत्येक अनुज्ञप्ति, लिखित अनुमति, नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान, या अन्य लेख्य, जिन पर इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम, उपविधि द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा अन्य किसी नगरपालिका पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने आवश्यक हों, यथोचित रूप से हस्ताक्षरित समझे जायेंगे यदि उस पर यथास्थिति म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा ऐसे नगरपालिका पदाधिकारी के हस्ताक्षर की अनुलिपि (facsimile) मुद्रांकित हो ।

(२) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन नगरपालिका निधि के नाम काटे गये चेक (cheque) अथवा किसी संविदा पत्र (deed of contract) पर लागू नहीं समझी जायगी ।

५५१—(१) किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य को किसी व्यक्ति पर तामील करने, जारी किये जाने, प्रस्तुत करने या दिये जाने के कार्य को सुगम बनाने के लिये म्युनिसिपल कमिश्नर किसी भी भू-गृहादि अथवा उसके किसी भाग के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित नोटिस द्वारा लिखित रूप में यह प्रकथन करने का आदेश दे सकता है कि वह ऐसी अवधि के भीतर, जिसे म्युनिसिपल कमिश्नर नोटिस में निर्दिष्ट करे यह बताये कि उसमें उसके स्वत्व का क्या स्वरूप (nature) है, तथा उसमें स्वत्व रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का, चाहे वह माफीदार (free-holder), बंधकी अथवा पट्टेदार के रूप में हो, नाम और पता जहां तक कि ऐसा नाम और पता उसे ज्ञात हो, क्या है।

म्युनिसिपल कमिश्नर का भू-गृहादि के स्वामित्व के सम्बन्ध में सूचना मांगने के अधिकार।

(२) कोई व्यक्ति, जिसे म्युनिसिपल कमिश्नर ने उपधारा (१) के अनुसार कोई सूचना देने के लिये आदेश दिया हो, उक्त आदेश का पालन करने और ऐसी जिसे वह अपनी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर ठीक समझता हो, सूचना देने के लिये बाध्य होगा।

५५२—(१) यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा निर्माण या कार्य जिसके लिये इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन म्युनिसिपल कमिश्नर की लिखित अनुज्ञा अपेक्षित हो, बिना ऐसी अनुज्ञा प्राप्त किये, किया हो, अथवा यदि ऐसी अनुज्ञा बाद में म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा किसी कारण से निलम्बित अथवा प्रतिसंहृत (revoked) कर दी गई हो तो किया गया ऐसा निर्माण अथवा कार्य, अनधिकृत समझा जायगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर किसी समय लिखित नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि उक्त निर्माण अथवा कार्य करने वाला व्यक्ति, ऐसे निर्माण को यथास्थिति हटा दे, गिरा दे, अथवा अकारथ कर दे (undo), यदि ऐसे निर्माण को सम्पादित अथवा कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा नोटिस दिये जाने के समय स्वामी न हो, तो उक्त नोटिस दिये जाने के समय जो भी व्यक्ति स्वामी हो वह म्युनिसिपल कमिश्नर के आदेशों का पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

म्युनिसिपल कमिश्नर की लिखित अनुज्ञा के बिना किये गये निर्माण अथवा कार्य अनधिकृत समझे जायेंगे।

(२) यदि उक्त लिखित नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर यथास्थिति स्वामी अथवा अध्यासी द्वारा नोटिस में वर्णित आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया जाता, तो म्युनिसिपल कमिश्नर उस निर्माण को हटा सकता है, परिवर्तित कर सकता है अथवा अकारथ कर सकता है तथा ऐसा करने में जो व्यय होगा वह यथास्थिति उक्त व्यक्ति अथवा स्वामी द्वारा वहन किया जायगा।

५५३—(१) इस अधिनियम तथा नियमों, उपविधियों एवं विनियमों के अधीन रहते हुए यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, उपविधि या विनियम के किसी उपबन्ध के अधीन म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा एतदर्थ यथावत् अधिकृत किसी नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा लिखित नोटिस देकर कोई आदेश दिया जाय तो ऐसे नोटिस में उक्त आदेश अथवा आज्ञा को कार्यान्वित किये जाने के लिये एक उचित अवधि विहित की जायगी और यदि इस प्रकार विहित की गई अवधि के भीतर, उक्त आदेश अथवा आज्ञा अथवा उक्त आदेश अथवा आज्ञा के किसी अंश का अनुपालन न किया गया हो तो म्युनिसिपल कमिश्नर ऐसी कार्यवाही कर सकता है, अथवा ऐसा निर्माण सम्पादित करा सकता है, अथवा ऐसा कार्य करा सकता है जो उसकी राय में इस प्रकार दिये गये आदेश अथवा दी गई आज्ञा को यथोचित रूप से प्रभावपूर्ण बनाने के लिये आवश्यक हो और जब तक कि इस अधिनियम में स्पष्टरूप से अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो उस पर होने वाला व्यय उस व्यक्ति द्वारा अथवा उसमें से किसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा जिसे या जिन्हें उक्त आदेश अथवा आज्ञा संबोधित की गई थी।

निर्माण आदि, जिन्हें किसी व्यक्ति से सम्पादित करने की अपेक्षा की गयी हो, कुछ दशाओं में उक्त व्यक्ति की लागत पर म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा सम्पादित किये जा सकते हैं

(२) म्युनिसिपल कमिश्नर, इस धारा के अधीन , कोई कार्यवाही कर सकता है, कोई निर्माण सम्पादित करा सकता है अथवा अन्य कोई कार्य करा सकता है चाहे उक्त आदश अथवा आज्ञा का अनुपालन न करन वाला व्यक्ति आज्ञा का अनुपालन न करने के लिये दंड का भागी रहा हो, या अभियोजित किया गया हो (prosecuted) या एतदर्थ उसे किसी दंड का आदेश दिया जा चुका हो अथवा नहीं ।

सामग्री का सम्भरण (supply) ।

५५४--किसी ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना पर जिसे इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के किसी उपबन्ध के अधीन कोई सामग्री अथवा संधायनों (fittings) क संभरण का आदेश दिया गया हो, म्युनिसिपल कमिश्नर , ऐसे व्यक्ति की ओर से, आवश्यक सामग्री अथवा संधायनों का सम्भरण करके निर्माण करवा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि धारा ५२० या ५२१ के उपबन्ध लागू न होते हों, तो उक्त व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम ऐसी धनराशि जमा की जायगी जो म्युनिसिपल कमिश्नर की राय म उक्त सामग्री, संधायनों तथा निर्माण के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो ।

प्रवेश तथा निरीक्षण के अधिकार ।

५५५--(१) म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा उसके द्वारा एतदथ प्राधिकृत कोई नगरपालिका पदाधिकारी अथवा सेवक किसी ऐसे भू-गृहादि में, या जहां पर इस अधिनियम अथवा नियमों के उपबन्धों के द्वारा या अधीन उसे प्रवश अथवा निरीक्षण करन का अधिकार हो, अथवा कोई ऐसा निरीक्षण, तलाशी, भू-मापन, माप, मूल्यांकन अथवा जांच करने का कोई ऐसा नर्माण संपादित करने के निमित्त जिसके लिये वह इस अधिनियम द्वारा, अथवा उसके अधीन प्राधिकृत किया गया हो अथवा जिसे कराना इस अधिनियम के अथवा तदंतर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों, उपविधियों अथवा विनियमों के प्रयोजनार्थ, अथवा अनुसार, आवश्यक हो, अपन सहायकों सहित या रहित, प्रवश कर सकता है ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी पदाधिकारी अथवा सेवक को निम्नलिखित दशाओं में किसी स्थान में प्रवेश करने और किसी वस्तु का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, अर्थात्

(क) कोई अस्तबल, मोटरखाना, वाहन-गृह (coach-house) अथवा अन्य कोई स्थान जहां कर लगाये जाने योग्य (liable to tax) कोई वाहन, नाव या पशु रखा जाता हो ;

(ख) कोई भूमि, जहां नगरपालिका की कोई नाली रही हो, अथवा जहां नाली बनाने का प्रस्ताव हो--धारा २२७ के अधीन;

(ग) कोई भूमि , जो किसी व्यक्ति के कब्जे में स्वयं अपनी नाली नगरपालिका की नालियों में गिराने के उद्देश्य से हो--धारा २३१, २३३,२३८ तथा २३९ के अधीन ;

(घ) कोई भूमि जिसमें नालियों के संबीजन के निमित्त छड़ें और पाइप लगाने की आवश्यकता हो--धारा २४६ के अधीन ;

(ङ) नालियां, संवीजन, छड़, पाइप, मलकूप, शौचालय, मूत्रालय स्नान और धुलाई के स्थल --धारा २५२ के अधीन ;

(च) कोई भूमि जिससे होकर नगरपालिका के जल-कल में जाने का मार्ग हो--धारा २६१ के अधीन ;

(छ) कोई भू-गृहादि जिनके बारे में यह संशय हो कि उनमें धारा ४३४ का उल्लंघन करके कोई व्यापार किया जाता है या कोई वस्तु रखी जाती है ;

(ज) कोई भू-गृहादि जिसके प्रयोग के लिये अनुज्ञप्ति की आवश्यकता हो तथा जिसके लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई हो ;

(झ) निर्माण काल में (during erection) कोई भवन अथवा संपादन के समय कोई निर्माण कार्य (work) ;

(ञ) कोई भू-गृहादि जिनकी व्यवस्था निगम ने नगरपालिका पदाधिकारियों और सेवकों के रहने के लिये की हो ।

(३) म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा उक्त प्राधिकृत व्यक्ति, उपधारा (१) के अधीन प्रवेश करने के लिये तब तक बल प्रयोग न करेगा, जब तक--

(१) अन्यथा ऐसा प्रवेश न किया जा सकता हो ;

(२) ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि इस अधिनियम अथवा तदंतर्गत बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के किसी उपबन्ध के अधीन कोई अपराध किया जा रहा है अथवा किया जा चुका है ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५४६ से लेकर ५५५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५५६-५६३

निर्माण कार्यों से संलग्न भूमियों पर म्युनिसिपल कमिश्नर का प्रवेशाधिकार ।

५५६--(१) म्युनिसिपल कमिश्नर इस अधिनियम अथवा तदंतर्गत बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि द्वारा प्राधिकृत किसी निर्माण-कार्य से संलग्न अथवा उसके १०० गज के भीतर स्थित भूमि पर, उसमें मिट्टी, बजरी (gravel), बालू, ईंटें, पत्थर अथवा ऐसे निर्माण में प्रवेश पाने के निमित्त आवश्यक अन्य पदार्थ डालने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसे निर्माण कार्यों को संपादित करने से सम्बद्ध किसी अन्य प्रयोजन के निमित्त प्रवेश कर सकता है ।

(२) म्युनिसिपल कमिश्नर उपधारा (१) के अधीन किसी भूमि में प्रवेश करने से पूर्व जब तक कि इस अधिनियम में, अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या उपविधि में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को (यदि कोई हो) अपने ऐसे प्रवेश के अभिप्राय का तथा तत्संबंधी प्रयोजन का तीन दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा और यदि स्वामी अथवा अध्यासी ऐसी अपेक्षा करे तो पर्याप्त मेड़ों (fences) के द्वारा उतनी भूमि को पृथक कर देगा जो उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो ।

(३) म्युनिसिपल कमिश्नर, उपधारा (१) के अधीन किसी भूमि में प्रवेश से पूर्व, कोई भी भुगतान करने अथवा कोई धन प्रस्तुत या जमा करने (tender or deposit) के लिए बाध्य नहीं होगा किन्तु यथाशक्य कम से कम क्षति पहुंचायेगा तथा भूमि के स्वामी तथा अध्यासी को (यदि कोई हो) ऐसे प्रवेश के लिए तथा उसके फलस्वरूप हुई किसी अस्थायी क्षति के लिए प्रतिकर देगा तथा उक्त स्वामी को तजन्य किसी स्थायी क्षति के लिए भी प्रतिकर देगा।

प्रवेश करने का समय।

५५७--(१) सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व ऐसा प्रवेश नहीं किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी दशा में, जिसमें इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन इसकी स्पष्टरूप से व्यवस्था की गई हो, ऐसा प्रवेश दिन में या रात में किया जा सकता है।

(२) उस दशा को छोड़ कर जब इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था की गई हो, किसी भवन में, जो मनुष्यों के निवास के लिए प्रयुक्त होता हो, उसके अध्यासी की सहमति के अनुकूल अथवा उसे अभिप्रेत प्रवेश तथा ऐसे प्रयोजनों की ६ घंटे पूर्व लिखित सूचना दिये बिना सिवाय उस दशा के तत्संबंधी प्रयोजन बताना अनावश्यक समझा जाय, प्रवेश न किया जायगा।

(३) जब ऐसे भू-गृहादि में अन्यथा बिना नोटिस दिये प्रवेश किया जा सकता हो तो प्रत्येक मामले में पर्याप्त नोटिस दिया जायगा जिससे उस कक्ष के रहने वाले वहां से हट सकें जो महिलाओं के प्रयोग के लिए अलग कर दिया गया हो।

(४) जहां तक प्रवेश का प्रयोजन आवश्यकतानुसार सुसंगत हो, उस भू-गृहादि के अध्यासियों की सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं की ओर अथवा सर्वदा समुचित ध्यान दिया जायगा, जहां प्रवेश किया जाय।

(५) धारा ४३४ की उपधारा (७) के अधीन प्रवेश से अथवा ऐसा प्रवेश करने के लिए प्रयुक्त आवश्यक बल प्रयोग से अनिवार्यतः हुई किसी क्षति के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकर का दावा नहीं किया जायगा।

धारा ५५५ या ५५६ के अधीन प्रवेश अवरुद्ध करने का प्रतिषेध।

५५८--कोई व्यक्ति, किसी भी प्रकार से म्युनिसिपल कमिश्नर के धारा ५५५ या ५५६ के अधीन प्रवेश करने में या किसी नगरपालिका पदाधिकारी या अन्य ऐसे व्यक्ति के प्रवेश करने में बाधक न होगा जो म्युनिसिपल कमिश्नर की प्रार्थना से उसके साथ हो या जो उसकी आज्ञा से कार्य कर रहा हो।

दीवानी तथा फौजदारी कार्यवाहियों के निर्देशन आदि तथा विविध परामर्श आदि प्राप्त करने के संबंध में उपबंध।

५५९--(१) म्युनिसिपल कमिश्नर--

(क) किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर निम्नलिखित किसी अपराध के संबंध में दोषारोपण किया गया हो (charged) कार्यवाही कर सकता है अथवा कार्यवाही वापस ले सकता है--

१--इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन कोई अपराध ;

२--कोई ऐसा अपराध जिससे निगम को सम्पत्ति अथवा स्वत्व पर अथवा इस अधिनियम के उचित प्रशासन पर, प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की आशंका हो ;

३—कोई भी अपदूषण करना ;

(ख) कोई अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के विरुद्ध किये गये किसी ऐसे अपराध के संबंध में समझौता कर सकता है जिसमें तत्समय प्रचलित विधि के अधीन विधितः समझौता किया जा सकता हो ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किसी निर्वाचन आवेदन में अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन से सम्बद्ध किसी अन्य कार्यवाही में, यदि स्वयं उस पर अथवा निगम अथवा अन्य किसी नगरपालिका पदाधिकारी पर वाद चलाया गया हो (sued) प्रतिवाद कर सकता है ;

(घ) वार्षिक मूल्यांकन या कर के विरुद्ध धारा ४६७ के अधीन की गई किसी अपील का प्रतिवाद कर सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है अथवा उसमें समझौता (compromise) कर सकता है;

(ङ) धारा ४६५ की उपधारा (२), धारा ५१८ की उपधारा (३) तथा धारा ४७७ के अधीन तथा ऐसे प्रतिकर या व्यय की वसूली के निमित्त, जिनके संबंध में यह दावा किया गया हो कि वे निगम को प्राप्य (due) हैं, कार्यवाही कर सकता है, कार्यवाही वापस ले सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है;

(च) म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा किसी व्यक्ति के साथ किये गये किसी संविदे के अधीन देय अर्थ-दंड के संबंध में उस व्यक्ति के विरुद्ध ५०० रु० से अनधिक के तथा कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से ५०० रु० से अधिक की धनराशि के किसी दावे को वापस ले सकता है या उसमें समझौता कर सकता है;

(छ) निगम या म्युनिसिपल कमिश्नर या किसी नगरपालिका पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध, उनके द्वारा अपने अधिकारी रूप में (official capacity) क्रमशः किये गये अथवा अनुज्ञात (permitte) किसी कार्य के संबंध में लाये गये वाद अथवा विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद कर सकता है ।

(ज) निगम के विरुद्ध या म्युनिसिपल कमिश्नर या किसी नगर-पालिका पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध उपर्युक्त प्रकार से कृताकृत (done or omitted to de done) किसी कार्य के संबंध में लाये गये किसी दावें, वाद अथवा विधिक कार्यवाही को कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से स्वीकृत कर सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है ।

(झ) उपर्युक्त प्रकार के अनुमोदन से किसी वाद को निविष्ट तथा अभियोजित (institu'e and prosecute) कर सकता है अथवा किसी वाद या खंड (च) में वर्णित दावे से भिन्न किसी दावे को जो निगम अथवा म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम से निविष्ट किया गया हो या किया गया हो (instituted or made) वापस ले सकता है या उसमें समझौता कर सकता है ;

(ञ) ऐसे विधिक परामर्श या सहायता का, जिसे वह, समय-समय पर, इस उपधारा के पूर्वगामी खंडों में वर्णित किसी प्रयोजन के लिये, अथवा किसी नगरपालिका प्राधिकारी या पदाधिकारी या कर्मचारी में निहित या उस पर आरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के प्रयोग अथवा पालन को सुनिश्चित (secure) करने के निमित्त, प्राप्त करना आवश्यक या इष्टकर समझे या जिसे निगम या कार्यकारिणी समिति उसके द्वारा प्राप्त करवाना चाहे, प्राप्त कर सकता है तथा उसके लिये भुगतान कर सकता है---

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि म्युनिसिपल कमिश्नर खंड (छ) के अधीन किसी वाद अथवा विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद सर्वप्रथम तत्संबंधी विधिक परामर्श प्राप्त किये बिना न करेगा, तथा वह किसी भी ऐसे वाद को निवेशित एवं अभियोजित करेगा जिसके सम्बन्ध में निगम यह निर्धारित करे कि वह निवेशित एवं अभियोजित किया जाय ।

कौंसिलर इत्यादि जन-सेवक (public servant) समझे जायंगे ।

५६०---म्युनिसिपल कमिश्नर तथा प्रत्येक कौंसिलर और एल्डरमैन और प्रत्येक नगरपालिका पदाधिकारी या कर्मचारी जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हुआ हो, तथा निगम को प्राप्य किसी कर, शुल्क या अन्य धनराशि का उगाही के निमित्त प्रत्येक ठेकेदार, या अभिकर्ता द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में जन-सेवक (public servant) समझे जायंगे ।

(२) उपधारा (१) के प्रयोजनों के निमित्त, इंडियन पीनल कोड की धारा १६१ में "लीगल रेम्युनेरेशन" (legal remuneration) की परिभाषा के अन्तर्गत शब्द "गवर्नमेंट" (Government) में निगम का अन्तर्भाव भी समझा जायगा ।

पुलिस पदाधिकारियों के कर्तव्य ।

५६१---प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :--

(क) इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, उपविधि या विनियम के अधीन कोई अपराध किये जाने के षड़यंत्र (design) की या इस बात की कि अपराध किया जा चुका है कोई सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब उस उपयुक्त नगरपालिका पदाधिकारी को ज्ञापित करना (communicate);

(ख) म्युनिसिपल कमिश्नर को या किसी नगरपालिका पदाधिकारी या कर्मचारी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे म्युनिसिपल कमिश्नर ने विधितः अधिकारों का प्रतिनिधायन किया हो, जो इस अधिनियम अथवा किसी ऐसे नियम, उपविधि या विनियम के अधीन उक्त म्युनिसिपल कमिश्नर या पदाधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति में विहित किसी अधिकार के वैध प्रयोग के लिये उचित रूप में उनकी सहायता मांगता हो, सहायता;

तथा ऐसे समस्त प्रयोजनों के लिये उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे अपने सामान्य पुलिस कर्तव्यों के पालन करने में प्राप्त हैं ।

५६२--(१) यदि कोई पुलिस पदाधिकारी किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, उपविधि अथवा विनियम के किसी उपबन्ध के विरुद्ध कोई अपराध करता हुआ पाये तो वह यदि उसे ऐसे व्यक्ति का नाम या पता ज्ञात न हो तथा यदि पूछने पर वह अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में उक्त पदाधिकारी को कुछ कारणों के आधार पर यह विश्वास हो कि बताई गई सूचना असत्य है, उसे गिरफ्तार कर सकता है । पुलिस पदाधिकारियों का लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार।

(२) उपधारा (१) के अधीन गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को--

(क) ठीक-ठीक नाम और पता ज्ञात होने के पश्चात्; या

(ख) बिना मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के गिरफ्तारी के घंटे से चौबीस घंटों से अनधिक ऐसी अवधि से अधिक क लिय, जो उसे किसी मजिस्ट्रट क समक्ष प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक हो, अभिरक्षा में निरुद्ध न किया जायगा ।

५६३--राज्य सरकार किसी नगरपालिका पदाधिकारी या कर्मचारी को या नगरपालिका पदाधिकारियों या कर्मचारियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त पुलिस पदाधिकारियों के अधिकारों का प्रयोग करन का अधिकार दे सकती है । नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा पुलिस क अधिकारों का प्रयोग।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५५६ से लेकर ५६३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५६४

५६४--(१).इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन किय गये किसी निर्धारण (assessment) या की गई कुर्की (distress levied) या की गयी कुर्की (attachment), जारी किये गये नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान या अन्य लेख्य में कोई अनौपचारिकता (informality), लिपिक त्रुटि, अकर्म (omission) या अन्य दोष किसी भी समय यथाशक्य ठीक किय जा सकत हैं । निर्धारण इत्यादि में अनौपचारिकताएं तथा त्रुटियां इत्यादि, ऐसे निर्धारण आदि को अवैध करने वाली न समझी जायंगी ।

(२) उक्त कोई भी ऐसी अनौपचारिकता (informality), लिपिक त्रुटि, अकार्य या अन्य दोष उपर्युक्त निर्धारण, कुर्की-खुद (distress), कुर्की (attachment), नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान या अन्य लेख्य को अमान्य अथवा अवैध करने वाली न समझी जायगी, यदि इस अधिनियम के तथा नियमों, विनियमों और उपविधियों क उपबंध सारतः तथा प्रभावतः (in substance and effect) अनुपालित किये गये हों, किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे अनौपचारिकता, लिपिक-त्रुटि, अकार्य या अन्य दोष के कारण कोई क्षति पहुंची हो, किसी अधिकार क्षेत्रयुक्त सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उसके लिये प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

श्री मुरलीधर कुरील--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५६४ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "की गई कुर्की" के स्थान पर शब्द "किया गया अभिहरण" रखे जायं ।

(२) उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "कुर्की खुद" के स्थान पर शब्द "अभिहरण" रखा जाय ।

यह संशोधन भी पहले शाब्दिक संशोधनों की तरह से है । इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसको स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ५६४ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति म शब्द "की गई कुर्की" के स्थान पर शब्द "किया गया अभिहरण" रखे जायं; और

(२) उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "कुर्की खुद" के स्थान पर शब्द "अभिहरण" रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५६४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५६५

सद्भावना से किये गये कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति ।

५६५---इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये गये समझे गये या अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार, किसी कौंसिलर, एल्डरमैन, मेयर या म्युनिसिपल कमिश्नर या किसी नगरपालिका पदाधिकारी या कर्मचारी, या इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के, निगम के या इस अधिनियम के अधीन संगठित किसी समिति के, म्युनिसिपल कमिश्नर के या किसी नगरपालिका पदाधिकारी या कर्मचारी के, या मैजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन और अनुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ५६५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५६६

इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का वादी से संरक्षण ।

५६६---इस अधिनियम के अनुसार अथवा अधिनियम की कार्यान्विति अथवा अभिप्रेत कार्यान्विति के निमित्त किये गये या किये गये समझे गये, किसी कार्य के सम्बन्ध में, या इस अधिनियम की कार्यान्विति के संबंध में तथा कथित किसी असावधानी या चूक (neglect or default) के कारण, निगम के या म्युनिसिपल कमिश्नर के या किसी नगरपालिका पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद तब तक नहीं लाया जायगा ---

(क) जब तक निगम की दशा में मुख्य नगरपालिका कार्यालय में दो महीने का लिखित नोटिस छोड़े जाने, तथा म्युनिसिपल कमिश्नर या किसी नगरपालिका पदाधिकारी या कर्मचारी की दशा में, उसे दिये जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात दो मास की अवधि व्यतीत न हो जाय । उस नोटिस में वाद का कारण, प्रार्थित उपशम (relief) का प्रकार, अभियाचित (claimed) प्रतिकर, यदि कोई हो, की धनराशि और ऐसे वाद के प्रयोजन के लिये वादेच्छु वादी (intending plaintiff) उसके मुख्त्यार (attorney),

एडवोकेट, वकील या अभिकर्ता (agent) का नाम तथा निवास स्थान समुचित ब्यौरों के साथ लिखा जायगा ; तथा

(ख) जब तक कि वह वाद का कारण प्रोद्भूत होने के पश्चात् छः मास के भीतर प्रारंभ न किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे वाद पर लागू होता है जिसमें प्रार्थित उपशम कोई निषेधाज्ञा (injunction) हो जिसका उद्देश्य नोटिस देने अथवा वाद या कार्यवाही का आरम्भ स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप विफल हो जायगा ।

(२) ऐसे किसी वाद पर विचार के समय—

(क) प्रतिवादी को उपर्युक्त प्रकार से दिये गये या छोड़े गये नोटिस में वर्णित वाद-कारण (cause of action) के अतिरिक्त अन्य किसी वाद-कारण का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जायेगी ;

(ख) वाद, यदि क्षति के लिये हो, अपास्त (dismiss) कर दिया जायगा, यदि वाद निवेशित किये जाने के पूर्व क्षति की पर्याप्त रूप से पूर्ति कर दी गयी हो, या यदि वाद के निवेशित किये जाने के पश्चात् न्यायालय में व्यय सहित पर्याप्त धनराशि जमा कर दी गयी हो ।

(३) यदि किसी ऐसे वाद में प्रतिवादी कोई नगरपालिका पदाधिकारी या कर्मचारी हो तो वाद में, या उसके फलस्वरूप—लागत, परिव्यय, व्यय, क्षति के लिये प्रतिकर के रूप में अन्यथा, उसके द्वारा देय धनराशि या उसके किसी भाग की अदायगी, कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति से, नगरपालिका निधि में से की जायगी ।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५६६ के उपखंड (१) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:—

"(क) जब तक ऐसी लिखित नोटिस के छोड़े या दिये जाने के पश्चात् दो मास की अवधि व्यतीत न हो जाये जो निगम की दशा में निगम के कार्यालय में छोड़ी जाये तथा म्युनिसिपल कमिश्नर या निगम के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की दशा में उसे दी जाये या उसके पास छोड़ी जाये और जिसमें वाद का कारण, प्रार्थित उपशम (relief) का प्रकार अभियाचित (claimed) प्रतिकर, यदि कोई हो, की धनराशि और ऐसे वाद के प्रयोजन के लिये वादेच्छुवादी (intending plaintiff) उसके मुख्तयार (attorney) एडवोकेट, वकील या अभिकर्त्ता (agent) का नाम तथा निवास स्थान समुचित ब्यौरों के साथ लिखा जायगा; तथा ।"

असल में इस में कुछ अनुवाद में फर्क हो गया है । अंग्रेजी भाषा में शुद्ध है । केवल अनुवाद जो छपा है उसमें यह अशुद्ध हो गया है । कोई मौलिक परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है, इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन में एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसे मैं अभी लिख कर भेज रहा हूं । श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि प्रस्तुत संशोधन के शब्द वादेच्छुवादी के बाद के शब्द "उसके मुख्तयार, एडवोकेट, वकील या अभिकर्त्ता" निकाल दिये जायं ।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

श्रीमन्, यह संशोधन मैंने इसलिये प्रस्तुत किया कि यह जो नोटिस दिया जाता है उसमें, जो इसके समकक्ष धारा सिविल प्रोसीजर कोड की है वह ८० है और उसमें भी इसकी आवश्यकता दी हुई है और उन आवश्यकताओं के पीछे अनुभव है, सिविल प्रोसीजर कोड जब से बना तब से लेकर आज तक का। उसमें आवश्यकता केवल इतनी है कि जो प्लैन्टिफ है वह अपना नाम, पता, पेरेन्टेज दे दे, रिलीफ जो मांगना चाहता है वह दे दे। यह दो बातें मुख्य हैं और इसका कारण यह है कि जिसके खिलाफ सूट है, चाहे वह कोई भी विभाग हो, उसको निश्चित तौर पर यह मालूम हो जाय कि जो आदमी उनके खिलाफ दावा करने जा रहा है उसका क्या पता है, वह क्या रिलीफ चाहता है और क्या काज आफ ऐक्शन है। लेकिन इसमें जो मुखत्यार, ऐडवोकेट और वकील आदि की बात है उसका प्राविजन और कहीं नहीं है, और यदि सिविल प्रोसीजर कोड में ऐसा नहीं है तो मैं कहूंगा कि आवश्यकता इस बात की नहीं है कि ऐसी धारा रखी जाय। यदि किसी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या न्यायाधीशों की रूलिंग में या लिटिगेन्ट पब्लिक के अनुभव पर यह दिक्कत महसूस होती है तो यह ठीक था, वरना उनका नाम आदि देने की बात का कोई अर्थ नहीं रहता है। जब हम कारपोरेशन के विरुद्ध कोई सूट करना चाहें तो उसे हमारा नाम मालूम हो, रिलीफ मालूम हो और काज आफ ऐक्शन मालूम हो। इतना काफी है। किस वकील के द्वारा हम करना चाहते हैं इसकी क्या जरूरत है? एक स्टेज पर हम एक वकील रखते हैं, दूसरी पर दूसरा रख सकते हैं और वह हर स्टेज पर बदलता रह सकता है। तो इसके लिखने से कोई फायदा नहीं पहुंच सकता है और श्रीमन्, यदि साधारणतः वह दावा वकील के द्वारा किया जायगा तो उसका नाम तो होगा ही। मैं तो इसलिये कहता हूं कि यह धारा एक तरह से बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर दफा ८० सिविल प्रोसीज्योर कोड का नोटिस उसके अनुकूल नहीं दिया गया है तो सारा वाद ही खारिज हो जाता है। हमारी हाईकोर्ट की रूलिंग है कि अगर किसी रेलवे के विरुद्ध कोई दावा करता है तो उसमें रेलवे रसीद का नम्बर देना है और उसमें अगर जीरो की भी गल्ती हो जाती है, जैसे २० की जगह २ या ० लिख दिया गया है, तो सारा वाद, चाहे ५०,००० रुपये का हो, खत्म हो जाता है। इसलिये इस ऐक्ट में कोई अनावश्यक बात नहीं होनी चाहिये। मैं यह भी करता कि अगर इससे कोई हानि नहीं होती तो चलने दीजिये। अगर किसी का एडवोकेट या वकील नहीं है तो नहीं लिखेगा। लेकिन जहां पूर्ति की इतनी आवश्यकता हो वहां उसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को छोड़ते हुये कि किसी दूसरी जगह ऐसा प्राविजन हुआ है या नहीं, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वह देखें कि यह अनावश्यक है, तो इसे निकाल दें।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कभी-कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि वादेच्छु वादी के अलावा उसका वैधानिक प्रतिनिधि धारा ८० के अन्तर्गत सूचना देता है। पहली सूचना जिसकी ओर से होती है उसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। बाद को वह अपने वैधानिक प्रतिनिधियों को बदल दे, तब तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब किसी एडवोकेट या एटरनी की ओर से नोटिस देना पड़े तो वहां सूचना आवश्यक है। उसके देने से कोई हानि भी नहीं है। यदि यह न रहे तो कभी-कभी संकट पैदा होगा। अगर वादेच्छु स्वयं दे तो कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी ओर से जब एडवोकेट देगा तो धारा ८० में एक संकट आवेगा और विवाद का विषय होगा कि कौन एडवोकेट है, कहां का है, आदि।

श्री एस० अहमद हसन (जिला कानपुर)--अधिष्ठाता महोदय, जिस संशोधन को शुक्ल जी ने पेश किया मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर वकील को या एटारनी को यह पावर दे दी जाय कि वह एपियर हो सके किसी पैटीशनर की तरफ से, तो वह इसलिये जरूरी है कि बहुत से केसेज में औरतों का सवाल होता है जो अदालत में नहीं आ सकती हैं। इसलिये उनको यह आसान पड़ जाता है कि अगर उनकी तरफ से कोई वकील या एडवोकेट हाजिर हो जाय। तो यह सुविधा की बात है और पब्लिक को हम जितनी सुविधा दे सकें वह देनी चाहिये। इन बातों को पेशेनजर रखते हुये मैं उसकी ताईद करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, श्री उमाशंकर शुक्ल ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसकी ताईद करता हूं। भाई जगदीश शरण जी ने अभी इस संशोधन का विरोध करते हुये यह कहा कि वकील, एडवोकेट या मुख्तार के नाम की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे समय-समय पर बदलते रहते हैं। सिविल प्रोसीज्योर कोड का भी उन्होंने हवाला दिया था। लेकिन जहां तक दीवानी के मुकदमों का सम्बन्ध है, हर आदमी जानता है कि वहां एडवोकेट या वकील का ही प्रमुख स्थान होता है। अधिकांश मुकदमे मुन्सिफ या जज की कोर्ट में बिना वादी या प्रतिवादी के यदि उनके वकील या एडवोकेट उपस्थित होते हैं, तो सुने जाते हैं और निर्णय दिये जाते हैं। न्यायालय की अ र से सूचना वादी या प्रतिवादी को न देकर उनके वकीलों को दी जाती है। यह सारा का सारा संशोधन रिलीफ क्लेम और धनराशि से सम्बन्ध रखता है, तो ऐसी स्थिति में यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि वादी या प्रतिवादी के वकील का नाम और पूरा पता देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि संशोधन में सि र्फ वकील आदि का नाम और पता ही नहीं मांगा गया है बल्कि वाद के प्रस्तुत करने वाले का नाम और पता भी मांगा गया है। यदि वादी स्वयं उपस्थित करे तो उसका नाम और पूरा पता लिखना आवश्यक है। जब कोई भी वाद न्यायालय में चलेगा तो उस समय या बीच में, जैसी कि इसमें ६ महीने के नोटिस की अवधि है, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था पर यकायक कोई वाद नहीं चल सकता। उससे पहले दो महीने का नोटिस देना अनिवार्य है। उस अवधि में उस संस्था को अधिकार होता है कि वह अपने कागजात देखकर अच्छी तरह से छानबीन कर सकती है। इसी दौरान में हो सकता है कि उसके अधिकारी इस बात का प्रयत्न करें कि उस वादी या एडवोकेट या मुख्तार को बुलाकर समझौते की बातचीत करें और दावा करने की नौबत ही न आवे। अगर केवल यह लिख दिया जाता है कि रामनाथ, फीरोजाबाद, या रामनाथ, लखनऊ, तो यह कोई पूरा पता नहीं है। हर आदमी कोई जवाहर लाल नेहरू या पंडित पंत तो नहीं है कि जिनके नाम से ही सब लोग समझ लेंगे कि ये हमारे प्रतिष्ठित फलां व्यक्ति हैं। इसलिये उमा शंकर जी का संशोधन इतना युक्तिसंगत है और इतना आवश्यक है कि उसमें नाम और पता देना आवश्यक मालूम होता है।

इन शब्दों के साथ मैं जगदीशशरण जी से निवेदन करूंगा कि एक शाब्दिक संशोधन से कोई लाभ नहीं है। जब हम एम० एल० एज० भी अपना पूरा नाम और पता लिखते हैं तो एक वादी को क्या आपत्ति हो सकती है?

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अधिष्ठाता महोदय, यह जो अभी माननीय उमाशंकर शुक्ल जी का संशोधन मैंने देखा और इसकी शब्दावली को पढ़ा तो मैंने यह अनुभव किया कि यह इतना लम्बा चौड़ा संशोधन मालूम होता है कि इसका अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं होता है। जैसा कि अभी जगदीश शरण जी ने कहा, धारा ८० सिविल प्रोसीजर कोड में भी दो माह का नोटिस सरकार को या अन्य संस्थाओं को देना आवश्यक होगा ताकि वह संस्था उस वाद के सिलसिले में अपनी तैयारी कर सके। इसलिये इतनी बड़ी शब्दावली रखने के बजाय इतना ही रखें "जब तक एक नोटिस धारा ८० जा ता दीवानी के अनुसार न भेजा जाय।" इसके अलावा और जितने शब्द हैं उनको रखने की आवश्यकता नहीं है और उसके मानी वही होंगे जो कि इस समय इसको रखने के बाद हैं। क्योंकि दफा ८० में वही सब कुछ उल्लिखित है जो यहां पर इसमें दिया हुआ है, इसलिये उसका यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी तथा माननीय उमाशंकर जी इसको समझ गये होंगे और इस संशोधन में जो संशोधन मैं रख रहा हूं, उसको स्वीकार करेंगे।

श्री लक्ष्मी नारायण बंसल---अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री जगदीश शरण जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। यह प्राविजन जो कि इस विधेयक के खंड ५६६ में रखा गया है उसका समानान्तर प्राविजन म्युनिसिपल ऐक्ट की दफा ३२६ और सिविल प्रोसीजर कोड की धारा ८० में मिलेगा। उस नोटिस की मंशा यही है कि जिस संस्था या गवर्नमेन्ट को नोटिस दिया जाय उसको यह मालूम हो जाय कि कौन शख्स दावेदार है, उसका काज आफ ऐक्शन क्या है, तथा उसका पता क्या है, जब तक किसी म्युनिसिपैलिटी या कार्पोरेशन को यह नहीं मालूम होगा तब तक वह न तो उसका पता ही लगा सकता है और न उसके बारे में कोई तैयारी ही कर सकता है। इसीलिये उसमें लिखा गया है कि वादी का नाम और पता उसमे लिखा जायगा। इतने से ही रिकार्ड से पता लग सकता है। इसके अतिरिक्त वकील या मुख्तार के नाम व पते से यहां कोई संगति नहीं है। यह चीज बड़े महत्व की है और टेक्नीकल ग्राउन्ड्स पर दावा खारिज हो जाता है। यह भी किसी कानून में नहीं है कि नोटिस किसी वकील या ऐडवोकेट की मार्फत ही दिया जाय। दरअसल कानून में तो यही है कि वादी नोटिस दे। फिर वकील या मुख्तयार या एडवोकेट के नाम की क्या आवश्यकता है ?

लेकिन अब यह कहा जाता है कि अगर समझौता करना हो या बातचीत करनी हो, इसलिये वकील या मुख्तार का नाम होना आवश्यक है। लेकिन मुमकिन है पार्टी नोटिस देने के बाद उस वकील को छोड़ दे क्योंकि ऐसी तो कोई बात किसी कानून में है नहीं कि वह वकील या मुख्तयार हमेशा के लिये पार्टी को रखना ही होगा। इसलिये समझौता तो पार्टी से ठीक हो सकता है। यह कहना कि वकील के बिना समझौते में सहायता नहीं मिलेगी, गलत है। मैं समझता हूं वह चीज तो गैरकानूनी होगी कि किसी वकील से समझौता किया जाय। आगे की जो भी कार्यवाही होगी वह बिना वकालतनामे के नहीं हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय जगदीशशरण जी का जो संशोधन है, वह बिलकुल जरूरी और आवश्यक है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, इस संशोधन पर जो संशोधन माननीय जगदीश शरण जी ने पेश किया है, उसके विषय में उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा हो कि दूसरी जगह .....

श्री अधिष्ठाता---मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो माननीय उमाशंकर शुक्ल जी का संशोधन है, वह आपको स्वीकार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां, वह स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता---फिर और कुछ जिक्र करने की जरूरत नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं यह जिक्र कर रहा था कि हमारे यहां का जो निगम विधेयक बनाया गया है वह बाम्बे पैटर्न पर है। बाम्बे पैटर्न में बिलकुल यही क्लाज इसी तरह से है लेकिन इसका इतना महत्व जो यहां दिया जाता है, वह कोई खास नहीं है क्योंकि उसमें है"

"Stating with reasonable particularity the cause of action and the name and place of abode of the intending plaintiff and of his attorney, advocate, pleader or agent, if any,"

तो इसमें कोई बड़ी भारी चीज ऐसी होती क्या है ? इस तरह की धारा से वाकफियत और डेफिनिटनेस ज्यादा बढ़ा दी गयी है। अक्सर सरकारी और अर्द्धसरकारी मामले कार्यवाही न करने की वजह से बहुत बार खारिज हो जाते हैं और उनके बरखिलाफ डिग्री हो जाती हैं। इसलिये ऐसा प्राविजन किया गया है, और कोई इससे खतरा नहीं है।

श्री उमाशंकर शुक्ल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कहना है क्योंकि हमारा काम तो माननीय सदस्यों ने ही बहुत कुछ कर दिया है। लेकिन मुझे खेद

है कि माननीय अग्रवाल जी ने हमारे संशोधन में भी संशोधन दिया है, क्योंकि हम तो इसके जरिये कुछ फैसिलिटीज देते हैं कि अन्य लोगों के जरिये वह काम कराया जा सके। इसलिये मैं अपने मूल संशोधन को उसी रूप में ही रखना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ५६६ के उपखंड (१) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(क) जब तक ऐसी लिखित नोटिस के छोड़े या दिये जाने के पश्चात् दो मास की अवधि व्यतीत न हो जाये जो निगम की दशा में निगम के कार्यालय में छोड़ी जाये तथा म्युनिसिपल कमिश्नर या निगम के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की दशा में उसे दी जाये या उसके पास छोड़ी जाये और जिसमें वाद का कारण प्रार्थिक उपशम (relief) का प्रकार अभियाचित (claimed) प्रतिकर, यदि कोई हो, की धनराशि और ऐसे वाद के प्रयोजन के लिये वादेच्छु वादी (intending plaintiff), उसके मुख्तयार, (attorney) एडवोकेट, वकील या अभिकर्ता (agent) का नाम तथा निवास स्थान समुचित ब्यौरों के साथ लिखा जायगा, तथा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५६६ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५६७

५६७---किसी वाद के दौरान में कोई दीवानी न्यायालय---

कुछ दशाओं में दीवानी न्यायालय अल्पकालिक निषेधाज्ञा न दे सकेगा।

(क) किसी व्यक्ति को, निगम या निगम की किसी समिति या उप-समिति के किसी कौंसिलर, एल्डरमैन, पदाधिकारी या कर्मचारी के अधिकारों का प्रयोग करने या कृत्यों अथवा कर्तव्यों का पालन करने से इस आधार पर कि वह व्यक्ति यथास्थिति यथोचित रूप में निर्वाचित, नाम निर्देशित या नियुक्त नहीं हुआ है, निरुद्ध करने के लिये (restraining); या

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, या किसी निगम, निगम की किसी समिति अथवा उपसमिति को कोई निर्वाचन करने या किसी विशिष्ट रीति से निर्वाचन आयोजित करने से निरुद्ध करने के लिये कोई अल्पकालिक निषेधाज्ञा या अन्तरिम आज्ञा न देगा।

श्री उमाशंकर शुक्ल---अधिष्ठाता महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि "खंड ५६७ के भाग (क) की पांचवीं पंक्ति में से शब्द "नाम निर्देशित" निकाल दिये जायं।

श्रीमन् यह भी शाब्दिक परिवर्तन है, इसलिये ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मुझे यह स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ५६७ के भाग (क) की पांचवीं पंक्ति में से शब्द "नाम निर्देशित" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५६७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५६८

स्वामी के अभिकर्त्ता या न्यासी के दायित्व की सीमा।

५६८--(१) कोई भी व्यक्ति, जो धारा २ के खंड (५०) के उपखंड (क) के पैरा (१), (२), या (३) में वर्णित किसी रूप में किसी भू-गृहादि का किराया ग्रहण करता है, कोई ऐसा कार्य करने के लिये उत्तरदायी न होगा जिसे इस अधिनियम द्वारा स्वामी द्वारा किया जाना अपेक्षित हो, जब तक कि उसके पास उस कार्य के व्यय को पूरा करने के लिये स्वामी की, या स्वामी को देय पर्याप्त धनराशि न हो, या अपने द्वारा अनुचित कार्य या चूक (improper act or default) न किये जाने की दशा में, जो उसके पास रही होतीं, न हो।

(२) उन तथ्यों को सिद्ध करने का भार जिनके कारण किसी व्यक्ति को उपधारा (१) के अधीन उपशम प्राप्त करने का अधिकार हो स्वयं उसी व्यक्ति पर होगा।

(३) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन उपशम (relief) प्राप्त कर ले तो म्युनिसिपल कमिश्नर, लिखित नोटिस द्वारा, ऐसे व्यक्ति को स्वामी की ओर से या स्वामी के प्रयोगार्थ सर्वप्रथम प्राप्त होने वाली धनराशियों से वह आभार (obligation) उत्सर्जित करने (discharge) का आदेश दे सकता है जिसे वह उस उपशम के न मिलने की दशा में उत्सर्जित करता तथा यदि कोई व्यक्ति इस नोटिस का अनुपालन न करे, तो वह ऐसे आभार के उत्सर्जन के निमित्त व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी समझा जायगा।

(४) इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह म्युनिसिपल कमिश्नर को आवश्यक निर्माण-कार्य सम्पादित करने और उसका व्यय वास्तविक स्वामी से वसूल करने से रोकती है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५६८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५६९

अन्य विधायनों में निर्देशों का अर्थ।

५६९--(१) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, १९१६, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ तथा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ से भिन्न किसी विधायन (enactment) में, जो नगर में नियत दिन से ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रवृत्त हो, या तदन्तर्गत निर्मित या प्रचारित किसी नियम, आज्ञा या विज्ञप्ति में, जो उक्त दिनांक पर उस नगर में प्रवृत्त हो (in force), जब तक कि यह न प्रतीत हो कि उससे कुछ और आशय है--

(क) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, १९१६ के अधीन संगठित नगरपालिकाओं तथा म्युनिसिपल बोर्डों के प्रति किये गये निर्देशों (references) का अर्थ यह लगाया जायगा कि वे यथास्थिति नगर अथवा उस नगर के निगम के प्रति किये गये निर्देश हैं और ऐसा विधायन, नियम, आज्ञा अथवा विज्ञप्ति उक्त नगर अथवा निगम के सम्बन्ध में लागू होगी;

(ख) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, १९१६ के अधीन संगठित म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष (President) अथवा उपाध्यक्ष (Vice-President) क प्रति किये गये

निर्देशों का अर्थ, नगर के सम्बन्ध में, यह लगाया जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नियुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर के प्रति किये गये निर्देश हैं;

(ग) यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ अथवा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ के अधीन संगठित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या डेवलपमेंट बोर्ड तथा ऐसे ट्रस्ट या बोर्ड के चेयरमैन के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ नगर के सम्बन्ध में यह लगाया जायगा कि वे क्रमशः इस अधिनियम के अधीन संगठित विकास समितियों तथा म्युनिसिपल कमिश्नर के प्रति किये गये निर्देश हैं;

(घ) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अधीन संगठित म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ नगर के सम्बन्ध में यह लगाया जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नगर के लिये संगठित निगम के सदस्यों के प्रति किये गये निर्देश हैं, तथा

(ङ) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ तथा यू० पी० कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ के किसी अध्याय अथवा किसी धारा के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ किसी नगर के सम्बन्ध में यथाशक्य यह लगाया जायगा कि वे इस अधिनियम, या इसके तत्स्थानी (Corresponding) अध्याय या धारा के प्रति किये गये अनिर्देश हैं।

श्री उमाशंकर शुक्ल—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ५६९ के उपखंड (१) के भाग (ग) की चौथी पंक्ति में शब्द "चेयरमैन" के पश्चात् शब्द "या अध्यक्ष (President)" जोड़ दिये जायं।

यह भी केवल एक डिफाइन करने की बात है। कोई विशेष बात नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५६९ के उपखंड (१) के भाग (ग) की चौथी पंक्ति में शब्द "चेयरमैन" के पश्चात् शब्द "या अध्यक्ष (President)" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५६९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५७०—५७१

देय धनराशियां

५७०—चाहे वे किसी कर (tax) के चाहे अन्य किसी लेखे (account) के सम्बन्ध में देय हों किसी ऐसे क्षेत्र के, जो अब नगर बना दिया गया हो कि नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी को देय सभी धनराशियां नगर के म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा वसूल की जायंगी और ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ वह कोई ऐसा कार्य (measure) करने अथवा कोई ऐसी कार्यवाही निवेशित (institute) करने के लिये सक्षम होगा, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने, तथा उक्त क्षेत्र के नगर के रूप में संगठित न किये जाने की दशा में उक्त नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी सम्पन्न कर सकता।

ऋण, आभार, संविदे तथा विचाराधीन (pending) कार्यवाहियां।

५७१—(१) उक्त नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से नियत दिन से ठीक पूर्व उपगत (incurred) सभी ऋण तथा आभार (obligations) और किये गये संविदों के सम्बन्ध में, जो उक्त दिन पर विद्यमान (subsisting) हों, यह समझा जायगा कि वे इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उक्त नगर के म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा उपगत हुए हैं अथवा किये गये हैं और तदनुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे।

(२) उक्त दिन पर उक्त नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष समस्त विचाराधीन कार्यवाहियां, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन म्युनिसिपल कमिश्नर के समक्ष निवेशित किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, उसे हस्तान्तरित कर दी जायंगी, और उसके द्वारा जारी रखी जायंगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां यथाशक्य ऐसे प्राधिकारी को हस्तान्तरित कर दी जायंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायंगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निवेशित की जातीं अथवा सम्पन्न की जातीं।

(३) उक्त दिनांक पर उक्त नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन समस्त अपीलें तथा व्यवहार्य इस प्रकार निस्तारित की जायंगी मानो उन्हें प्रस्तुत करने के समय क्षेत्र नगर के रूप में संगठित किया जा चुका हो।

(४) उक्त नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से निवेशित सभी अभियोजन (prosecutions) तथा उक्त नगरपालिका, स्थानीय प्राधिकारी, अथवा उस नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के किसी पदाधिकारी द्वारा, अथवा उसके विरुद्ध निवेशित सभी वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उक्त दिनांक पर विचाराधीन हों, यथास्थिति म्युनिसिपल कमिश्नर अथवा उक्त नगर के निगम द्वारा अथवा उसके विरुद्ध इस प्रकार जारी रहेंगी मानों ऐसे अभियोजन, वाद अथवा कार्यवाही के निवेशित किये जाने के समय वह क्षेत्र नगर के रूप में संगठित किया जा चुका हो।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५७० तथा ५७१ इस विधेयक के अंग मान जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५७२

नियुक्तियों, करों, बजट के तखमीनों तथा निर्धारणों का जारी रहना।

५७२—इस अध्याय के उपबन्धों अथवा धारा ५७४ के अधीन प्रचारित किसी विज्ञप्ति द्वारा की गई स्पष्ट व्यवस्था को छोड़ कर—

(क) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ या टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ या नियत दिन से तुरन्त पूर्व नगर के रूप में संगठित किये गये किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रदत्त किसी अन्य विधि के अधीन की गई प्रचारित, आरोपित या स्वीकृत कोई नियुक्ति, प्रतिनिधायन (delegation), विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आज्ञा, निदेश (directions), योजना, अनुज्ञप्ति (license), अनुज्ञा (permission), पंजीयन (registration), नियम, उपविधि विनियमन तथा प्रपत्र (form) जहां तक वह इस अधिनियमम के उपबन्धों से असंगत न हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह यथास्थिति, इस अधिनियम अथवा पूर्वोक्त अन्य किसी विधि के अधीन की गई प्रचारित, आरोपित अथवा स्वीकृत किसी नियुक्ति, प्रतिनिधायन, विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आज्ञा, निदेश, योजना, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, पंजीयन, नियम, उपविधि, विनियम या प्रपत्र द्वारा अधिक्रांत न कर दिया जाय ;

(ख) नगर के अन्तर्गत किसी क्षेत्र की किसी विकास योजना के संबंध में यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ के अधीन प्रचारित किसी नोटिस, विज्ञप्ति या स्वीकृति (sanction) के विषय में यह समझा जायगा कि वह इस अधिनियम के अधीन प्रचारित की गयी है, तथा ऐसी योजना को बढ़ाने के हेतु आगे की कार्यवाहियां तदनुसार की जायंगी ;

(ग) यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९, कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ तथा नगर के अन्तर्गत क्षेत्र पर लागू होने वाले अन्य किसी विधायन के अधीन किसी भूमि के अर्जन से सम्बद्ध सभी कार्यवाहियां, चाहे वे किसी विकास योजना के अनुसरण में अथवा अन्यथा आरब्ध (initiated) की गयी हों, उसी प्रकार जारी रखी जायंगी मानो वे इस अधिनियम के अधीन आरब्ध हों ;

(घ) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ या नियत दिनांक से तुरन्त पूर्व नगर के रूप में संगठित किये जाने वाले किसी क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किये गये बजट के सभी तखमीने, निर्धारण, मूल्यांकन (valuations), माप (measurements), तथा विभाजन (divisions), जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों, इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे ;

(ङ) नियत दिन से ठीक पूर्व उक्त नगरपालिका, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या डेवलपमेंट बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के नियोजन में सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा नियोजित पदाधिकारी तथा कर्मचारी होंगे, तथा उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पदच्युत किया जा सकेगा, हटाया जा सकेगा अथवा अन्य प्रकार से दंडित किया जा सकेगा, तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्य उपबन्ध बनाये जाने तक उन्हें वही वेतन और भत्ते दिये जायेंगे, तथा उन्हें सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रखा जायगा, जिसके कि वे उक्त दिनांक पर अधिकारी, अथवा अधीन थे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों ने नियत दिन से पूर्व जितनी भी सेवा (service) की होगी वह निगम के अधीन की गई सेवा समझी जायगी ;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि निगम किसी ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी को सेवाएं जो उसके मतानुसार नगरपालिका की सेवा की अपेक्षानुकूल आवश्यक अथवा उपयुक्त न हों, उसे नियोजन की शर्तों की अपेक्षानुसार आवश्यक नोटिस देकर समाप्त कर देने के लिये सक्षम होगा, और ऐसा प्रत्येक पदाधिकारी तथा कर्मचारी जिसकी सेवाएं इस प्रकार समाप्त कर दी गयी हों ऐसे अवकाश (leave), निवृत-वेतन (pension) या उपदान (gratuity) का अधिकारी होगा जिसे वह इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में सेवा से पृथक किये जाने पर ग्रहण करने या प्राप्त करने का अधिकारी होता ।

*श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५७२ के उपखंड (ङ) के स्थान पर, दोनों प्रतिबन्धात्मक खंडों को छोड़ कर जो यथापूर्व बने रहेंगे, निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(ङ) नियत दिन से ठीक पूर्व उक्त नगरपालिका, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या डेवलपमेंट बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के नियोजन में सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी, धारा १०५ और १०६ में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा नियोजित पदाधिकारी तथा कर्मचारी हो जायेंगे, जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा मेयर के परामर्श से और राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष निदेशों के अनुसार धारा १०५ के अधीन निर्मित पदों पर नियोजित कर दिये जायंगे, और उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पदच्युत किया जा सकेगा, हटाया जा सकेगा अथवा अन्य प्रकार से दण्डित किया जा सकेगा तथा इस अधिनियम से दण्डित किया जा सकेगा तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्य उपबन्ध बनाये जाने तक वे वही वेतन और भत्ते पायेंगे तथा सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके कि वे उक्त दिन, अधिकारी, अथवा अधीन थे।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, इस संशोधन में म्युनिसिपैलिटीज के जो कर्मचारी होंगे उनके लिए यह रखा गया है कि जब यह नियम बने तो ये कर्मचारी उसमें काम करते रहें और इन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने न जाना पड़े और उसके साथ-साथ डैजिगनेशन के बारे में सरकार को यह अधिकार होगा कि वह मेयर की राय ले करके किसी निश्चय पर आवे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता---(श्री लक्ष्मीनारायण बंसल से) आपका एक संशोधन अलग से है। वह तो आप नहीं मूव कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---मैं इसकी मुखालिफत करना चाहता हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपना संशोधन भी मूव कर दूं।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं। आप इसकी मुखालिफत कर लीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने प्रस्तुत किया है ५७२ के उपखंड (ङ) में, मैं उसकी मुखालिफत करता हूं। दफा १०५ और १०६ इस विधेयक की बहुत इम्पार्टेंट हैं और उन धाराओं के अनुसार इस विधेयक में उन पदाधिकारियों तथा कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति और उनकी नियुक्ति के तरीकों पर रोशनी डाली गई है। धारा १०५ के अनुसार डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल इंजीनियर, म्युनिसिपल मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ और म्युनिसिपल चीफ आडीटर और पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारी वर्ग इन सब के पदों के लिये कानून बनाने का प्रोवीजन रखा गया है और उपधारा (१) के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें वही होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायं।

श्रीमन्, इसके बाद धारा १०६ के मुताबिक इन पदाधिकारियों के पदों के सृजन और उनके चुनने तथा नियुक्त करने के तरीके दिये गये हैं कि कौन पदाधिकारी ऐसे होंगे जो लोक सेवा आयोग के जरिये से या उसकी सलाह से नियुक्त किये जायेंगे, कौन म्युनिसिपल कमिश्नर सेलेक्शन कमेटी के जरिये से करेगा। इस संशोधन का मंशा यह है कि दफा १०५ और १०६ उन अधिकारियों के उन केसेज में लागू नहीं होगी जो नियत दिनांक से तुरन्त म्युनिसिपैलिटी की सर्विस में मौजूद हों। तो मतलब यह हुआ कि उन अधिकारियों को, जो म्युनिसिपैलिटी की सर्विस में हैं, एक खास प्रीमियम दिया जा रहा है। श्रीमन्, यदि विधेयक के उद्देश्य और कारणों को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि "औद्योगिक विकास तथा श्रेष्ठतर एवं अधिकाधिक नागरिक सुख-सुविधाओं की मांग के कारण इन नगरों के नगर-पालिका प्रशासन का कार्य और भी जटिल हो गया है।" उत्तरदायित्व का यह विभाजन संतोष-प्रद रूप में नहीं चल रहा है, विशेषकर बड़े नगरों में जहां प्रशासन एक अत्यन्त दक्षतापूर्ण कार्य है, जिसे कुशल प्रशासक ही कर सकते हैं। जिस वक्त यह विधेयक बना तो सरकार ने महसूस किया होगा कि आजकल जो म्युनिसिपैलिटी का प्रशासन अधिकारी चला रहे हैं वे जरूरतों को देखते हुए, समय को देखते हुए, कार्य की वृद्धि को देखते हुये उस कार्य को कुशलता-पूर्वक पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिये दफा १०५ और १०६ का उद्धरण किया गया था। तो फिर उन अधिकारियों को, जो आजकल म्युनिसिपैलिटी की सेवा में हैं और जिनकी बाबत अपने उद्देश्यों में भी सरकार ने महसूस किया कि कुशलतापूर्वक म्युनिसिपैलिटी के शासन को नहीं चला सकते हैं, नियुक्ति में १०५ और १०६ के प्रोवीजन को निकाल दिया जायगा तो वही इनऐफीशियेंट आदमी जो आजकल प्रशासन को रन कर रहे हैं फिर आ जायंगे। तो फिर

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल]

नगरपालिका की जगह महानगरपालिका बन जायगी। मगर नगर निगम बनाने का कोई प्रयोजन नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इसको स्वीकार न करें और मुझे, जो मैंने अमेंडमेंट भेजा है, उसको मूव करने की इजाजत दें।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय बंसल जी ने जिस पद्धति से इसका खंडन किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और जिन बातों की तरफ उन्होंने दृष्टिपात किया है मैं पुनः उनको दोहराना नहीं चाहता। एक तो भाषा के जो दोष हैं वे तो हैं ही, एक बात और नहीं है इसमें। निकाला जा सकेगा, हटाया जा सकेगा, लेकिन सस्पेंशन का जो दंड होता है यह उसके अन्तर्गत नहीं आया है। ऐसी बहुत सी त्रुटियां हैं। मैं जानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, कि माननीय बंसल जी ने जो तर्क उपस्थित किया है उसके अन्दर सब समावेश हो जाता है। बस, यही मुझे निवेदन करना है।

श्री जगन्नाथ लहरी—माननीय अधिष्ठाता महोदय, खंड ५७२ में श्री सुरेश प्रकाश जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भाई बंसल ने अभी सदन के समक्ष एक बात रखी। मैं बड़े अदब के साथ माननीय स्वशासन मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि अगर उनको इन नगरों का शासन उन्हीं कर्मचारियों द्वारा चलाना था तो फिर उनको सुपरसेशन की क्या जरूरत पड़ी। उनको जन-प्रतिनिधियों से ही दुश्मनी थी जो उस नगरपालिका के कार्यालय में बैठ कर कुछ निर्णय कर लेते थे और वर्तमान अधिकारियों को प्रशासन के संबंध में आदेश देते थे। यदि जनतंत्र की हत्या करने के बाद उन्हीं अधिकारियों को उस स्थान पर सुरक्षित रखना था और उनकी पदोन्नति करनी थी तो मैं यह समझता हूं कि एक छोटी सी लाइन से भी यह काम चल सकता था, उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार के इतिहास में ५७६ धाराओं का इतना बड़ा विधेयक लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

आज हमारे विरोधी साथी इस सदन में उपस्थित होते तो शायद ३ दिन की बहस में स्वशासन मंत्री को इस विधेयक को पास करा लेने का जो सुनहरा अवसर मिल गया है, ६० दिन में भी वे इस विधेयक को पास न करा पाते। उस समय इस विधेयक की एक एक लाइन पर उसी तरह से बहस होती जिस तरह से किसी बड़े युद्ध स्थल में एक-एक इंच भूमि के लिये सेनायें लड़ती हैं। लेकिन यह स्वशासन मंत्री का सौभाग्य है कि उनका यह नगर निगम विधेयक एक ऐसे समय में इस सदन के समक्ष उपस्थित हुआ जबकि विरोधी पक्ष ने इस सदन का बायकाट कर दिया और इसी के कारण इस नीरस वातावरण में स्वशासन मंत्री अपने इस विधेयक को पास कराने में सफल हो सके।

मैं विरोधी पक्ष के एक मात्र सदस्य के नाते जो यहां उपस्थित हूं यह पूछना चाहता हूं कि यह कहावत मशहूर है "कागज बोले ज्यों का त्यों, सारा कुन्बा डूबा क्यों।" जब कि कागज आपका उसी तरह से बोल रहा है तो फिर इन नगरों का सत्यानाश क्यों हो गया? जिन कर्मचारियों के हाथों में इन नगरों का प्रशासन था उन्हीं कर्मचारियों को आप फिर से पब्लिक सर्विस कमीशन की श्रेणी के कर्मचारी घोषित करने के लिये संशोधन करने जा रहे हैं तो मुझे बतलाइये कि इन नगरों का विकास अब तक क्यों नहीं हो सका, नगरों की सफाई सड़कों की मरम्मत व अन्य डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सके? अगर इसका कारण सिर्फ यही था कि जन प्रतिनिधियों ने इन नगरों के विकास में रुकावट डाली थी तो एक बार पुनः भारतवासियों को यह सोचने के लिये विवश होना पड़ेगा क्या इस देश के विकास के लिये जनतंत्र एक रुकावट है, जनतंत्र एक रोड़ा है? यदि जनतंत्र विकास में रुकावट नहीं, कोई भी बाधा उपस्थित

करता, बल्कि वह तो यह चाहता है कि इस देश में अधिकाधिक विकास हो तो फिर क्या कारण था स्वशासन मंत्री ने इन ५ नगरों के निर्वाचित बोर्डों को भंग किया और अब २–३ वर्षों के पश्चात् कारपोरेशन की स्थापना जब वे करने जा रहे हैं तो फिर उनका प्रबन्ध उन्हीं अधिकारियों के जिम्मे करने जा रहे हैं। इस विधेयक के पारित होने के बाद जब यह कानून का रूप धारण कर लेगा और जब यह कानून लागू हो जायगा तो फिर आप जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन करायेंगे। जन प्रतिनिधि दोबारा आयेंगे और उनको पाला फिर उन्हीं कर्मचारियों से पड़ेगा जिन कर्मचारियों की बदौलत एक बार पहले जन प्रतिनिधियों को अयोग्यता का सर्टिफिकेट मिल चुका है।

श्री अधिष्ठाता—उसी संशोधन पर बोलें कृपया।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं संशोधन पर ही बोल रहा हूं साहब। तो जनप्रतिनिधियों को उन्हीं अधिकारियों के कारण हटाने पर अब मैं यह पूछना चाहता हूं आपसे कि आज किसी नगरपालिका का जो एग्जिक्यूटिव अफसर है, जो टैक्स सुपरिंटेंडेंट है या कोई भी अधिकारी है, उसकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की गयी थी। लेकिन इस विधेयक की धारा १०५ और १०६ के मुताबिक उच्च पदाधिकारियों के लिये यह आवश्यक हो गया है कि उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा होगी और वह कब होगी? वह तब होगी जब इन वर्तमान पदाधिकारियों में से या तो कोई इस्तीफा देकर चला जाय या मर जाय या निकल जाय, लेकिन जब तक ये वर्तमान मूर्तियां जिनकी वजह से उन नगरों का प्रशासन इतना गिर गया था वहां विराजमान हैं तब तक लोक सेवा आयोग को उनके स्थान पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब आप पी० सी० एस० के अधिकारियों को जहां आप प्रशासन का भार देते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को आई० ए० एस० या जिला स्तर के कार्य का भार देते हैं तो क्या जिस जगह पर वह नियुक्त होते हैं उसी के कारण वह आई० ए० एस० डिक्लेयर कर दिये जाते हैं? जहां तक मुझे जानकारी है जब वे व्यक्ति आई० ए० एस० के कम्पेटीशन में बैठते हैं या उनके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति प्राप्त होती है तभी वे आई० ए० एस० के लिये योग्य माने जाते हैं। लेकिन एक म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारी की नियुक्ति पार्टी पालिटिक्स के आधार पर होती है। आज जिस पार्टी का बहुमत होता है, जिस पार्टी के हाथ में सत्ता होती है वह अपने मन-पसन्द व्यक्ति को पदाधिकारी नियुक्त कर लेती है और दूसरे व्यक्ति को तरह तरह के लांछन और चार्जेज लगाकर अलग कर दिया जाता है। आज इसी तरह से इन नगरों में जहां पर नगर निगम कायम होने जा रहा है अधिकांश ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति सिफारिशों के आधार पर हुई थी, योग्यता के आधार पर नहीं हुई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है, सिफारिशों के आधार पर नहीं, इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन देश में श्रद्धा का पात्र समझा जाता है, सारी पार्टियां उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखती हैं। अगर आपने उसी तरह से पदोन्नति कर दी और पब्लिक सर्विस कमीशन तक जाने की आपने आज्ञा नहीं दी तो इसका मतलब यह है कि लोकसेवा आयोग का जो ध्येय है वह निरर्थक हो जायगा।

मुझे वर्तमान कर्मचारियों और अधिकारियों से कोई द्वेष नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा कीजिये और इस नगर निगम के स्थापित होने से पूर्व वर्तमान कर्मचारियों को ऐसा नोटिस दीजिये कि आपकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के द्वारा की जायगी और उनको मौका दीजिये कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वर्तमान अधिकारियों और कर्मचारियों की योग्यता की जांच करें। चूंकि इन लोगों की नियुक्ति हुए काफी समय हो चुका, उम्र काफी व्यतीत हो चुकी, इसलिये उम्र का तकाजा न रखा जाय लेकिन बाकी बातों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन जो नीति और रीति अख्तियार करे उसी के मुताबिक इन लोगों को भी मौका दिया जाय। सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन जनता में ऐसे प्रार्थनापत्रों की मांग न करे,

[श्री जगन्नाथ लहरी]

बल्कि वर्तमान पांचों नगरों के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें इस कम्पेटीशन में बैठने के लिये बाध्य किया जाय और मांग की जाय कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रीति और नीति के अनुसार वह अगर योग्य साबित होंगे तभी नगर निगम स्थापित होने के बाद उनकी उन उक्त पदों पर नियुक्ति की जायगी। यदि इनमें से कोई कर्मचारी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त रीति और नीति के अन्दर नहीं आता है या वह असफल हो जाता है तो म्युनिसिपल ऐक्ट में जैसे अभी है कि आप चाहे किसी भी कर्मचारी को तीन महीने का नोटिस या वेतन देकर उसे उसके पद से मुक्त कर सकते हैं उसी प्रकार उन समस्त कर्मचारियों को जो आज इन पांच नगरों में हैं तीन महीने का नोटिस देकर उनके पदों से उन्हें मुक्त कर दीजिये और जो स्थान इस प्रकार रिक्त हों उनके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से कहिये कि फलां तारीख से इन नगरों में निगम स्थापित होने जा रहे हैं उसके लिये इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है। इस प्रकार योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति के बाद यदि हम नगर निगम का संचालन उनके हाथ में देंगे तो हमारे नगरों का विकास और तरक्की हो सकेगी। नहीं तो "कागज बोला ज्यों का त्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों" वाली बात होगी।

श्रीमन्, इसमें जो प्रतिबन्ध पीछे लगा हुआ है वह मेरी बात की पुष्टि करता है। वह इस प्रकार है :

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि निगम किसी ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी की सेवायें जो उसके मतानुसार नगरपालिका की सेवा की अपेक्षानुकल आवश्यक अथवा उपयुक्त न हो, उसे नियोजन की शर्तों की अपेक्षानुसार आवश्यक नोटिस देकर समाप्त कर देने के लिये सक्षम होगा, और ऐसा प्रत्येक पदाधिकारी तथा कर्मचारी जिसकी सेवायें इस प्रकार समाप्त कर दी गयी हों ऐसे अवकाश (leave), निवृत्तवेतन (pension) या उपदान (gratutiy) का अधिकारी होगा जिसे वह इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में सेवा से पृथक किये जाने पर ग्रहण करने या प्राप्त करने का अधिकारी होगा।"

तो यदि आप अपने इस प्रतिबन्ध को बिल्कुल सही साबित करना चाहते हैं तो इसमें यह भी प्रतिबन्ध होना चाहिये कि वे अधिकारी और कर्मचारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अयोग्य या असफल घोषित कर दिये जाते हैं उनको इस प्रतिबन्ध के मुताबिक नोटिस देकर उनके कार्य से मुक्ति दिला दी जायगी। मुझे आशा है कि श्री सुरेश प्रकाश जी, जिन्होंने इस संशोधन को पेश किया है, विकास की भावना को अपने हृदय में रखते हुये, कुछ थोड़े से कर्मचारियों का पक्षपात न करते हुये, जनतंत्र की भावना से प्रेरित होकर इसे मान लेने की कृपा करेंगे। यदि जनतंत्र की सफलता के लिये थोड़े से कर्मचारियों को, जो कि अयोग्य हों, उनको पदों से हटाना पड़े तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने संशोधन पर एक संशोधन भेजा था, वह आपने स्वीकार किया या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—वह मैंने स्वीकार नहीं किया। आप इस पर बोल सकते हैं।

***श्री देवकी नन्दन विभव**—अधिष्ठाता महोदय, श्री सुरेश प्रकाश जी ने जो संशोधन धारा ५७२ के उपखंड (ङ) के संबंध में प्रस्तुत किया है उसके संबंध में मेरा खयाल यह है कि जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है उससे स्थिति कुछ बहुत स्पष्ट नहीं होती है और

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ ऐसे अधिकार सरकार को देते हैं जो मेरे खयाल से उचित नहीं हैं। निगम का संगठन होने पर प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान म्युनिसिपल बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों का क्या होगा। इस संशोधन के अन्तर्गत वे सभी अधिकारी और कर्मचारी निगम के अधिकारी और कर्मचारी हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि उनके पदों की नियुक्ति जिनका उल्लेख धारा १०५ और १०६ में किया गया है कौन करेगा? और किसके अधिकार से होगा और कार्य विभाजन कैसे होगा? मेरे खयाल से यदि यह वांछनीय है कि सभी पदाधिकारी और कर्मचारी स्वतः निगम के पदाधिकारी और कर्मचारी मान लिये जायं। तब भी प्रश्न यह है कि कार्य का विभाजन किस तरह से हो? यह निगम की जो समिति है, जो कार्यकारिणी है उसके अधिकार में, मेरे खयाल से दिया जाना चाहिये। यदि इसमें कोई कठिनाई हो तो मैं समझता हूं कि यह अधिकार मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में रखा जाय। इसमें जो शब्द प्रयोग किये गये हैं .....

श्री अधिष्ठाता—माननीय नरेंद्रसिंह जी विष्ट सदन में जरा शांति रखें।

श्री देवकीनन्दन विभव—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि उसका निश्चय म्युनिसिपल कमिश्नर मेयर के परामर्श से करें। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यदि मेयर सानुकूल परामर्श न दे तो क्या परिस्थिति होगी? मेरे खयाल से इसमें स्पष्टीकरण होना चाहिये। इसीलिये मैं चाहता था कि परामर्श के साथ परामर्श और स्वीकृति के शब्दों का प्रयोग होना चाहिये था, इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती।

अब श्रीमन्, एक और प्रश्न है और वह यह है कि इसके कार्य के विभाजन में भी सरकारी निर्देशों की आवश्यकता क्या है? किस आदमी को किस पद पर रखा जाय, इस पर भी सरकारी निर्देश हों तो मैं समझता हूं कि निगम का जो आटोनोमस अधिकार है, जिस अधिकार क्षेत्र का हम निर्माण करना चाहते हैं, उसमें मेरे खयाल से सरकार का यह हस्तक्षेप अनुचित और कभी-कभी दिक्कत और कठिनाई पैदा करने वाला भी हो सकता है। इस बात की क्यों आवश्यकता है। यह हो सकता है और इस बात की दलील को मान सकता हूं कि कारपोरेशन के जो म्युनिसिपल अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिये यह कह सकते हैं कि निगम में कठिनाई उपस्थित न हो कानूनी दिक्कत न हो, उन्हें स्वतः निगम का अधिकारी और कर्मचारी मान रहे हैं। लेकिन कौन अधिकारी करेगा, इसकी रूपरेखा बनाते समय कार्यकारिणी को अधिकार देने का निश्चय करें। यदि उसको नहीं देते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं कि म्युनिसिपल कमिश्नर मेयर की स्वीकृति और परामर्श से इस तरह का कार्य विभाजन करे।

श्रीमन्, मुझे सरकारी निर्देशों का लोकल बाडीज में बड़ा कटु अनुभव है। मुझे स्मरण है और मैं माननीय मंत्री जी से बड़ी विनम्रता के साथ और क्षमा याचना करते हुये कहता हूं कि आगरे के सम्बन्ध में मुझे बड़ा कटु अनुभव है। मैं जानता हूं कि हमारे यादव जी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यह कह सकते हैं कि आगरा में दो एक्जीक्यूटिव आफिसर नहीं हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं और उनका नाम एक्जीक्यूटिव आफिसर नम्बर (१) और एक्जीक्यूटिव आफिसर नम्बर (२) है और कोई इस तरह का कार्य विभाजन नहीं है कि वह इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के आफिसर हैं और दूसरे म्युनिसिपैलिटी के एक्जीक्यूटिव आफिसर हैं दोनों के पास म्युनिसिपैलिटी के बहुत प्रमुख कार्य हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह एक्जीक्यूटिव आफिसर नम्बर दो हैं यह वही सज्जन हैं जिनको तीन दफा गवर्नमेन्ट ने अस्वीकार कर दिया एग्जीक्यूटिव आफिसर नियुक्त करने पर फिर भी गवर्नमेन्ट के आदेशों के प्रतिकूल और बराबर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश देने पर भी कि आप एक्जीक्यूटिव आफिसर के पद का प्रयोग न करें, वह बराबर एक्जीक्यूटिव आफिसर के पद का प्रयोग करते रहे और आश्चर्य की बात यह है कि फिर सरकार की स्वीकृति किस तरह से प्राप्त कर ली गयी एग्जिक्यूटिव आफिसर बनाने के लिये, यह एक बड़ा कटु अनुभव है।

श्री अधिष्ठाता--माननीय विभव जी जो आपने अभी कहा उसका इस संशोधन से कोई वास्ता नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन विभव--बिलकुल वास्ता है श्रीमन्, क्योंकि उसमें निश्चित दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता--अभी जो आप कह रहे थे एग्जिक्यूटिव आफिसर नम्बर एक, एग्जिक्यूटिव आफिसर नम्बर दो और क्या क्या उससे इस संशोधन का कोई वास्ता नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन विभव--आपका आदेश है तो मैं मान लेता हूं लेकिन मेरे विचार से उसका प्रत्यक्ष और स्पष्ट सम्बन्ध है ।

आप एक रूपरेखा निगम की निर्माण करने जा रहे हैं। इस प्रदेश के पांच महानगर हैं जिनमें आप योग्य व्यक्तियों को निर्वाचित करा कर एक ऐसी रूपरेखा रखना चाहते हैं। फिर क्या इस बात की आवश्यकता है कि उस रूपरेखा को रखते हुये आप यह रखें कि सरकार निर्वाचित करेगी । श्रीमन्, वैसे तो जैसा मैंने निवेदन किया १०६ में सरकार कुछ अधिकार प्राप्त पहले ही कर चुकी है । तो फिर मेरा खयाल यह है कि इसमें जनता के दिलों में एक विशेष धारणा पैदा करने की बात है । क्यों नहीं आप मेयर को अधिकार देते हैं या फिर कार्यकारिणी को दें ? मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे । मेरा खयाल है कि राज्य सरकार को उसमें अनुचित असर लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जायगा ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जिस खंड में यह संशोधन किया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि जहां तक उस खंड का सम्बन्ध है उसमें संशोधन की जरूरत तो है लेकिन जो संशोधन माननीय सुरेशप्रकाश जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका भी विरोध करता हूं और जिस रूप में खंड है उसका भी विरोध करता हूं । वास्तव में कारपोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज उसकी रीढ़ की हड्डी होती है । वास्तव में जो कुछ भी कार्य होता है वह सर्विसेज द्वारा होता है । जो ऊपर के लोग हैं वह केवल एक पालिसी बना सकते हैं । लेकिन उसको कार्यान्वित करना सर्विसेज द्वारा ही हो सकता है । उसकी सफलता उस पालिसी को अच्छी तरह से चलाने पर निर्भर है । मान्यवर, मैं यह तो मानने को तैयार नहीं कि आज कारपोरेशन में या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ऐडमिनिस्ट्रेटर्स के तत्वावधान में जो सर्विसेज काम कर रही हैं, जो उसमें व्यक्ति हैं वे सब निकम्मे हैं या इनएफीशियेंट हैं, ऐसा मैं नहीं कहता । लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि म्युनिसिपल बोर्ड्स में जो कभी-कभी सर्विसेज में अनियमिततायें हुई हैं और जो कभी-कभी शिकायतें आई हैं वे सही हैं । वे लोग स्थान पा गये हैं राजनीति की दलबन्दी की वजह से कि जिनकी योग्यता का क्राइटेरियन नहीं था बल्कि कुछ व्यक्तिगत क्राइटेरियन था । तो ऐसे व्यक्ति कभी सफल हो सकते हैं किसी नीति विशेष के पालन करने में यह सन्देहात्मक बात है ।

अब प्रश्न यह है कि हम ५ बड़े नगरों में यह कारपोरेशन बनायेंगे, उनकी जो वर्तमान सर्विसेज हैं और उनका जो वर्तमान कैडर हैं उनका क्या हो । इस धारा के द्वारा इस बात का प्राविजन किया गया है कि वह इस वक्त कारपोरेशन की फौरी सर्विसेज मानी जायंगी लेकिन उसके बाद क्या हो इसको सोचना है । उसी का इस समय इसमें प्राविजन है । जो मौलिक रूप में था वह ऐसा था कि जो सर्विसेज इस समय हैं वह किसी भी नियम के अनुसार कनफर्म किये जा सकते हैं । जो संशोधन आया है उसमें यह है कि मेयर की अनुमति से गवर्नमेन्ट के निदेशों के अनुसार जो बने हुये रूल होंगे उनके अधीन उनका कन्फर्मेशन हो सकता है ।

माननीय लहरी जी ने जिस सिद्धांत की बात कही उससे मैं सहमत हूं । वास्तव में हमको इस बात का विश्वास जनता को दिलाना चाहिये जब कि हम नये कारपोरेशन का निर्वेशन कर रहे हैं कि जो अभी तक सर्विसेज के बारे में शिकायत रही है उसकी गुंजायश न रहे । उसके

लिये सब से अच्छा तरीका यह हो सकता है कि इस विधेयक में हमने यह प्रोवाइड किया है कि अमुक वर्ग के लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नियुक्त होंगे और अमुक वर्ग के लोग कमेटी के द्वारा नियुक्त होंगे यानी कुछ वर्गों के विशेष पदाधिकारियों को निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कमीशन की राय से, उनकी नियुक्ति होगी। तो उचित यह होगा कि इसमें ऐसा प्राविजन करे कि जो एप्वाइन्टिंग अथारिटी है, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन को अन्य नियुक्तियों के लिये जिस स्तर के लोगों को चुनना है, उस स्तर के लोग वर्तमान सर्विसेज में जो हैं, वे भी कमीशन को फेस कर सकें। अगर वे योग्य होंगे तो कमीशन अपनी अनुमति उनके लिये देगा। यदि किसी की एज का प्रश्न है, तो कमीशन यह देख लेगा कि जिस वक्त उनको रखा गया था उस वक्त उनकी योग्यता और एज उस स्थान के लिये इलिजिबिल थी या नहीं। तो कमीशन उनकी नियुक्ति के विषय में कोई झगड़ा पैदा नहीं करेगा लेकिन अगर वह उन क्वालिफिकेशन और उन मिनिमम योग्यताओं को पूरी न करते हों तो कमीशन उसमें अपना हस्तक्षेप करेगा।

इसलिये श्रीमन, माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि वे ऐसा प्राव करने की कृपा करें जिसके द्वारा जिन आदमियों की नियुक्ति कमीशन से होनी है उस केडर के जो वर्तमान नगरपालिकाओं के कर्मचारी हैं वे कमीशन को फेस कर सकें। यह ठीक है कि जब इस ऐक्ट का नफाज होगा तो जो वर्तमान कर्मचारी हैं वे सब कारपोरेशन के कर्मचारी माने जायेंगे लेकिन उसके बाद एक निश्चित समय के अन्दर यह व्यवस्था हो कि वे कमीशन के सामने बैठें। मैं लहरी जी की बात से सहमत नहीं कि उनके लिये कोई कम्पेटीशन हो। उसका वहां पर कोई मौका नहीं होना चाहिये कि बाहर से कोई एप्लीकेशन मांगी जाय। वहां पर तो केवल रिचेकिंग होगी। कमीशन यह देखेगा कि जिस कार्य के लिये उनको रखा गया है वास्तव में वह योग्यता उनके अन्दर है या नहीं। अगर माननीय मंत्री जी इस तरह का कोई प्राविजन इस ऐक्ट में कर दें तो मैं यह समझता हूं कि हम जनता में एक बड़ा विश्वास पैदा कर सकेंगे और हमारी उन सर्विसेज में जो कभी-कभी खराबी आ जाती है जो डिजायरेबिल नहीं है उसको हम निकाल सकेंगे। जो योग्यता के आधार पर रखे गये हैं वह रहेंगे और उनकी योग्यता से फायदा होता रहेगा और मेरा श्रीमन्, यह विश्वास है और मैं कम से कम आशा करता हूं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग योग्यता के आधार पर रखे गये होंगे, लेकिन जो लोग योग्यता के आधार पर न रखे जा कर किसी अन्य आधार पर रखे गये होंगे उनके लिये आगे को स्थान न होगा और मेरा यह विश्वास है कि यदि इस अवसर पर उन कारपोरेशन को उन लोगों से मुक्त न कराया गया तो फिर दूसरा अवसर नहीं आयेगा इसके लिये। यही अवसर है। या तो अभी कर सकते हैं अथवा कभी नहीं। और इसका परिणाम यह होगा कि गलत आदमी, अगर ऐसा न किया गया तो, वैसे के वैसे बने रहेंगे। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की अनुमति जिनके लिये अनिवार्य है उनको पब्लिक सर्विस कमीशन को फेस करना चाहिये। उन के लिये यह अनिवार्य हो और और इसके अलावा जिन व्यक्तियों को पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने नहीं जाना है, मान लीजिये कि जमादार है, उसके लिये जो भी एप्वाइन्टिंग अथारिटी हो, उसकी अनुमति उसके लिये काफी होगी। यह सब मेरा आशय मेरे एक संशोधन से पूरा हो जायगा और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे पेश कर दूं।

श्री अधिष्ठाता--आप कृपया उसे पहले मेरे पास भेज दें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--मैं इसे फौरन भेजता हूं।

श्री अधिष्ठाता--माननीय मंत्री जी, श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी के संशोधन को स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जो सुरेश प्रकाश सिंह जी का संशोधन था श्रीमन्, यह सब सुनने के बाद मैं इससे एग्री करता हूं कि अगर हम इस तरह की तरमीम स्वीकार कर लें तो वांछनीय होगा और जिस तरह से हमने सारे विधेयक को बनाया है उसकी स्पिरिट में यह चीज आ जायगी।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

मैं श्री लहरी की एक बात से सहमत नहीं हूं। वह नशा तो शायद करते नहीं, ऐसा मेरा खयाल है, लेकिन एक बात वह ऐसी गलत कह गये उनके ऐसा समझदार आदमी, कि इतनों में से वह ही एक ऐसे समझदार निकले, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिये था। उन्होंने कहा कि अगर वह लोग यहां होते तो पद पद पर, वाक्य वाक्य पर लड़ाई होती, जैसे दुश्मन से किला लिया जाता है। यह सारे का सारा कंसेप्शन जो है, वह गलत है। इस विधेयक को यह सौभाग्य प्राप्त है और इस नाचीज को भी यह सौभाग्य प्राप्त है कि सब से अधिक मत लेकर यह विधेयक बनाया गया और आज अगर विरोधी दल के लोग यहां नहीं हैं, तो भी उनकी अंतरात्मा यहां पर है, क्योंकि इसको उसका आशीर्वाद प्राप्त है और मैंने अपने मित्रों के बहुत से संशोधन सिर्फ यह कह कर नामंजूर कर दिये कि यह उसकी स्पिरिट से, जो कि हमने स्वीकार की है, बरखिलाफ जाते हैं और मैं इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता। इतनी सहमति के बाद भी अगर यह शब्द निकलते हैं कि इसके वाक्य-वाक्य पर लड़ाई होती तो बड़ा आघात लगता है। लेकिन मैं समझता हूं कि वह अपने आवेश में, अपनी वक्तृता के जोश में आकर बह गये और इसलिये बिना सोचे समझे ऐसा कह दिया।

तो श्रीमन्, इस संशोधन को पढ़ लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--श्री सुरेशप्रकाश जी अपना संशोधन वापस ले लें तो फिर दूसरा आये, यही प्रोसीजर ठीक होगा।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह--यदि सदन की अनुमति हो तो मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहूंगा।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक के खंड ५७२ के उपखंड (ङ) तथा उसके पश्चात् आने वाले प्रतिबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिये जायं :

"(ङ) नियत दिन से ठीक पूर्व उक्त नगरपालिका, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवलपमेंट बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के नियोजन में होने वाले सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी, धारा १०५ और १०६ में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन अस्थायी रूप से नियोजित निगम के पदाधिकारी तथा कर्मचारी हो जायेंगे और जब तक इस अधिनियम के अधीन निर्मित पदों पर उनकी नियुक्ति न हो जाय वे वही वेतन और भत्ते पायेंगे तथा सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके कि वे उक्त दिन अधिकारी अथवा अधीन थे।

(च) खंड (ङ) में उल्लिखित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को निगम, द्वारा धारा १०५ के अधीन निर्मित पदों पर नियोजित करने की कार्यवाही निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायगी:

(१) उन पदों पर नियुक्ति का कार्य जिनके सम्बन्ध में धारा १०६ के अनुसार राज्य के लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है उक्त धारा के अनुसार किया जायगा।

(२) अन्य पदों पर नियुक्तियां म्युनिसिपल कमिश्नर मेयर के परामर्श से और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के सामान्य या विशेष निदेशों के अनुसार करेगा।

(३) यदि किसी पद के लिये उपर्युक्त अस्थायी पदाधिकारियों या कर्मचारियों में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिये न मिले तो ऐसे पद के लिये अन्यथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति कर ली जायगी।

(४) यदि कोई उपर्युक्त अस्थायी पदाधिकारी या कर्मचारी निगम द्वारा निर्मित किसी पद के लिये उपयुक्त न समझा जाये अथवा जिस पद पर उसकी नियुक्ति की जाय उस पद को

ग्रहण करना वह इस कारण स्वीकार न करे कि उसका वेतन या वेतन का समय-मान(Time scale) उसके वर्तमान वेतन अथवा वेतन के समय-मान से कम है तो उसकी सेवा को नियोजन की शर्तों की अपेक्षानुसार आवश्यक नोटिस दे कर समाप्त कर दिया जायेगा, परन्तु ऐसा प्रत्येक पदाधिकारी तथा कर्मचारी जिसकी सेवायें इस प्रकार समाप्त कर दी गयी हों ऐसे अवकाश, निवृत्ति-वेतन (Pension) या उपदान (Gratuity) का अधिकारी होगा जिसे वह इस अधिनियम के परिवर्तन होने की दशा में सेवा से पृथक् किये जाने पर ग्रहण करने या प्राप्त करने का अधिकारी होता।

(छ) खंड (ङ) में उल्लिखित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों ने नियत दिन से पूर्व जितनी भी सेवा (Service) की होगी वह निगम के अधीन की गयी सेवा समझी जायगी।"

श्रीमन्, इसके प्रस्तुत करने के बाद मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री जगन्नाथ लहरी--मैं चाहता हूं कि इस पर विचार प्रारम्भ होने के पूर्व इसकी एक प्रति मेरे पास भेज दी जाय ताकि मैं भी इस पर बोल सकूं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--श्रीमन्, मुझे कुछ विशेष निवेदन नहीं करना है। मैंने जो निवेदन किया था वही सारी बातें इस संशोधन के द्वारा पूरी हो जाती हैं। इसमें सर्विसेज के हितों का भी पूरा सेफगार्ड मौजूद है और जहां उनकी सर्विसेज के टर्मिनेशन का सवाल है वहां भी उनके हितों का संरक्षण कर लिया गया है और यह भी स्पष्ट हो गया कि जहां पब्लिक सर्विस कमीशन की आवश्यकता है, वहां वह आ गया है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल--श्रीमन्, अगर मेरा भी संशोधन साथ में मूव हो जाय तो डिस्कशन में आसानी हो जायगी। वह इस से मिलता-जुलता है।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि इस संशोधन के बाद शायद उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल--श्रीमन्, जो संशोधन श्री जगदीश शरण जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं आंशिक रूप से समर्थन करता हूं। श्रीमन्, मुझे हर्ष है कि श्री सुरेशप्रकाश जी ने सदन के सेन्स को देखते हुए अपना संशोधन वापस ले लिया और हम लोगों को अनुगृहीत किया। श्रीमन्, जैसा मैंने कुछ समय पूर्व अभी कहा था कि कारपोरेशन्स का कार्यक्षेत्र मौजूदा म्युनिसिपैलिटीज से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ मुश्किल और दिक्कततलब है और श्रीमन्, उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिये हमको बड़े कुशल और योग्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। मुझको इस संशोधन को सपोर्ट करने के लिये कुछ थोड़े से कारण भी हैं। श्रीमन्, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मुझे आगरा म्युनिसिपैलिटी में ४ बरस तक मेम्बर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि वहां पर जो अधिकारी हैं अगर उनकी नियुक्ति उन स्थानों पर कर दी गयी, जैसा कि ओरीजिनली इस विधेयक में है, तो नतीजा यह होगा कि हमारे कार्य संचालन में कोई तरक्की नहीं होगी। जबकि हम नया निगम बनाने जा रहे हैं, जब हम उनको ज्यादा जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं तो हमें लाजिमी है कि हम उसमें नये रक्त का संचार करें। योग्य पुरुषों को योग्य स्थानों पर रखें और जो भी कार्य का विभाजन हो वह इस प्रकार से हो कि जो जिस काम के योग्य हो वही उस जगह पर रखा जाय।

इस विधेयक में जो प्रावीजन रखा गया है, उस हिसाब से, जो मौजूदा कर्मचारी हैं वे ही निगम के कर्मचारी मान लिये जायेंगे, जब तक दूसरी आज्ञा नहीं होगी वह अपनी जगहों पर उन्हीं कंडीशन्स के साथ कार्य करते रहेंगे। लेकिन इस संशोधन द्वारा निगम को करप्ट आफीसरों से पाक-साफ करने के लिये यह गुंजाइश रख दी गयी है वह कि निगम के अधिकारियों को, मेयर और निगम को, यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी कर्मचारी को यदि योग्य समझते हैं तो उसको रखें वरना यदि वह देखते हैं कि कोई कर्मचारी नये सेटअप में फिट नहीं होता है, तो वह उसको निकाल सकते हैं। यह तो पहिली स्टेज हुई।

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल]

इसके बाद दूसरी स्टेज आती है वह यह है कि दफा १०५ में जो नये पद क्रियेट किये गये हैं वह हैं डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, म्यनिसिपल इंजीनियर, म्युनिसिपल मेडिकल आफिसर हेल्थ, म्युनिसिपल आडीटर तथा और भी दूसरे पदाधिकारी हैं। जहां तक म्युनिसिपल मेडीकल आफिर आफ हेल्थ का सम्बन्ध ह उसकी नियुक्ति गवर्नमेंट द्वारा होगी, इसलिए उसका तो सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, इंजीनियर और आडीटर आदि ऐसे पद हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन स्थानों के लिये यह आवश्यक है कि हम योग्य से योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करें। अब यदि इन मौजूदा पदाधिकारियों को ही इन पदों पर रख दिया जायगा तो धारा १०५ और १०६ की जो मंशा है वही खत्म हो जायगी। उनमें यह रखा गया है कि ये नियुक्तियां वर्गों के अनुसार होंगी। एक वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्तियां तो पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह से होंगी दूसरे वर्ग की नियुक्तियां म्युनिसिपल कमिश्नर सेलेक्शन कमेटी की सलाह से करेगा तथा तीसरे वर्ग की नियुक्तियां म्युनिसिपल कमिश्नर स्वयं करेगा। जब नियुक्तियों का यह तरीका रख दिया गया है तो कोई वजह नहीं है कि उसको छोड़कर कोई दूसरा तरीका अपनाया जाय और जो भी स्थान है उसको मौजूदा पदाधिकारियों को ही दे दिया जाय। जो भी उनमें योग्य होंगे उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाने में भी कोई भय नहीं होगा। क्योंकि योग्यता ही सब से बड़ी सिफारिश ह। यदि वह इस योग्य नहीं है तो कोई वजह नहीं है कि नये आदमी की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह के आधार पर न हो। श्रीमन्, इन पदों पर इस प्रकार नियुक्ति होने की जरूरत इसलिये भी है कि बाहर के आदमी और नये रक्त का संचार इन नौकरियों में हो सके। म कुछ कारण बतलाने की कोशिश करूंगा जिसके आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मौजूदा कर्मचारियों को इन नये सेटअप में फिट नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं आपको कुछ खास उदाहरण बतला सकता हूं। आगरा में आजकल जैसे भी अधिकारी हैं, उनके बारे में मैं खूब अच्छी तरह से माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वे कैसे काम कर रहे हैं? एक अधिकारी है, उनसे पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो वे बतलाते हैं कि मैं इंगलैंड रिटर्न हूं। मैंने आज तक इंगलैंड रिटर्न का क्वालिफिकेशन तो कहीं नहीं सुना है, मैंने यह जानने की कोशिश की कि इंगलैंड रिटर्न का माने क्या है, किस यूनिवर्सिटी में आपनी तालीम पायी है, क्या डिग्री हासिल की है, तो मालूम हुआ कि किसी जमाने में इंगलैंड में एक एक्जीबिशन हुई थी जिसमें वे अपना एक स्टाल लेकर गये थे। यही उनकी इंगलैंड रिटर्न का क्वालिफिकेशन है। तो यदि ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाय, ऐसे इंगलैंड रिटर्न पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाय, तब तो हमारे निगमों का बेड़ा ही गर्क हो जायगा। मैं नहीं जानता कि और कवाल टाउन्स में क्या हालत है, जो और कवाल टाउन्स के प्रतिनिधि हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी अपनी जगह के अनुभव बतलावें तो शायद माननीय मंत्री जी का हृदय पिघल जाय और फिर शायद वे सोचें और देखें कि ये सर्विसेज उनके उद्देश्य की कहां तक पूर्ति करती हैं या नहीं करती हैं।

श्रीमन्, आगरा में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है। यदि मैं भूल नहीं करता हूं तो सन् ४८ से आगरा में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मौजूद है। उस आगरे में २ पैसे गज जमीन खरीदी गयी जिसको साढ़े ५ रुपये गज बेचा गया। जब वहां के लोगों ने पूछा कि श्रीमन्, आपने आदेश तो यह किया था कि नो प्रोफिट नो लास बेसिस पर हम जमीन आप को देंगे, तो फिर आप बतलाइये कि २ पैसे गज की जमीन को आप साढ़े ५ रुपये गज किस तरह से लेते हैं। इस पर उनके नल काटने की धमकी दी गयी और कहा गया कि तुम्हारे ऊपर एरियर्स हैं, इसलिये आपका नल काट दिया जायगा। उन लोगों ने इसके विरुद्ध दावा कर दिया और कोर्ट से निषेधात्मक आज्ञा हासिल कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी नल काटने के लिये पहुंच गये। जब एक १८, २० वर्ष की नवयुवती ने इसका विरोध करना चाहा तो उसके सर को फोड़ दिया गया। क्या इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा आप निगम का इन्तजाम कराना चाहते हैं? श्रीमन्, मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं। एक स्कीम बनी....

श्री अधिष्ठाता---और ज्यादा उदाहरण न दीजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---श्रीमन्, मैं उदाहरण इसलिये देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को इम्प्रेस कर सकूं और कि उनके दिमाग पर इस बात का असर हो कि मौजूदा कर्मचारियों को यदि सर्विसेज में रखा गया तो निगम का कोई भला नहीं होगा और जब तक मैं उदाहरण दे कर इस बात को साबित करने को कोशिश नहीं करता हूं तो माननीय मंत्री जी शायद इसको मानें या न मानें। यदि आप आज्ञा दें तो मैं थोड़े से उदाहरण और पेश कर दूं जिससे जाहिर हो जाय कि मौजूदा कर्मचारी कितने इनएफिशिएंट हैं।

श्री अधिष्ठाता---जो संशोधन मेरे सामने है उसमें इस बात का प्रोविजन है कि जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनमें से बहुत से पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जायेंगे और बहुत से मेयर के जरिये रखे जायेंगे। तो इन तमाम बातों का इसमें प्रोविजन तो है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---आपकी आज्ञा शिरोधार्य है श्रीमन्, लेकिन मैं उदाहरण देकर ही माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं इनके कष्ट को कम कर देता हूं। मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल--- वह तो ठीक है लेकिन मैंने इस संशोधन में कुछ आपत्तियां भी पायीं, मैं नहीं समझ सकता कि आपने अपना विचार उस पर कुछ व्यक्त किया है या नहीं किया है। श्रीमन्, ५७२ में...

श्री अधिष्ठाता--- माननीय बंसल जी, आप ने जो संशोधन मेरे पास भेजा है उसकी बहुत सी बातें इस संशोधन में कवर हो जाती हैं। अगर आप बावजूद इसके संशोधन पर कोई संशोधन करना चाहते हैं तो मेरे पास कृपा कर के लिख कर भेज दें। फिर आपको मौका मिलेगा बोलने के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल--- मैंने अपना संशोधन लिख कर भेज दिया है।

श्री अधिष्ठाता--- तो जब वह संशोधन पेश होगा तो उस समय आपको उस पर बोलने का मौका मिलेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---तो क्या आज्ञा है कि मैं अपने संशोधन को पेश कर दूं?

श्री अधिष्ठाता---मैं आज्ञा दे दूंगा। फिर आप उस पर बोलेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा भाई जगदीश शरण और स्वशासन मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने भाई सुरेशप्रकाश जी के संशोधन का विरोध करते समय जो मैंने भावना व्यक्त की थी उसका आदर करते हुए मेरे विचारों के अनुरूप यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि यदि स्वशासन मन्त्री और हमारी शासक पार्टी इसी तरह विरोधी सदस्यों की उन सुन्दर और उच्च भावनाओं को जिनके द्वारा शासन के संचालन में सुगमता मिले, विकास हो सके, उसका इसी प्रकार आदर करते हुए स्वीकार करते रहेंगे तो लोकतन्त्रीय शासन में एक स्वस्थ परम्परा स्थापित हो जायगी। मैं एक बार पुनः आपके द्वारा स्वशासन मंत्री का और जगदीश शरण जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह सुन्दर संशोधन प्रस्तुत किया है।

*श्री देवकीनन्दन विभव---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वशासन मन्त्री जी को जो उन्होंने उदारता दिखलायी है उसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मेरा खयाल यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकी नन्दन विभब]

है कि जो संशोधन श्री जगदीश शरण जी ने उपस्थित किया है उससे परिस्थिति में बहुत कुछ सुधार हो जाता है और मैं समझता हूं कि यदि माननीय स्वशासन मन्त्री जी ने निगमों की इन समस्याओं में उसी सद्भावना से काम लिया जिस सद्भावना से उन्होंने अभी इस संशोधन को स्वीकृत किया है, तो मेरा खयाल यह है कि वर्तमान कबाल टाउन्स में आज जो भी थोड़ी गन्दगी है, उसमें जो सुधार की आवश्यता है, वह सुधार हो सकेगा। मेरा ख्याल यह है कि संशोधन में जो व्यवस्था की गई है उसमें से हम उन लोगों का सामना कर सकेंगे जो कि निगमों के लिए अनपयुक्त है। इसलिये मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड ५७२ के उपखंड (ङ) तथा उसके पश्चात् आने वाले प्रतिबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय :

"(ङ) नियत दिन से ठीक पूर्व उक्त नगरपालिका, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डेवलपमेंट बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के नियोजन में होने वाले सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी, धारा १०५ और १०६ में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अस्थायी रूप से नियोजित निगम के पदाधिकारी तथा कर्मचारी हो जायेंगे और जब तक इस अधिनियम के अधीन निर्मित पदों पर उनकी नियुक्ति न हो जाय वही वेतन और भत्ते पायेंगे तथा सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके कि वे उक्त दिन अधिकारी अथवा अधीन थे।

(च) खंड (ङ) में उल्लिखित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को निगम द्वारा धारा १०५ के अधीन निर्मित पदों पर नियोजित करने की कार्यवाही निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जायगी :—

(१) उन पदों पर नियुक्ति का कार्य जिनके सम्बन्ध में धारा १०६ के अनुसार राज्य के लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है उक्त धारा के अनुसार किया जायगा।

(२) अन्य पदों पर नियुक्तियां म्युनिसिपल कमिश्नर मेयर के परामर्श से और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के सामान्य या विशेष निदेशों के अनुसार करेगा।

(३) यदि किसी पद के लिये उपर्युक्त अस्थाई पदाधिकारियों का या कर्मचारियों में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिये न मिले तो ऐसे पद के लिए अन्यथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति कर ली जायगी।

(४) यदि कोई उपर्युक्त अस्थाई पदाधिकारी या कर्मचारी निगम द्वारा निर्मित किसी पद के लिए उपयुक्त न समझा जाय अथवा जिस पद पर उसकी नियुक्ति की जाय उस पद को ग्रहण करना वह इस कारण स्वीकार न करे कि उसका वेतन या वेतन का समय-मान (Time Scale) उसके वर्तमान वेतन अथवा वेतन के समय मान से कम है तो उसकी सेवा को नियोजन की शर्तों की अपेक्षानुसार आवश्यक नोटिस दे कर समाप्त कर दिया जायगा परन्तु ऐसा प्रत्येक पदाधिकारी तथा कर्मचारी जिसकी सेवायें इस प्रकार समाप्त कर दी गई हों ऐसे अवकाश, निवृत्त-वेतन, (pension) या उपदान (gratuty) का अधिकारी होगा जिसे वह इस अधिनियम के पारित होने की दशा में सेवा से पृथक किये जाने पर ग्रहण करने या प्राप्त करने का अधिकारी होता।

(छ) खंड (ङ) में उल्लिखित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों ने नियत दिन से पूर्व जितनी भी सेवा (service) की होगी वह निगम के अधीन की गई सेवा समझी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—माननीय बंसल जी, इसको सोच लें कि जो संशोधन आप पेश करने जा रहे हैं उसका बहुत कुछ हिस्सा इस संशोधन में आ गया है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने संशोधन को पेश करने का अवसर दिया। मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं। खंड ५७२ (ङ) में निम्नलिखित संशोधन किये जायं :

(अ) दूसरे प्रतिबन्ध में शब्द "निगम" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी समिति" रख दिये जायं।

(ब) दूसरे प्रतिबन्ध के अन्त में चिन्ह "(।)" की जगह चिन्ह, ";" रख दिया जाय . . . .

श्री अधिष्ठाता—माननीय बंसल जी एक दिक्कत पड़ रही है अब तो यह संशोधन पास हो गया। तो यह संशोधन जो पास हो गया है उसमें अगर आप संशोधन कर दें तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि प्रतिबन्ध तो हट गये, प्रतिबन्ध तो रहे नहीं। यह तो सब को कवर कर लेता है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—तो दिक्कत यही पड़ी कि संशोधित खंड हमारे पास नहीं था। तो अगर प्रतिबन्ध इसमें से निकल जाते हैं तो देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत हो जाती है ?

श्री अधिष्ठाता—नहीं, नहीं प्रतिबन्ध सब इसमें आ जाते हैं। प्रतिबन्ध की जगह पर यह आया है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—श्रीमन्, मैं प्रतिबन्धों की तरफ आपका ध्यान दिला दूं। इसमें प्रतिबन्ध यह है : "और प्रतिबन्ध यह भी है कि निगम किसी ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी की सेवाएं जो उसके मतानुसार नगरपालिका की सेवा की अपेक्षानुकूल आवश्यक अथवा उपयुक्त न हो, उसे नियोजन की शर्तों की अपेक्षानुसार नोटिस देकर समाप्त कर देने के लिये सक्षम होगा. . . . ."

श्री अधिष्ठाता—कृपया आप संशोधन को गौर से देख लें, वह सब कवर कर लेता है। अब प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। जो संशोधन पास हो चुका है उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—श्रीमन्, कुछ समय दिया जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इस बीच में आपका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित कर दूं। वह संशोधन तो पास हो गया है लेकिन अभी संशोधित खंड पास नहीं हुआ, तो उस खंड को छोड़ दिया जाय और माननीय बंसल जी को मौका दे दिया जाय कि वह विचार कर लें। इस बीच में. . . . .

श्री अधिष्ठाता—ठीक है। मैं दूसरे क्लाज को पुट कर दूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, दूसरे क्लाज के पहले में यह निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर "जज" शब्द जहां आया है और "जिला जज" में डिफरेंस करने की जो बात थी तो मैंने खास तौर से उसको किया था। एक जगह "जिला जज" और "जज" दोनों आये हैं। तो वहां हमने गलती से "जज" की जगह "जिला जज" कर लिया। तो दिक्कत यह हो गई कि "जिला जज" के यहां से फिर अपील "जिला जज" के यहां जायगी। कल आपने मान लिया था कि ऐसा होगा तो सही कर दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—आप लिख कर भेज दें। उसको देख लिया जायगा।

(खंड ५७२ पर विचार स्थगित किया गया।)

खंड ५७३—५७५

अधिक्रान्त अथवा विघटित नगरपालिका अथवा स्थानीय अधिकारी के लिये व्यवस्था।

५७३—पूर्ववर्ती धाराओं में किसी नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के प्रति किया गया कोई निर्देश तदर्थ निर्मित किसी विधायन के अधीन किसी ऐसी नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के अधिक्रांत या विघटित होने अथवा किसी प्रशासक (administrator) के अवधायन में रख दिये जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति किया गया निदेश समझा जायगा, जो ऐसी नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन उक्त नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने अथवा कृत्यों का सम्पादन करने के लिये नियुक्त किया गया अथवा किये गये हों।

विशेष उपबन्ध।

५७४—(१) धारा ३ के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के नगर बना दिये जाने पर, इस अधिनियम अथवा ऐसे क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधायन में किसी बात के रहते हुये राजस्व सरकार—

(क) नगर में निगम के संगठन के हेतु निर्वाचनों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन म्युनिसिपल कमिश्नर के अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का संपादन करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी अन्तःकालीन म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति कर सकती है;

(ख) नगर में निगम की स्थापना से सम्बद्ध समस्त कार्यों के प्रयोजनार्थ ऐसे नगर के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र के संबंध में कार्य करने वाले म्युनिसिपल बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या विकास बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की सेवायें अभियाचित (requisition) कर सकती है;

(ग) आज्ञा दे कर अन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था कर सकती है जो ऐसे नगर में निगम की स्थापना को सुगम बनाने के लिये आवश्यक हो।

(२) उपधारा (१) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान उस स्थानीय प्राधिकारी की निधियों में से किया जायगा जिसके कि वे सेवाओं की अभियाचन (requisition) के समय पदाधिकारी या कर्मचारी रहे हों, तथा अन्तःकालीन म्युनिसिपल कमिश्नर के वेतन और भत्तों का भुगतान ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि में से किया जायगा जिसे राज्य सरकार आदिष्ट करे।

५७५--यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण , तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधायन को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसरानुकूल आज्ञा देकर यह निर्देश कर सकती है कि यह अधिनियम नियत दिन के पश्चात् १२ महीने तक ऐसे अनुकूलनों सहित चाहें वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा जो आवश्यक तथा इष्टकर समझे जायं। कठिनाइयां दूर करने के अधिकार।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई कोई आज्ञा यथाशक्य शीघ्र विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायंगी।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५७३,५७४ और ५७५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५७६

५७६--यथास्थिति यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ तथा यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ अथवा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ नियत दिन से उस सीमा तक निरसित हो जायेंगे, जहां तक वे नगर में सम्मिलित किसी क्षेत्र में प्रवृत होते हों। निरसन

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५७६ के स्थान पर निम्नलिखित खंड रक्खा जाय:

"५७६--यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट (अपील्स) ऐक्ट, १९२०, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट (ऐडाप्टेशन) ऐक्ट, १९४८ तथा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५, नियत दिन से जहां तक वे नगर में किसी क्षेत्र में प्रवृत्त होते हों निरसित हो जायेंगे।"

जिस दिन से आपके निगम बन जायेंगे सारे ऐक्ट उसी में निरसित हो जायेंगे या अलग से उनकी हस्ती नहीं रह जायगी, एक ही रूप हो जायगा। इस अभिप्राय से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मुझे यह स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५७६ के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाय:

"५७६--यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट १९१६, यू०पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४, यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट १९१९, यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट, (अपील्स) ऐक्ट, १९२०, यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट (एडाप्टेशन) ऐक्ट, १९४८ तथा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५, नियत दिन से जहां तक वे नगर में किसी क्षेत्र में प्रवृत्त होते हों निरसित हो जायेंगे"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५७६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची १

(धारा ११६)

नगरपालिका प्राधिकारियों के अप्रत्यनिधान्य कृत्य

भाग क

निगम के कृत्य जो प्रतिनिधानित न किये जायेंगे

अध्याय	धारा	कृत्य
३	९४	(१) विशेष समितियां अथवा संयुक्त समितियों का संगठन करना।
	९५	(१) किसी छावनी प्राधिकारी अथवा अन्य किसी विधिक प्राधिकारी अथवा ऐसे प्राधिकारी के समवाय (combination) में मिलना।
६	१२४	किसी अचल संपत्ति को मंजूर करने अथवा अर्जन करने की स्वीकृति देना यदि उस संपत्ति का मूल्य, जिसे मंजूर करने, अर्जन करने अथवा विनियम में देने का प्रस्ताव है, पांच हजार रुपये से अधिक हो।
		तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये किसी संपत्ति को पट्टे पर लेने की मंजूरी देना।
		किसी आभारग्रस्त (burdened by an obligation) संपत्ति का दान अथवा दित्सा (bequest) मंजूर करने की स्वीकृति देना, यदि उसका मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक हो।
७	१३६	विशेष निधि का निर्माण करना।
	१४३	(४) बजट का अंगीकार करना।
	१४५	करों की दरें निर्धारित करना।
	१४८	अंगीकृत बजट प्राक्कलनों में तब्दीली अथवा परिवर्तन करना।
८	१५१, १५२	रुपया उधार लेना।
	१५४	निक्षेप निधि का संगठन करना।
९	१६९	कर लगाना।
	२०१	करों में परिवर्तन करना।
	२१३	करों को संहत करना।
	२२२	अनुपूरक करों का आश्रय लेना।
१४	३५६	विकास समिति द्वारा प्रस्तुत योजना को संशोधनों सहित अथवा रहित, रद्द करना अथवा स्वीकृत करना।
	३६०	निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी योजना को पारित करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन करना।
१६	४१९	यह निर्धारित करना कि नगर में निजी बाजारों की स्थापना अथवा निजी वधशालाओं के संधारण की आज्ञा दी जाय या नहीं।

अनुसूची १

(धारा ११६)

नगरपालिका प्राधिकारियों के अप्रत्यनिधान्य कृत्य

भाग (ख)

कार्यकारिणी स्थायी समिति के कृत्य, जो प्रतिनिधिनित न किये जायेंगे

अध्याय	धारा	कृत्य
६	१२४	(१) संपत्ति अर्जन करने के लिये निबन्धन (terms), दरें अथवा अधिकतम मूल्य निश्चित करना, (२) किसी अचल सम्पत्ति के विनिमय में किसी संपत्ति के अनिवार्य रूप से अर्जन करने की स्वीकृति देना और (३) किसी संपत्ति का १२ महीने से अधिक की अवधि पर पट्टे पर लेने की मंजूरी देना।
	१३२	दस हजार रुपये से अधिक की लागत की योजनाओं के तखमीनों की मंजूरी देना।
९	२१०	निर्धारण सूची को परिवर्तित अथवा संशोधित करना।
१६	४३९	प्लम्बरों के लिये शुल्क निर्धारित करना।

अनुसूची १

(धारा ११६)

नगरपालिका प्राधिकारियों के अप्रत्यनिधान्य (non-delegable) कृत्य

भाग (ग)

विकास समिति के कृत्य जो प्रतिनिधिनित न किये जायेंगे

अध्याय	धारा	कृत्य
१४	३४१	किसी क्षेत्र को अस्वच्छ क्षेत्र घोषित करना।
	३४२	गन्दी बस्तियों को साफ करने तथा पुनर्निर्माण की योजना बनाने के आदेश देना।
	३४८	सर्वेक्षण करने की आज्ञा देना।
	३५२	म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा तैयार की गयी कोई योजना, संशोधनों सहित अथवा रहित, स्वीकार करना।
	३५५	किसी सुधार योजना के संबंध में आपत्तियों अथवा अभ्यावेदनों (representations) पर विचार करना।

अनुसूची १

(धारा ११६)

भाग (क)

म्युनिसिपल कमिश्नर के वे कृत्य जो अन्य पदाधिकारियों अथवा सेवकों को प्रतिनिधानित न किये जायेंगे

अध्याय	धारा	कृत्य
४	१०६ (४)	राजकीय लोक सेवा आयोग के परामर्श से २०० रुपये से अन्यून प्रारम्भिक वेतन वाले पदों पर नियुक्तियां करना।
६	१२४	नगर के बाहर या भीतर किसी चल अथवा अचल संपत्ति अथवा ऐसी संपत्ति में कोई स्वत्व अर्जित करना।
	१२६	निगम की ओर से किसी संपत्ति का निस्तारण करना।
१०	२२६	यह घोषित करना कि कोई नाली अथवा उसका कोई भाग अथवा जल-निस्तारण अथवा मल-निस्तारण कार्य निगम में निहित होंगे।
	२४७	नालियां खाली करने अथवा गन्दे पानी आदि (sewage) के निस्तारण के लिये स्थान निश्चित करना।
१२	२७४	कुछ प्रकार के यातायात (traffic) के लिये सार्वजनिक सड़कों के प्रयोग का प्रतिषेध करना।
	२७५	सार्वजनिक सड़कों के सुधार के लिये भू-गृहादि अर्जित करना।
	२७६	सड़क की लाइन विहित करना।
	२७७, २७८	भवनों को सड़क की नियमित लाइन के पीछे हटा कर बनाने की आज्ञा देना।
	२७९, २८०	सड़क की नियमित लाइन के भीतर पड़ने वाली खाली पड़ी भूमि, अथवा चबूतरों (platforms) द्वारा घिरी हुई भूमि अर्जित करना।
	२८१	भवनों को आगे बढ़ा कर बनाने की आज्ञा देना।
	२८७	किसी निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना।
	२९०	सड़कों पर निकले हुये भागों (project) को बनाने की अनुज्ञा देना।
	२९६	किसी निश्चित दिन के पूर्व बनाये गये अथवा खड़े किये गये किसी ढांचे अथवा संलग्नक को हटाने के आदेश देना।
	३०२	आकाश चिन्हों आदि के निर्माण की अनुज्ञा देना।
१३	३१९	उस समय तक के लिये किसी भवन को बनाने की अनुज्ञा न देना जब तक कि सड़क प्रारम्भ न कर दी जाय अथवा पूरी न कर ली जाय।
	३२५	प्रार्थी द्वारा सारवान भ्रांत कथन के आधार पर किसी भवन अथवा निर्माण-कार्य आरम्भ करने की अनुज्ञा रद्द करना।
१३	३३०	अवैध कार्यों का निर्देशन करने वाले व्यक्तियों को हटाने के आदेश देना।
	३३१	कुछ परिस्थितियों में किसी भवन को खाली कराने की नोटिस जारी करना।

	३३२	विशेष सड़कों अथवा स्थानीय क्षेत्रों (localities) में भवनों का भावी निर्माण विनियमित करना ।
	३३५	ऐसे स्थानों पर भवनों के पुर्ननिर्माण का प्रतिषेध करना जहां तक पहुंचा न जा सके।
	३३७	वास (accommodation) संबंधी विवरण मांगना।
१६	४२६	पशुओं के वध के लिये निगम की अनुज्ञा से नगर के भीतर भू-गृहादि निश्चित करना।
२१	५२१	निगम के अनुमोदन से कुछ प्रकार के व्ययों को सुधार व्यय घोषित करना।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के अन्त में दी हुई अनुसूची १ में:--

(१) भाग (क) में धारा २०१ के सामने लिखित कृत्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"करों को हटाना या उनमें परिवर्तन करना।"

(२) भाग (क) में धारा ४१९ के सामने लिखित कृत्य में शब्द "नगर में" तथा शब्द "निजी" के बीच में शब्द "अथवा नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में" रख दिये जायं ?

(३) भाग (ख) में धारा १२४ के सामने लिखित कृत्य (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(२) किसी सम्पत्ति के अनिवार्य रूप से अर्जन करने की ओर किसी अचल सम्पत्ति के विनिमय की स्वीकृति देना, और"

(४) भाग (घ) "धारा १०६(४)" के स्थान पर "धारा १०६ (३)" रख दिया जाय।

(५) भाग (घ) में धारा २७७-२७८ के सामने लिखित कृत्य में शब्द "बनाने" तथा शब्द "की" के बीच में निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं;

"और किसी भवन के गिराने के आदेश न माने जाने पर उसको या उसके किसी भाग को गिराने"।

श्रीमन् पहले जो प्राविजन था उससे कुछ बहुत स्पष्ट नहीं होता था इन शब्दों के रखने से कुछ सफाई आ जाती है और कोई शंका नहीं रह जाती। इसलिये यह संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है और आशा करता हूं माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि विधेयक के अन्त में दी हुई अनुसूची १ में:

(१) भाग (क) में धारा २०१ के सामने लिखित कृत्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"करों को हटाना या उनमें परिवर्तन करना।"

(२) भाग (क) में धारा ४१९ के सामने लिखित कृत्य में शब्द "नगर में" तथा शब्द "निजी" के बीच में शब्द "अथवा नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में" रख दिये जायं।

(३) भाग (ख) में धारा १२४ के सामने लिखित कृत्य (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय;

"(२) किसी सम्पत्ति के अनिवार्य रूप से अर्जन करने की ओर किसी अचल सम्पत्ति के विनिमय की स्वीकृति देना, और

(४) भाग(घ) में "धारा १०६ (४)" के स्थान पर "धारा १०६ (३)" रख दिया जाय।

(५) भाग (घ) में धारा २७७–२७८ के सामने लिखित कृत्य में शब्द "बनाने" तथा शब्द "की" के बीच में निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं:

"और किसी भवन के गिराने के आदेश न माने जाने पर उसको या उसके किसी भाग को गिराने"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची (१) को इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची २

(धारा ३७२)

लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ (जिसे आगे उक्त ऐक्ट कहा गया है) में संशोधन।

धारा ३ का संशोधन।

१––उक्त ऐक्ट की धारा ३ के खंड (ई) के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय अर्थात् -

"(*ee*) the expression, 'local authority' includes a Corporation constituted under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1957."

सुधार योजनाओं की दशा में धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति तथा धारा ६ के अधीन घोषणा का स्थान इस अधिनियम की धारा ३५३ तथा ३५९ के अधीन प्रचारित विज्ञप्तियां लेलेंगी।

२––(१) इस अधिनियम की धारा ३५३ के अधीन किसी सुधार योजना का प्रथम प्रकाशित नोटिस, उक्त ऐक्ट की धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन स्थान (locality) तथा सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति का स्थान ले लेगा, और उसी के समान प्रभावी होगा, सिवाय उस दशा के जब उक्त ऐक्ट की धारा ४ या ५ के अधीन पहले घोषणा की जा चुकी हो और अब भी प्रचलित हो।

(२) इस अनुसूची की कंडिकाओं १० तथा ११ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम की धारा ३४५ की उपधारा (४) के अधीन अर्जित भूमि की दशा में, उक्त उपधारा के अधीन तथा इस अधिनियम की किसी अन्य सुधार योजना के अधीन अर्जित भूमि की दशा में इस अधिनियम की धारा ३५९ के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति उक्त अधिनियम की धारा ६ के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा का स्थान ले लेगी, तथा उसी के समान प्रभावी होगी, जब तक कि उक्त धारा ६ के अधीन घोषणा पहले ही न की जा चुकी हो और अब भी प्रचलित न हो।

३--उक्त ऐक्ट की धारा ११ के अन्त का फुलस्टाप सेमीकोलन में परिवर्तित समझा जाय तथा निम्नलिखित बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्--

धारा ११ का संशोधन।

"and"

"(iv) the cost which, in his opinion, should be allowed to any person who is found to be entitled to compensation, and who is not entitled to receive the additional sum of fifteen per centum mentioned in sub-section (2) of section 23, as having been actually and reasonably incurred by such person in preparing his claim and putting his case before the Collector.

The Collector may disallow, wholly or in part, costs incurred by any person, if he considers that the claim made by such person for compensation is extravagant."

४--उक्त ऐक्ट की धारा १५ में शब्द तथा संख्या (and 24) के स्थान पर, संख्या, शब्द तथा वर्ण (24 and 24-A) जिनके पहले एक कामा भी होगा, रखे गये समझे जायं।

धारा १५ का संशोधन।

५--(१) उक्त ऐक्ट की धारा १७ की उपधारा (३) में संख्या (24) के पश्चात् शब्द, संख्या तथा वर्ण (or section 24-A) रखे गये समझे जायं।

धारा १७ का संशोधन।

(२) उक्त धारा १७ में निम्नलिखित बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्--

"(4) Sub-sections (1) and (3) shall apply also in the case of any area which is stated in a certificate granted by the District Magistrate or a magistrate of the first class to be unhealthy.

(5) Before granting any such certificate, the Magistrate shall cause notice to be served as promptly as may be on the persons referred to in sub-section (3) of section 9, and shall hear without any avoidable delay any objections which may be urged by them.

(6) When proceedings have been taken under this section, for the acquisition of any land, and any person sustains damage in consequence of being suddenly dispossessed of such land, compensation shall be paid to such person for such dispossession."

६--उक्त ऐक्ट की धारा १७ के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्--

निगम को भूमि हस्तांतरण।

"17-A. In every case referred to in section 16 or section 17, the Collector shall, upon payment of the cost of acquisition, make over charge of the land to the Municipal Commissioner ; and the land shall thereupon vest in the Corporation, subject to the liability of the Corporation to pay any further costs which may be incurred on account of its acquisition."

७--उक्त ऐक्ट की धारा १८ की उपधारा (१) के अन्त का फुलस्टाप कामा में परिवर्तित समझा जाय तथा शब्द "or the amount of costs allowed" बढ़ाये गये समझे जायं।

धारा १८ का संशोधन।

धारा १९ का संशोधन ।

८—उक्त ऐक्ट की धारा १९ के खंड (सी) में शब्द "amount of compensation" के पश्चात् शब्द "and of costs (if any)" रखे गये समझे जायं ।

धारा २० का संशोधन ।

९—उक्त ऐक्ट की धारा २० के खंड (सी) में शब्द "amount of the compensation" के पश्चात् शब्द "or costs" रखे गये समझे जायं ।

धारा २३ का संशोधन ।

१०—(१) उक्त अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (१) के पहले तथा छठे खंड में शब्द "publication of the notification under section 4, sub-section (1)" तथा शब्द "publication of the declaration, under section 6" के पश्चात्;

(क) इस अधिनियम की धारा ३४५ की उपधारा (३) के अधीन भूमि अर्जित किये जाने की दशा में शब्द "or in the case of acquisition under sub-section (3) of section 345 of U. P. Municipal Corporation Act, 1957, of the issue of the notice under sub-section (3) of section 345 of that Act, and"

(ख) अन्य किसी दशा में शब्द "or in the case of acquisition of land under any improvement scheme other than a deferred street scheme under Chapter XIV of the U. P. Municipal Corporations Act, 1957, of the first publication of the notification under section 353 of that Act" बढ़ाये गये समझे जायं ।

(२) उक्ट ऐक्ट की धारा २३ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्—

"(2) For the purposes of clause first of sub-section (1) of this section—

(*a*) the market-value of the land shall be the market-value according to the use to which the land was put at the date with reference to which the market-value is to be determined under that clause ;

(*b*) if it be shown that before such date the owner of the land had in good faith taken active steps and incurred expenditure to secure a more profitable use of the same, further compensation based on his actual loss may be paid to him ;

(*c*) if any person, without the permission of the Municipal Commissioner required by clause (*b*) of sub-section (1) of section 345 or by sub-section (4) of section 347 of the Municipal Corporation Act, 1957, has erected, re-erected, added or altered any building or wall so as to make the same project beyond the street alignment prescribed under the said section 345 or within the area specified in sub-section (4) of the said section 347, as the case may be, then any increase in the market-value resulting from such erection, re-erection, addition or alteration shall be disregarded ;

(*d*) if the market-value has been increased by means of any improvement made by the owner or his predecessor-in-interest within two years before the aforesaid date, such increase shall be disregarded unless it be proved that the improvement so made was made in good faith and not in contemplation of proceedings for the acquisition of the land being taken under this Act ;

(*e*) if the market-value is specially high in consequence of the land being put to a use which is unlawful or contrary to public policy, that use shall be disregarded and the market-value shall be deemed to be the market-value of the land if put to ordimary uses ;

(*f*) if the market-value of any building is specially high in consequence of the building being so overcrowded as to be dangerous to the health of the inmates, such overcrowding shall be disregarded, and the market-value shall be deemed to be the market-value of the building if occupied by such number of persons only as could be accommodated in it without risk of danger from overcrowding ;

(*g*) when the owner of the land or building has after the passing of the U. P. Municipal Corporations Act, 1957, and within two years preceding the date with reference to which the market-value is to be derermined, made a return under section 158 of the United Provinces Municipalities Act, 1916, of the rent of the land or building, the rent of the land or building shall not in any case be deemed to be greater than the rent shown in the latest return so made, save as the Court may otherwise direct, and the market-value may be determined on the basis of such rent :

Provided that where any addition to, or improvement of the land or building has been made after the date of such latest return and previous to the date with reference to which the market-value is to be determined, the Court may take into consideration any increase in the letting value of the land due to such addition or improvement."

धारा २४ का संशोधन का

११—उक्त ऐक्ट की धारा २४ के खंड सातवें (Seventhly) के स्थान पर निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

"Seventhly, any outlay on additions or improvements to land acquired, which was incurred after the date with reference to which the market-value is to be determined, unless such additions or improvements were necessary for the maintenance of any building in a proper state of repair."

१२—उक्त ऐक्ट की धारा २४ के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

नयी धारा २४-ए।

"24-A. Further provision for determining compensation—In determining the amount of compensation to be awarded for any land acquired under this Act, for a Corporation established under the U. P. Municipal Corporations Act, 1957, the Court shall also have regard to the following provisions, namely:

(1) When any interest in any land acquired under this Act has been acquired after the date with reference to which the market-value is to be determined, no separate estimate of the value of such interest shall be made so as to increase the amount of compensation to be paid for such land ;

(2) if, in the opinion of the Court, any building is in a defective state, from a sanitary point of view, or is not in a reasonably good state of repair, the amount of compensation for such building shall not exceed the sum which the Court considers the building would be worth if it were put into a sanitary condition or into a reasonably good state of repair, as the case may be, minus the estimated cost of putting it into such condition or state ;

(3) if, in the opinion of the Court, any building which is used or is intended or likely to be used for human habitation, is not reasonably capable of being made fit for human habitation, the amount of compensation for such building shall not exceed the value of the materials of the building, minus the cost of demolishing the building'

धारा ३१ का संशोधन।

१३—(१) उक्त ऐक्ट की धारा ३१ की उपधारा (१) में शब्द "the compensation" के पश्चात् तथा उसी धारा की उपधारा (२) में शब्द "the amount of compensation" के पश्चात् शब्द "and costs (if any)" रखे गये समझे जायं।

(२) उक्त ऐक्ट की धारा ३२ की उपधारा (२) के अन्तिम प्रतिबन्ध (proviso) में शब्द "any compensation" के पश्चात् शब्द "or costs" रखे गये समझे जायं

नयी धारा ४८-ए।

१४—उक्त ऐक्ट की धारा ४८ के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

"48-A. Compensation to be awarded when land not acquired within two years—(1) If within a period of two years from the date of the publication of the declaration under section 6 in respect of any land, the Collector has not made an award under section 11, with respect to such land, the owner of the land shall, unless he has been to a material extent

responsible for the delay, be entitled to receive compensation for the damage suffered by him in consequence of the delay.

(2) The provisions of Part III of this Act shall apply, so far as may be, to the determination of the compensation payable under this section"

१५—उक्त ऐक्ट की धारा ४९ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्— धारा ४९ का संशोधन ।

"(1-*a*) For the purposes of sub-section (1), land which is held with and attached to a house and is reasonably required for the enjoyment and use of the house shall be deemed to be part of the house."

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुसूची २ में यह संशोधन रखता हूं कि विधेयक के अन्त में दी हुई अनुसूची २ में दिये हुये लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के संशोधन संख्या (२) के भाग (१) की पांचवों पंक्ति में संख्या "५" के स्थान पर संख्या "६" रक्खी जाय। यह प्रिंटिंग मिस्टेक मालूम होती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह स्वीकार है।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस हिन्दीकरण के युग में आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह "लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४" के स्थान पर "भूमि उपार्जन विधेयक, १८९४" रख दें तो कोई गलती नहीं होगी। इस भाषा से तो कुरूपता बनती है, लेकिन हिन्दी के शब्द रख देने से आसानी से लोग समझ सकेंगे, और इस "लैण्ड" शब्द के अर्थ दूसरे लोग समझ सकते हैं।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, इसमें बहुत बड़ी आपत्ति है। इसको यहां रख देने से ऐक्ट तो बदल नहीं जायगा, अंग्रेजी में वही नाम रह जाता है, वह तो टेक्नीकल शब्द है। हां, अगर दूसरा ऐक्ट लाकर नाम बदल दें तो दूसरी बात है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि विधेयक के अन्त में दी हुई अनुसूची २ में दिये हुये लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के संशोधन संख्या (२) के भाग (१) की पांचवीं पंक्ति में संख्या "५" के स्थान पर संख्या "६" रक्खी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची २ को इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची ३

(देखिये धारा ४४५)

दण्ड सारणी

धारायें, उपधारायें तथा खंड	जुर्माना जो किया जा सकता है
३९२ (२), ३९३, ३९४, ३९६, (छ), ३९६, (ज), ३९६, (झ) ३९९, ४००, ४०१	दस रुपये

धाराएं, उपधाराएं तथा खंड	जुर्माना जो किया जा सकता है।
३८४(२) ४०४, ४२१ (२), ४३४ (६), ४३८, ४३९, ४४३, ४४४, ४४५	बीस रुपये
२४३, २७४, २९० (३), २९१, ३०० (१), ३०४, ४१८, (ङ), ४२०, ४२२ (१), ४४७(५)	पचास रुपये
२३५, २३६, २३९, (१) (ख), २४० (ख) २४५, २५४, २५५, २५६ (१), २५६(२), २६७, २७८, (२), २८६, २९० (३), २९२ (१), २९२(२), २९६(१), २९९(१), ३००(२), ३०१(१), ३०२(१), ३०२, (३), ३०६, (१), ३०९, ३२७, (४), ३२९, ४०५, ४०६, ४०७, ४१४, ४२८ (१), ४२३, ४२६, ४३५ ..	सौ रुपये
२३३, २४९, (१), २५०, २६४(१), २८९ (१) (२) (४), ३०० (३)३०५(१), ३२७, (२), ३२७(३), ३३०(१), ३३१(३), ३८८ (३), ४१९ (२), ४३६, ४७८ ..	दो सौ रुपये
२४२(१), २८५(१), ३२१, ३२३, ३२६, ३२८ (१), ३२८ (२) ३८७ (२), ३९० (१), ४०९, ४१३ (१), ४३४ (१) ..	पांच सौ रुपये
२७६(४), ३२३, ३३२ (७), ३९७, ३९८ ..	एक हजार रुपये

भाग २

धारायें, उपधारायें तथा खंड	जुर्माना जो प्रतिदिन किया जा सकता है
२९० (३), २९१, ४३४(६), ४२४, ४२३	पांच रुपये
२३३, २३५, २३६, २३९, (१) (ख), २४० (ख), २४३, २४५, २५४, २५५, २५६ (१), २५६(२), २६४(१), २६७, २८६, २८९ (२) (४), २९२ (१), २९२ (२), २९६, ३००(२), ३०२ (१), ३०२ (३), ३०५, (१), ३०६ (१), ३२७ (४), ४१८ (ङ) ४३५, ४४७ (५)	दस रुपये
३०१ (१), ३०४, ३२७(२), ३२७(३), ३३० (१), ३३१ (३), ४३६	बीस रुपये
२४२ (१), २७८ (२), २९९ (१), ३००(१), ३२९, ३८७,३८८(३), ३९० (१), ४१९ (२), ४३४ (१) ४७८ ..	पचास रुपये
२७६ (४), ३२१, ३२६, ३२८ (१), ३२८ (२), ३३२ (७)	सौ रुपय
३९७, ३९८	पांच सौ रुपये

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुसूची ३ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५७२ (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—माननीय बंसल जी, आप अपना संशोधन पेश करेंगे ?

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, अब संशोधन को देखने के बाद मुझे किसी संशोधन को पेश करने की जरूरत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५७२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सामान्य संशोधन

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक का नाम बदल कर "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक कर दिया जाय और तदनुसार खंड १ के उपखंड (१) में "निगम" शब्द के स्थान पर "महापालिका" शब्द रख दिया जाय।

उक्त विधेयक में जहां कहीं अनुसूची के स्तम्भ १ में दिया हुआ कोई शब्द अथवा पद अथवा उसका कोई व्याकरण रूप आया हो, उसके स्थान पर उक्त अनुसूची के स्तम्भ २ में उसके सामने दिया हुआ अथवा पद अथवा उसका तत्समान व्याकरण रूप क्रमशः रख दिया जाय। किन्तु शब्द "निगमित" अथवा म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्ध में प्रयुक्त "म्युनिसिपल" शब्द यथावत् बने रहें।

क्रियाओं तथा कारक-चिन्हों में भी तदनुसार आवश्यक परिवर्तन कर दिये जायं।

अनुसूची

स्तम्भ १	स्तम्भ २
मेयर	नगर-प्रमुख
डिप्टी मेयर	उप-नगर-प्रमुख
एल्डरमैन	विशिष्ट सदस्य
कौंसिलर	सभासद
"म्युनिसिपल कमिश्नर" या उसके लिये प्रयुक्त "कमिश्नर"	मुख्य नगराधिकारी
डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर	उप नगराधिकारी
असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर	सहायक नगराधिकारी
म्युनिसिपल इंजीनियर	नगर अभियन्ता
म्युनिसिपल मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
म्युनिसिपल चीफ आडीटर	मुख्य नगर लेखा परीक्षक
आडीटर	लेखा परीक्षक
निगम	महापालिका
नगरपालिका	महापालिका
एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफीसर	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
रिटर्निंग अफसर	निर्वाचन-अधिकारी
असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर	सहायक निर्वाचन-अधिकारी
प्रिजाइडिंग अफसर	निर्वाचन-अध्यक्ष
पोलिंग अफसर	मतदान-अधिकारी
चुनाव करने वाली समिति	चुनाव समिति
स्थगित सड़क योजना	भावी सड़क योजना

मूहों के लिये स्थान की योजना	गृह स्थान योजना
गन्दी बस्तियां हटाने की योजना तथा पुनर्निर्माण की योजना	बस्ती सुधार योजना
म्युनिसिपल पोलिंग एजेंट	महापालिका मतदान-अभिकर्ता
बैलट बाक्स	मतदान बक्स
बैलट पेपर	मत-पत्र

मान्यवर, इस प्रस्ताव को रखते हुये मुझे असीम हर्ष है। इसलिये कि मैं यह समझता हूं कि इससे सब से बड़ा परिवर्तन तो यही होगा कि इस विधेयक का नाम बदल जायगा और बदल जायगा एक बहुत सुन्दर रूप में और उसके बाद उसमें एक बड़ी कमी कदाचित् पूरी हो जायगी।

मैं कुछ अधिक कहने की आवश्यकता इस आदरणीय सदन में इस प्रस्ताव के बारे में नहीं समझता, फिर भी आपकी आज्ञा से एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। सदन के कुछ माननीय सदस्य कदाचित् यह कहें कि आज जब हम हिन्दी का प्रसार चाहते हैं, हिन्दी का विकास चाहते हैं तब हमें ऐसी हिन्दीकरण की नीति नहीं अपनानी चाहिये कि हर शब्द के लिये हम निश्चित रूप में हिन्दी का पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर रखें और जो जाने हुये अंग्रेजी के शब्द हैं उनको हटा दें। यह एक प्रबल तर्क मेरे प्रस्ताव के विरुद्ध दिया जा सकता है। मैं स्वयं भी इस सिद्धान्त को मानता हूं कि आज जब हिन्दी राष्ट्रभाषा का विकास हो रहा है तब हम इस बात के लिये तत्पर रहें कि जो दूसरी भाषाओं के शब्द प्रचलित हैं उन्हें हम अपनायें। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि जब अंग्रेजी शब्दों का अनुवाद हो तो उनके भावार्थ की तरफ हम ज्यादा ध्यान दें। श्रीमन्, जब हिन्दी हमारे प्रदेश में राज्य भाषा घोषित हुई थी तो मैंने भी प्रयास किया था एक छोटा सा न्यायालय शब्द संग्रह लिखने का। उसमें भी मैंने इस बात का बड़ा यत्न किया था कि भावार्थ अधिक हो। तो आखिर इन सब बातों को मानते हुये भी मैं स्वयं इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं वह क्यों? श्रीमन्, इसलिये जो कारपोरेशन बनाये जा रहे हैं तो एक नई चीज हम अपने प्रदेश को दे रहे हैं। बम्बई और मद्रास वगैरह में जहां कारपोरेशन्स हैं वहां मेयर डिप्टी मेयर आदि इंगलिश शब्द प्रचलित हैं और वहां की जनता के लिये यह रोजमर्रा के शब्द हो गये हैं। लेकिन अपने प्रदेश की जनता के लिये जो शब्द हम दे देंगे, चाहे वह अंग्रेजी के वही शब्द हों जो दूसरे कारपोरेशंस में प्रचलित हैं या चाहे हिन्दी के शब्द हों, वही उसके लिये रोजमर्रा के शब्द हो जायेंगे। इसलिये यही कारण है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि यह संशोधन करना उचित होगा।

श्रीमन्, मैं इतना निवेदन कर दूं कि मैं सारे शब्दों का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं लेकिन जहां तक नाम का सम्बन्ध है, केवल निगम शब्द पर मैं एक मिनट लूंगा कि क्यों इसको बदलने की कोशिश की जा रही है। नगर निगम शब्द है, जब से कारपोरेशन बिल हमारे सामने आया तो हम लोग जो धारा सभा के सदस्य हैं वह इससे परिचित हो चुके हैं और उन्हें यह बड़ा सुगम सा शब्द लगता है। लेकिन हमारे प्रदेश की जनता इससे परिचित नहीं है। मैं यह कहूंगा कि देखने में भी यह बड़ा विहंगम लगता है और इसके अर्थ भी गलत हैं। निगम के माने हैं, नगर, हाट, बाजार, मार्ग या वेदों के सिलसिले में आया है वहां उसका अंश आदि आदि। कहीं पर भी इसका वह अर्थ नहीं निकलता है जो कारपोरेशन से निकलता है। इसके सच्चे भावार्थ या अर्थ हैं "संघ" तो इसका नाम नगर संघ रखा जा सकता है और यदि यह रखा जाता तो ठीक होता। लेकिन मेरे खयाल में यह शब्द कोई बहुत सम्मानित शब्द नहीं रह गया है। इसलिये मैंने इसका प्रस्ताव नहीं किया है। इसलिये नगर महापालिका रखा है। इसका औचित्य इसलिये भी है

कि हमारे प्रदेश में ५० से ज्यादा नगरपालिकायें हैं और लोग इस शब्द को जान चुके हैं। इसलिये एक नगरपालिका और दूसरी महापालिका रखना ठीक है। अगर समय आयेगा तो मेरी इच्छा है कि टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के लिये भी लघुपालिका आदि शब्द रखे जायं। इसलिये श्रीमन्, मैंने केवल नाम बदलने के लिये जो बात थी वह बतला दी, बाकी माननीय सदस्य स्वयं विद्वान हैं इसलिये ज्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं समझता और आशा करता हूं कि मंत्री जी जो सौम्यता के पुजारी हैं, भाषा के सौन्दर्य को पसन्द करते हैं, कदाचित इसे स्वीकार करेंगे और जिस प्रकार से स्वीकृति का आश्वासन दे रखा है वह इसको स्वीकार करके हमें और सदन को अनुग्रहीत करेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल ने अंग्रेजी शब्दों का भाषान्तर करके देवनागरी के जिन शब्दों को इस विधेयक में रखने के लिये संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं अपने भाई जगदीश शरण जी से यह कहना चाहता हूं कि वह अपने संशोधन को जरा देखें कि इसमें दो एक जगह संशोधन करने की आवश्यकता है। जहां आपने निगम के स्थान पर महापालिका शब्द रखा है, वहां आपने नगरपालिका के लिये भी महापालिका रख दिया है। नगरपालिका म्युनिसिपैलटी का हिन्दी रूपांतर है और निगम शब्द कारपोरेशन का हिन्दी रूपान्तर है। जब निगम के स्थान पर महापालिका रख रहे हैं तो यह उचित होता है लेकिन नगरपालिका के लिये महापालिका का शब्द प्रयोग करना चाहते हैं, यह कहां तक युक्तिसंगत है, यह मेरी समझ में नहीं आया। साथ ही साथ अपने प्रेजाइडिंग आफिसर को निर्वाचन अध्यक्ष लिखा है। हिन्दी का प्रत्येक जानकार यह जानता है कि आफिसर का हिन्दी रूपांकर अधिकारी होता है, अध्यक्ष नहीं होता। तो अच्छा हो कि जो आपने प्रेजाइडिंग आफिसर का जो आपने निर्वाचन अध्यक्ष रखा है उसकी जगह पर निर्वाचन अधिकारी कर दें। म्युनिसिपैलिटी के लिये फिर आपने महापालिका शब्द का प्रयोग किया है। इसको भी आप संशोधित कर दें तो अति सुन्दर रहे।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा जगदीशशरण जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक की एक बहुत बड़ी कमी की ओर सदन और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। हमारे प्रदेश को यह सौभाग्य प्राप्त है कि भारत में सर्व प्रथम इस बात की घोषणा की कि हमारे प्रदेश की भाषा हिन्दी होगी और उसकी लिपि देवनागरी, इस प्रदेश की हिन्दी भाषा घोषित हो जाने के बाद उसके समस्त नवीन विधेयक हिन्दी और देवनागरी लिपि में ही प्रस्तुत किये जाते हैं। यद्यपि हिन्दी हमारे प्रदेश की भाषा हो गयी है तथापि इस प्रदेश का संचालन जिन अधिकारियों के हाथ में था वह अधिकारी सभी अंग्रेजी भाषा के ही पंडित थे, उनमें हिन्दी के पंडितों की बहुत ही नगण्य संख्या थी। हमारे संविधा को लागू हुए ८ वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका। प्रदेश में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इस बात की कोशिश हुई कि वह हिन्दी भाषा का ज्ञान प्राप्त करें और हिन्दी परीक्षाएं पास करें। हमारे अधिकारी और कर्मचारी जहां हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वहां इस विधेयक के बनाते समय अधिकांश अंग्रेजी के शब्दों की जो भरमार हो गयी वह मैं समझता हूं कि आम बोलचाल के शब्द होने के कारण ही इस विधेयक में वे शब्द रखे गये थे लेकिन भाई जगदीश शरण जी ने इस विधेयक में उस कमी की ओर जो ध्यान आकर्षित किया है कि अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर हिन्दी के शब्द रखे जायं और खास तौर पर आम बोलचाल के शब्दों के स्थान पर जो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है उसकी जगह पर हिन्दी भाषान्तर कर दिया जाय इस से सुन्दर और कोई सुझाव नहीं हो सकता। इसके लिये जगदीश शरण जी बधाई के पात्र हैं।

इन शब्दों के साथ में एक बार फिर जगदीशशरण जी के इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि जब इस प्रदेश की भाषा हिन्दी है तो हमारा यह पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि जब हम इस विधेयक को बनाने जा रहे हैं तो उसमें उन शब्दों को जो शब्द अंग्रेजी के हैं और हिन्दी के शब्द होते हुए भी, जिस तरह

(इस समय ४ बज कर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री जगन्नाथ लहरी]

से निगम शब्द है, जो कठिन प्रतीत होता है उनको आम शब्दों में परिवर्तित करने के लिये जो भाषान्तर किया गया है उसे हम स्वीकार करें। मुझे आशा है कि मंत्री जी इन शब्दों को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---मान्यवर, श्री जगदीशशरण अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। वस्तुतः हमने राजभाषा हिन्दी तो स्वीकार कर ली है, सारे हमारे विधेयक हिन्दी में ही इस सदन के सामने आते हैं परन्तु हम यह भूल जाते हैं कि यदि हम इन विधेयकों में उस आत्मा का प्रवेश नहीं करते जो उसे राज भाषा हिन्दी से सुलभ होती है तो वास्तव में वे हमारे उन भावों को व्यक्त नहीं करते जिन भावों को लेकर हम सदन के सामने विधेयकों को रखते हैं।

इसमें जो सब से बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है वह इस विधेयक के नाम के लिये है। 'निगम' शब्द का प्रयोग हमारे देश में संस्कृत और हिन्दी में वेद के अर्थ में होता रहा है। इसलिये कारपोरेशन का अनुवाद इसमें जो निगम करके रखा गया है वह सार्थक नहीं है। ऐसा अर्थ हिन्दी या संस्कृत में हमारे देश में किसी भी भाषा में प्रचलित नहीं है। निगम शब्द व्यवहार में भी जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने स्वयं कहा कि विहंगम सा मालूम होता है। वस्तुतः कारपोरेशन का हिन्दी में जो यह अनुवाद रखा गया है वह हिन्दी का अनर्थ ही है। जहां तक हमने इसका अनुवाद महापालिका करके रखा है वह अत्युत्तम है। कारपोरेशन को जो महापालिका कहा जायगा यह बहुत ही उपयुक्त होगा।

दूसरे ऐसे ही जो दूसरे संशोधन हैं वह नामों के हैं और हम यह समझते हैं कि यह जो अंग्रेजी के नाम हिन्दी में रखे गये हैं वह अधिक प्रचलित हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि जब हम उनको विधेयक में रखेंगे तभी वह प्रचलित होंगे और जब तक उनको हम विधेयक में नहीं रखेंगे तब तक यह दलील दी जाती रहेगी कि यह शब्द प्रचलित नहीं हैं। इसलिये इसमें वही नाम रखे जायं जिनको हमारे शब्दकोष के बनाने वालों ने सब जगह प्रचलित किया है और हमारे विधेयकों में भी वही नाम प्रचलित हों। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मुझे हार्दिक विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

मेरा सुझाव दो जगहों के लिये यह है कि जहां पर ऐलेक्टोरेल रजिस्ट्रेशन आफिसर के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कहा गया है उसके स्थान पर पंजीकरण अधिकारी रखा जाय। संस्कृत या हिन्दी में रजिस्ट्रेशन शब्द के लिये कोई और शब्द नहीं है ऐसा मानना उचित नहीं है मैं निवेदन करूंगा कि रजिस्ट्रेशन के लिये जहां पर रजिस्ट्रीकरण आया है वहां पर 'पंजीकरण' यानी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी रख दिया जाय। दूसरा शब्द जहां पर प्रिजाइडिंग अफसर आया है वहां पर 'निर्वाचन केन्द्र अधिकारी' कर दिया जाय। मैं समझता हूं यह अधिक उपयुक्त होगा। इन सुझावों के साथ म इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको पूर्णरूप से स्वीकार करेंगे।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अध्यक्ष महोदय, श्री जगदीश शरण अग्रवाल जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। सिर्फ एक दो सुझाव उनके समक्ष रखना चाहता हूं। अभी मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बताया था कि जो विधेयक इस सदन में पास हो रहा है, बम्बई कारपोरेशन का जो विधेयक है उसी के अनुसार यह बनाया गया है। यहां पर अनुसूची में मेयर शब्द के लिये जो शब्द रखा गया है वह 'नगर प्रमुख' रखा गया है। मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र में यानी बम्बई स्टेट में मेयर के लिये जो शब्द है वह महापौर है। यह संस्कृत का शब्द है। पौर शब्द सिटीजन के लिये प्रयोग किया गया है। यहां पर डिक्शनरी रखी है। उसको देखा जाय तो मालूम होगा कि पौर; शब्द सिटीजन के लिये प्रयुक्त हुआ है यानी जो शहर का रहनेवाला हो। तो मेयर के

लिये जो उपयुक्त शब्द मालूम होता है वह महापौर उपयुक्त मालूम होता है। मैंने इसको अखबारों में भी पढ़ा है। जब मैं वहां गया और लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में यह शब्द प्रचलित हो गया है।

श्री अध्यक्ष---बुन्देलखंड में तो जो मकान का आगे का हिस्सा होता है उसको पौर कहते हैं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल---यह संस्कृत का शब्द है और पौर से ही पौरह बना है। मृच्छकटिक नाटक में भी यह शब्द आया है। संस्कृत में यह बहुत प्रचलित शब्द है। पौरह सिटीजन के लिये बम्बई में प्रचलित हो गया है। सब लोग इसको जानते हैं। जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि कारपोरेशन हमारे प्रदेश में एक नई चीज हो रही है तो उसके साथ नये शब्दों को लाने में और प्रचलित करने में आपत्ति न होनी चाहिये। नई चीज के साथ साथ यदि हम एक नया शब्द भी प्रचलित कर दें तो इसमें कोई हानि नहीं है बल्कि शब्दावली बढ़ेगी। जगदीशशरण जी भी संस्कृत अच्छी तरह से जानते हैं। उनसे मैंने बातें कीं तो उन्होंने भी यह शब्द स्वीकार किया। वह मेरा शब्द स्वीकार करने के लिये ७५ फीसदी तैयार हैं लेकिन इस पर जरा ध्यान और दें तो अच्छा होगा। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि बड़े अच्छे शब्द उन्होंने दिये हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---अध्यक्ष महोदय, मैं जगदीशशरण जी के संशोधन का समर्थन करता हूं लेकिन उन्होंने निगम के स्थान पर जो महापालिका रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। हिन्दी को बड़ी डिसर्सविस यही है कि बड़े लम्बे चौड़े शब्दों को रख दिया जाता है, बनाया जाता है। निगम अच्छा और छोटा सा शब्द है, हर आदमी इसे आसानी से बोल सकता है। महापालिका इतना पाप्युलर या आसान नहीं है। कारपोरेशन का अर्थ भी निगम में ही ठीक आता है। जैसे कोई रेल को लोह पथगामिनी कहे वैसे ही कारपोरेशन का महानगरपालिका करना होगा। महानगरपालिका का अर्थ बड़ी म्युनिसिपैलिटी है जबकि कारपोरेशन उससे भिन्न है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि निगम को रहने दें और बाकी संशोधन मुझे स्वीकार हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। केवल इतनी आपत्ति इस पर मुझे है कि निगम शब्द हटाने का मैं विरोध करता हूं। निगम शब्द वेदों में आया है। वेदों के जानकारों को पता होगा कि निगम के माने जगह या नगर के नहीं हैं। निगम उस जमाने में असेम्बलीज को कहा करते थे, जैसे यह विधान सभा है। इसलिये निगम का ठीक कनोटेशन महानगरपालिका से हल नहीं होगा। उसमें अन्तर आ जाता है। इसके अलावा कारपोरेशन और नगरपालिका में भी बहुत अन्तर है। उसके फंकशन्स में भी बहुत अन्तर है। इसलिये महा लगाकर जो नगरपालिका कहा गया है उससे आइडेंटिटी आफ मीनिंग में अन्तर आ जाता है। निगम से जो तस्वीर हमारे दिमाग में उतरती है वह महानगरपालिका कहने से नहीं होती। हमें वे शब्द इस्तेमाल करने चाहिये जिनके उच्चारण से साधारणतया वह तस्वीर दिमाग में आती हो जो ठीक बैठती हो।

आज हमारे दिमाग में जो नगरपालिका की तस्वीर है वह हमारे सामने आती है लेकिन मैं समझता हूं कि उसकी एक डिफरेंट पिक्चर होगी। इसलिये इस महानगर पालिका शब्द को हटा दिया जाय और उसके स्थान पर निगम शब्द ही रहने दिया जाय। दूसरे अधिकारियों के जो नाम हैं, हो सकता है उनको बाद में एक्सपेरीमेंट करने के बाद बदलना पड़े। तो जब तक भाषा के पंडितों, पारंगतों से, ठीक प्रकार से, उनकी जांच नहीं कराते हैं, तब तक मैं समझता हूं नामों के बारे में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिये। जब विद्वानों द्वारा ठीक प्रकार से उनका निर्धारण हो जाय तब ही इनका रखा जाना ठीक होगा। क्योंकि जब ऐसी गलत चीजें जनता में जाती हैं तो वहां उसका उपहास होता है। मैं समझता हूं कि

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

इस सदन से जो भी चीज पास हो, चाहे उसमें भले ही देर लग जाय, लेकिन वह ऐसी होनी चाहिये जिससे 'आन दि फेस' ही वह गलत न मालूम देने लगे और मामूली आदमी भी कहने लगे कि यह चीज गलत है। इसलिये इस निगम शब्द को न बदला जाय।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा--अध्यक्ष महोदय, माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही सुन्दर है। मैं केवल एक नाम से सहमत नहीं हूं। वह नाम नगर प्रमुख का है। एक तरह से सेंस तो आता है लेकिन जो शब्द मेयर में विशेषता है या जिसे पहले लार्ड मेयर कहते थे, उसमें विशेषता है, वैसी उसमें नहीं है। उसके लिये नगर-पाल शब्द अधिक उपयुक्त होगा और उसमें वह सेंस भी आ जाता है जो लार्ड मेयर में आता है। जैसे राज्यपाल, नगरपाल। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस संशोधन को माननीय जगदीश शरण जी स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का हृदय से समर्थन करता हूं। इस संशोधन के उपस्थित होने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो, हम अंधकार म रह रहे थे और वहां से निकल कर प्रकाश में आ गये और विजातीय द्रव्यों के कारण हमारे मस्तिष्क को जो चोट पहुंचती थी, उससे हम छुट्टी पा रहे हैं। इस संशोधन में एक विशेषता और है कि इसमें अल्प प्राण शब्द कोई नहीं है, सब महाप्राण शब्द हैं और आजकल जो भी शब्द प्रचलित हैं उनसे उनका साम्य भी है और परिचित से ज्ञात होते हैं। राज्य भाषा हिन्दी से इनकी शत प्रतिशत मैत्रीत्व है। हम हिन्दी का किसी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से समर्थन नहीं करते हैं वरन् इस कारण से करते हैं कि वह हमारे हृदय के पूरे से पूरे भावों को प्रकाश में लाने में सक्षम है। अंग्रेज लोग चले गये लेकिन अभी अंग्रेजियत नहीं गयी परन्तु वह हृदयग्राही कभी भी नहीं हो सकती और उसके द्वारा मौलिक रूप से चिन्तन करने में कठिनाई होती है। यद्यपि हमारे विधेयक हिन्दी में पास होते हैं लेकिन जो मूल चिन्तन होता है वह अंग्रेजी में ही होता है और उसका अनुवाद कहा जाय अथवा अविकल अनुवाद कहा जाय, हिन्दी में होता है, परन्तु वह सही रूप में हमारी हृदयगत भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता। उसका परिणाम यह होता है हिन्दी भाषा की कुरूपता बढ़ती जाती है और उसका एकमात्र कारण हमारी विधान सभा की कि हिन्दी भी कही जा सकती है। हमारा ध्यान उधर जाता नहीं है। हम अपनी कई कठिनाइयों के कारण भाषा की ओर ध्यान नहीं ला पाते। भाषा अन्य वस्तुओं की जननी होती है। जो संशोधन हमारे सामने आया है उसका एक-एक शब्द ऐसा है जो पूजा करने के योग्य है, प्रिय भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ओज है, तेज है और सबसे बड़ा गुण जो प्रसाद गुण होता है वह भी उसमें है। उन शब्दों का उच्चारण होते होते ही भाव हमारे सामने नाचने लगता है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, मुझे बहुत सन्तोष है कि यह जो संशोधन आया है, इसका आमतौर से स्वागत हुआ और इसलिये इसे स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता होती है। इस सिलसिले में कुछ सुझाव भी आये हैं। यह सही बात है कि महापालिका सुनने में "निगम" शब्द से कम कर्णप्रिय हो सकता है और शायद है भी, लेकिन जब मैं उसके अर्थ को देखता हूं तो मुझे कहीं भी इस शब्द को इस अर्थ में लगाने की गुंजाइश नजर नहीं आती है। रावत जी ने कहा कि पहले भी कई जगह किताबों में निगम शब्द जनपद के लिये, पार्लियामेंट के लिये और संघों के लिये आया है। मुझे भी थोड़ी पुरानी किताबों को देखने का अवसर मिला है लेकिन मेरी दृष्टि में कहीं भी यह शब्द आया नहीं है। मेरी समझ से वे भूल करते हैं, कोई दूसरा शब्द आया होगा, जिसका उन्हें स्मरण है। अगर वे मुझे दिखला देंगे कि फलां जगह निगम शब्द आया है तो मैं उससे लाभ उठाऊंगा। निगम शब्द का जो अर्थ दिया हुआ है वह यह है--वेद संहिता, वेद का कोई अंश या अवतरण, वेद भाष्य, आप्त वचन, धातु, निश्चय, विश्वास, न्याय, व्यापार, व्यवसाय, हाट, मंडी, बाजार, पैंठ, मेला, बनजारा, फेरीवाला सौदागर, मार्ग, बाजार का रास्ता, नगर।

अब इसमें किसी तरह से भी "नगर" शब्द आता है तो उसके कुछ मतलब हल नहीं होता है। माना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो सुनने में प्रिय होते हैं, सरल होते हैं, सुगम होते हैं लेकिन उसका अर्थ वह नहीं हो जिससे हमारा मतलब है तो फिर उससे लाभ ही क्या है ? उसका हम थोड़ा विस्तार कर सकते हैं, थोड़ी व्यापकता से काम चल सकता है लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाय तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तो इस वास्ते जो यह सुझाव आया है कि "नगर निगम" की जगह कोई और शब्द न बदला जाय, मुझे दुख है कि उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। एक सुझाव "मेयर" के स्थान पर" महा पौर" कर देने का आया है। इसके बारे में जैसा कि श्रीमान् ने बतलाया था कि झांसी और बुन्देलखंड में इसका माने कुछ और ही होता है जिसको वहां के लोग जब देखेंगे तो कहेंगे कि यह क्या चीज बना दी गयी है। इसलिये मैं इस सुझाव को भी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। "प्रमुख" शब्द आजकल बहुत चल निकला है। जैसे राज प्रमुख है, जिसके साथ मान और सम्मान का भाव है, उसी सेंस में"नगर प्रमुख" शब्द "मेयर" के लिये सबसे अच्छा है। तो अर्थ-प्रधान भी यह है और कर्ण को कटु भी नहीं मालूम होता है, इस वास्ते यह शब्द चल सकता है।

एकाध आपत्ति इस विषय में लहरी साहब ने उठाई थी। मेरा खयाल है कि उन्होंने अब जब ध्यान से पढ़ा होगा तो अपनी आपत्ति को व्यर्थ का अनुभव कर लिया होगा। अधिकारी शब्द हमने लिखा है। रिटर्निंग आफिसर की जगह हमने निर्वाचन अधिकारी ही रखा है और असिस्टेन्ट रिटर्निंग आफिसर की जगह सहायक निर्वाचन अधिकारी है। तो यह जहां तक आफिसर का अधिकारी किया गया है वहां तक उसको तो मान लिया है। प्रिजाइडिंग आफिसर का अगर हम शाब्दिक अर्थ करें तो जो कि किसी सभा के ऊपर अध्यक्ष का काम करता है, प्रिजाइड करता है, वह होता है। लेकिन यहां पर प्रिजाइडिंग आफिसर का मतलब निर्वाचन से है और वहां हमने प्रिजाइड करने वाले सेंस को भी "अध्यक्ष" करके रख लिया। इसके साथ-साथ निर्वाचन अधिकारी के साथ यहां भी अधिकारी न आ जाय, इस वास्ते उसको बचाने के लिये भी और प्रिजाइडिंग का सेंस भी थोड़ा सा आ जाय, इसलिये "निर्वाचन अध्यक्ष" उसको रखा है। इससे लोगों को उसे एकदम से याद करने में भी आसानी होगी। इसलिये ऐसा किया जा रहा है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--निर्वाचन अध्यक्ष कहने से अध्यक्ष महोदय, सारा निर्वाचन जो होगा उसका अर्थ निकल आयेगा और यहां निर्वाचन केन्द्र से आपका तात्पर्य है। इसलिये 'निर्वाचन केन्द्र अध्यक्ष' आ जाना चाहिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नहीं यह प्रिजाइडिंग आफिसर वहीं का है और इसके अलावा किसी दूसरी चीज पर तो आपत्ति की नहीं गई।

एक सदस्य--महापालिका पर भी की गई थी।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, इस जगह पर चूंकि यहां इस विधेयक से उसका सम्बन्ध है इस वास्ते वहां पर महापालिका रखा गया है।

श्री अध्यक्ष--निगम के सामने भी "महापालिका" है और म्युनिसिपल के सामने भी "महापालिका" है, यह एतराज किया गया था।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--तो यह तो कई जगह पर म्युनिसिपल शब्द आया है। जहां पर महापालिका रखा गया है वहां कोई कन्फ्यूजन की बात इससे उठेगी नहीं। वह दोनों अर्थ आ जाता है। निगम से वह अर्थ नहीं आता है। नगरपालिका शब्द आजकल प्रचलित है। इस वास्ते महापालिका शब्द हमने रखा है क्योंकि दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क क्वालिटी का तो है नहीं। थोड़ी सी विशेषतायें इसमें हैं। इसलिये इसको महापालिका रख दिया है। इन शब्दों के साथ मैं इसे स्वीकार करता हूं और मूवर महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे पेश किया।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--श्रीमन्, मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। केवल शिष्टता के नाते ही नहीं हृदय से मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के प्रस्तुत होने और इसको समर्थन प्राप्त होने से मुझे एक बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई और मैं बड़ी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं उन सभी सदस्यों के प्रति। केवल एक शब्द और रह गया श्रीमन्, यह नगरपालिका को जहां मैंने महाप लिका लिखा है इस पर एक आपत्ति की थी लहरी जी ने और एक और भाई ने एक आपत्ति की थी। उसके लिये मैं केवल यह कह दूं कि यह लिखा हुआ है कि किन्तु शब्द "निगमित" अथवा म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्ध में प्रयुक्त "म्युनिसिपल" शब्द यथावत् बने रहें। तो जहां म्युनिसिपल बोर्ड के लिये "म्युनिसिपल" शब्द आया है। वहां पर तो यथावत् बना रहेगा। कहीं, कहीं इस विधेयक में "नगरपालिका" शब्द कारपोरेशन के लिये आ गया है, केवल उसके लिये "महापालिका" हो जायगा। इसलिये यह है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि :

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक का नाम बदल कर "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक" कर दिया जाय और तदनुसार खंड १ के उपखंड (१) में "निगम" शब्द के स्थान पर "महापालिका" शब्द रख दिया जाय।

उक्त विधेयक में जहां कहीं अनुसूची के स्तम्भ १ में दिया हुआ कोई शब्द अथवा पद अथवा उसका कोई व्याकरण रूप आया हो, उसके स्थान पर उक्त अनुसूची के स्तम्भ २ में उसके सामने दिया हुआ शब्द अथवा पद अथवा उसका तत्समान व्याकरण रूप क्रमशः रख दिया जाय। किन्तु शब्द "निगमित" अथवा म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्ध में प्रयुक्त "म्युनिसिपल" शब्द यथावत् बने रहें।

क्रियाओं तथा कारक-चिन्हों में भी तदनुसार आवश्यक परिवर्तन कर दिये जायं।

अनुसूची

स्तम्भ १	स्तम्भ २
मेयर	नगर-प्रमुख
डिप्टी मेयर	उपनगर-प्रमुख
एल्डरमैन	विशिष्ट सदस्य
कौंसिलर	सभासद
"म्युनिसिपल कमिश्नर" या उसके लिये प्रयुक्त "कमिश्नर"	मुख्य नगराधिकारी
डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर	उपनगराधिकारी
असिस्टेन्ट म्युनिसिपल कमिश्नर	सहायक नगराधिकारी
म्युनिसिपल इंजीनियर	नगर अभियन्ता
म्युनिसिपल मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
म्युनिसिपल चीफ आडीटर	मुख्य नगर लेखा परीक्षक
आडीटर	लेखा परीक्षक
निगम	महापालिका
नगरपालिका	महापालिका
एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफीसर	निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी...

यह "रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" होगा या "पंजीकरण अधिकारी" होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, अभी तक पंजीकरण से मतलब चार्ट से होता है। लेकिन यह आपके ऊपर छोड़ सकता हूं, आप देख करके निश्चय कर लें, यदि पंजीकरण से रजिस्ट्रेशन का अर्थ आजाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—किसी अधिनियम में तो पंजीकरण शब्द का उपयोग किया गया है रजिस्ट्रेशन के लिये ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—तो मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—तो मैं देख लूंगा ।

अनुसूची

रिटर्निंग अफसर	निर्वाचन-अधिकारी
असिस्टेन्ट रिटर्निंग अफसर	सहायक निर्वाचन-अधिकारी
प्रिजाइडिंग अफसर	निर्वाचन-अध्यक्ष

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—श्रीमन्, "निर्वाचन-केन्द्र-अध्यक्ष" कर दिया जाय "निर्वाचन-अध्यक्ष" की जगह ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। उनका मतलब यह है कि जिस वक्त "निर्वाचन-अध्यक्ष" कहेंगे तो यह कह दिया जायगा कि फलां जगह का "निर्वाचन अध्यक्ष।" और क्योंकि प्रान्त का निर्वाचन-अध्यक्ष कोई नहीं होता, इसलिये "निर्वाचन-अध्यक्ष" शब्द रहने में कोई आपत्ति नहीं है ।

अनुसूची

पोलिंग अफसर	मतदान-अधिकारी
चुनाव करने वाली समिति	चुनाव समिति
स्थगित सड़क योजना	भावी सड़क योजना
गृहों के लिये स्थान की योजना	गृह स्थान योजना
गन्दी बस्तियां हटाने की योजना तथा पुर्ननिर्माण की योजना	बस्ती सुधार-योजना
म्युनिसिपल	महापालिका. . . .

मैं इतना जानना चाहता हूं । इसमें यह लिखा हुआ है कि किन्तु शब्द "निगमित" अथवा म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्ध में प्रयुक्त "म्युनिसिपल" शब्द यथावत् बने रहें । एक जगह तो यह लिखा है । और एक जगह लिखा है "म्युनिसिपल" की जगह "महापालिका" हो ।

राय लेने के पहले जरा आप इसको स्पष्ट कर दें ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—श्रीमन्, मेरा अभिप्राय यह था कि जहां पर इसमें म्युनिसिपल बोर्ड आया है उसके लिये तो म्युनिसिपल शब्द रहेगा और जहां पर कारपोरेशन के लिये शब्द "नगरपालिका" आया है वहां महापालिका वह हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

अनुसूची

पोलिंग एजेंट	मतदान अभिकर्ता
बैलेट बक्स	मतदान-बक्स
बैलेट पेपर	मतदान-पत्र

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक में वाक्य खंड "जिला जज" से भिन्न जहां कहीं शब्द "जज" का प्रयोग हुआ है उसके स्थान पर शब्द "न्यायाधीश (judge) रख दिया जाय ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि विधेयक पारित न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—मेरे संशोधन रखने का तात्पर्य यह है कि कहीं "जिला जज" रखा गया है और कहीं "जज" रखा गया है। इसलिये यूनिफार्मिटी लाने के लिये मैंने यह संशोधन रखा है। मैं आपका ध्यान विधेयक के पृष्ठ ३५ पर दिलाना चाहता हूं जिसमें "न्यायाधीश" की परिभाषा दी हुई है।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
११ सितम्बर, १९५८।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

ब्योरा

केन्द्र का नाम		बिक्री	सकल लाभ	व्यय	शुद्ध लाभ
		रुपया	रुपया	रुपया	रुपया
१—नई दिल्ली	..	१७,४५,९२८	२,२८,०१४	१,०६,०२५	१,२१,९८९
२—नागपुर	..	१,९६,०२८	३९,१८०	३७,६८६	३,७६०
३—कलकत्ता	..	३,०९,२९९	६२,९२०	४८,६६२	१४,२५८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर)

झांसी में करघा उद्योग को दिये गये ऋण तथा अनुदान

समिति का नाम	ऋण	अनुदान
	रु०	..
१—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, खुशीपुरा रानीपुरा, झांसी	४५०	..
२—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, रौनियापुर, झांसी	१,७००	..
३—करघा गृह उद्योग सहकारी समिति, लिमिटेड, सिंहपुर, रानीपुर, झांसी	२,०००	..
४—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लहरगांव, रानीपुर, झांसी	६००	..
५—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लहरगंज, रानीपुर, झांसी	१,६००	..
६—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, रानीपुर दक्षिण, झांसी	४०००	..
७—गृह उद्योग सहकारी समिति लमिटेड, लरहाईपुरा, रानीपुर, झांसी	१,४००	..
८—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटड, पृथ्वी पुरा, झांसी	३,८००	..
९—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कटरा, झांसी	४,०००	..
१०—करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, बारीकुरियत मऊरानीपुर, झांसी	८,०००	..
११—शिवगंज करघा कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मऊरानीपुर, झांसी	३,५००	..
१२—जिला तंतुवाय कोआपरेटिव यूनियन, मऊरानीपुर, झांसी	१,०३,४४१	३१,३०६रु०

पी० एस० ग० पी०—ए० पी०—१६८ एल० ए०—१९५८—८४० ।